रबी आन्दोलन सं० १०

उत्तर प्रदेश

रबी आन्दोलन
१९६१-६२

(प्रसार कर्मचारियों के लिए मार्ग निर्देशिका)

प्रकाशक :
कृषि सूचना ब्यूरो, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश
९, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ

उत्तर प्रदेश

रबी आन्दोलन
१९६१-६२

(प्रसार कर्मचारियों के लिए मार्ग निर्देशिका)

प्रकाशक :
कृषि सूचना ब्यूरो, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश
६, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१.	रबी आन्दोलन में कार्यक्रमों की रूपरेखा	१
२.	आन्दोलन कार्यक्रमों का निष्पादन	३
३.	पर्यवेक्षण	५
४.	उन्नत बीज प्रसार योजना	६
५.	उर्वरकों एवं खादों का वितरण	११
६.	अल्प सिंचाई योजना एवं अन्य विद्यमान सिंचाई साधनों का समुचित प्रयोग	१५
७.	रबी आन्दोलन के सम्बन्ध में फसल सुरक्षा कार्य का संगठन	२१
८.	रबी आन्दोलन कार्यक्रमों की पूर्ति में विभिन्न विकास विभागों का सहयोग	२३
९.	स्कूलों के छात्रों द्वारा अपनाए जाने वाले रबी आन्दोलन के कार्य	२८
१०.	रबी आन्दोलन में सहकारी समितियों के कार्य	३१
११.	रबी १९६१-६२ के लिए प्रदर्शन योजना	३७

परिशिष्ट

क—उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए (१९६१-६२) गेहूँ की समर्थित किस्में		४९
ख—उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए (१९६१-६२) जौ की समर्थित किस्में		५३
ग—दहलनी फसलों में सुपरफास्फेट का महत्व		५५
घ—विभिन्न कृषि रक्षा कार्यों की कृषकों से वसूली की सूची		६०
च—उत्तर प्रदेशीय ढंग से गेहूँ की खेती		६४

छ—उत्तर प्रदेशीय ढंग से जौ की खेती ७१
ज—गेहूं और जौ की ड्रिल्लर द्वारा बुवाई ७५
झ—असिंचित क्षेत्रों में फसलों की कतारों में बुवाई तथा निराई गुड़ाई ७७
ट—(१) आंकड़े तथा रिकार्ड रखना ७८
ट—(२) मासिक निरीक्षण तथा बाद का कार्य क्रम ८३
ट—(३) प्रदर्शन की प्रगति के विषय में स०वि०अ० (कृषि) की मासिक रिपोर्ट ८४
ट—(४) प्रदर्शन की प्रगति के विषय में जिला कृषि अधिकारी की मासिक रिपोर्ट ८५
ट—(५) प्रादेशिक उपनिदेशक, कृषि द्वारा भेजी जाने वाली प्रदर्शन की मासिक रिपोर्ट का फार्म ८६
ट—(६) प्रदर्शन फलों की बावत प्रत्येक अधिकारी द्वारा आखिरी रिपोर्ट भेजने के लिए ८७
ठ—सरकार द्वारा प्राप्त सुविधाएं ८८
ड—रबी में बुन्देलखन्ड क्षेत्रों में तेलहन १०१
ढ—रबी के लिए पुरस्कार प्रतियोगिता योजना का विवरण १०६

अध्याय १

रबी आन्दोलन में कार्यक्रमों की रूप रेखा

१. **आन्दोलन के कार्यक्रमः**—उन सभी कार्यों को जो कृषि उत्पादन की वृद्धि में सहायक हो सकते हों, ग्राम सभा, विकास क्षेत्र एवं जिले की योजनाओं में सम्मिलित किया जाय और उन कार्यों के लिये लक्ष्य भी निर्धारित कर दिये जांय। उपरोक्त कार्यों में से कुछ आवश्यक विषयों को विशेष तौर से चुन लिया जाय और आन्दोलन के रूप में कार्यान्वित किया जाय। प्रत्येक ग्राम सभा व विकास क्षेत्र की विकास समितियाँ अपनी परिस्थितियों एवं साधनों की सुविधाओं के आधार पर रबी आन्दोलन के मुख्य-मुख्य विषयों का चुनाव कर सकती हैं।

२. **आवश्यक वस्तुओं के लिये प्रबन्धः**—आवश्यक सामग्रियों और सेवाओं की सूची प्रथम ही अनुमान लगा कर तैयार कर लेनी चाहिये।

उर्वरकों एवं उनके मिश्रणों की पूर्ति की व्यवस्था, बिक्री केन्द्रों में २३ सितम्बर सन् १९६१ तक अवश्य कर लेनी चाहिये।

३. **प्रदर्शन कार्यक्रमः**—

(अ) राजकीय कृषि फार्मों परः—जो प्रदर्शन जिस क्षेत्र में कराने हों उनको पहले राजकीय कृषि फार्मों पर किया जाय और उन्हींके द्वारा समस्त प्रसार कार्यकर्ताओं एवं अन्य सम्बन्धित लोगों को प्रशिक्षित किया जाय। इसके अतिरिक्त उन प्रदर्शनों को सभी प्रसार कार्यकर्ताओं, कृषि एवं उत्पादन समिति के सदस्यों, सहकारी समितियों के सदस्यों तथा अन्य सम्बन्धित लोगों को उन प्रदर्शनों के प्रति विश्वास दिलाने व सहमत करने के लिये प्रदर्शनों का दिग्दर्शन कराना चाहिये।

(ब) किसानों के खेतों परः—उन सभी विधियों को किसानों के खेतों पर भी प्रदर्शित किया जाय जिनको किसानों के बीच में लोकप्रिय करना है। जो प्रदर्शन किसानों के खेतों पर किये जांय, उनके दिग्दर्शन का प्रबन्ध भी गहन रूप से किया जाय।

४. सिंचाई के साधनों को समुचित प्रयोग में लाने के लिये योजना बनाना तथा उसको कार्यान्वित करना:—ये योजनायें ग्राम सभा एवं विकास क्षेत्रों में निम्न-लिखित प्रारूप में तैयार की जांय:—

(अ) सिंचाई साधन का नाम।

(ब) ३० सितम्बर, सन् ६१ तक कुल निर्मित सिंचाई साधन।

(स) ३० सितम्बर, सन् ६१ तक प्रयोग में न लाये गये साधन।

(द) ३१ मार्च, १९६१ तक किया गया सदुपयोग।

५. निम्न कार्यकर्ताओं का निश्चित उत्तरदायित्व निर्धारित करना :—

(१) प्रसार कार्यकर्ता।

(२) खन्ड विकास समिति एवं कृषि एवं उत्पादन समिति के सदस्य।

(३) ग्राम सभा के कृषि एवं उत्पादन समिति के सदस्य।

(४) ग्राम सहायक।

कृषि एवं उत्पादन समिति के प्रत्येक सदस्य के बीच एक विशेष कार्य सौंप देना चाहिये जिसकी गति विधि का वह निरीक्षण करेंगे।

६. विभिन्न स्थानों पर कार्य समितियों की एक एक्सन कमेटी बनाई जाय जो प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करे तथा उसमें पाई जाने वाली कमियों और दोषों को दूर करने के लिये कार्यवाही करे।

७. फसलों की कटाई के समय उनका निरीक्षण करे।

—o—

अध्याय २

आन्दोलन कार्यक्रमों का निष्पादन (इक्जीक्यूशन)

आन्दोलन कार्यक्रमों को निम्नलिखित समितियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर निष्पादित किया जायगा :—

प्रदेशीय स्तर

(अ) आन्दोलन समीकरण समिति
(ब) प्रदेशीय कार्यान्वयन समिति

क्षेत्रीय स्तर

क्षेत्रीय कार्य समिति (इसमें जिला परिषदों के अध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे)।

जिला स्तर

अन्तरिम जिला परिषद् की नियोजन समिति जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित होंगे:—

(१) अध्यक्ष—सभापति
(२) उपाध्यक्ष—उप सभापति
(३) जिला नियोजन अधिकारी—सचिव
(४) सहकारिता, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, प्रान्तीय रक्षा दल एवं पंचायत राज विभागों के जिला स्तर के अधिकारी-सदस्य।

खन्ड स्तर

खन्ड विकास समिति की उत्पादन समिति जिसमें निम्न व्यक्ति होंगे:—

(१) उसी क्षेत्र के प्रधानों द्वारा चुने गये प्रत्येक ग्राम सेवक क्षेत्र का एक प्रधान।

(२) कृषि समिति के ५ अन्य सदस्य जो कि नं० एक में सम्मिलित न हों।

(३) ज्येष्ठ उप प्रमुख।

(४) खन्ड विकास अधिकारी—सचिव।

(५) कृषि महाविधालय के प्रधानाचार्य, यदि कोई हो।

ग्राम स्तर

ग्राम पंचायत की कृषि एवं उत्पादन समिति जिसमें निम्न व्यक्ति होंगेः—

(१) ग्राम पंचायत के प्रधान या उप प्रधान—सभापति

(२) ग्राम पंचायत द्वारा चुने गये ३ से ७ सदस्य—सदस्य

(३) ग्राम सहकारिता के सरपंच—सदस्य

(४) मनोनीत किये गये दो से चार सदस्य (प्रधान या उप प्रधान के सभापतित्व में चुने गये सदस्यों की एक बैठक में मनोनीत किये जाने का कार्य सम्पन्न होगा)। मनोनीत किये गये सदस्यों की संख्या चुने गये सदस्यों की संख्या की आधी से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(५) नलकूप चालक — सदस्य

(६) लेखपाल — सदस्य

(७) ग्राम सहायक — सचिव

अध्याय ३.

पर्यवेक्षण (सुपरविज़न)

पर्यवेक्षण में मुख्यालयों, प्रदेशीय, क्षेत्रीय, जिला या खन्ड द्वारा दिये गये आदेशों एवं निर्देशों को स्थानीय कर्मचारियों द्वारा पूर्ति के सम्बन्ध में पता लगाना तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं का तत्काल पथ-प्रदर्शन करना और परामर्श देना तथा महत्त्वपूर्ण कार्यों में रुकावट डालने वाली समस्याओं का विश्लेषण करके उनकी सहायता करना और उनकी वैयक्तिक, प्राविधिक, प्रशासनिक कठिनाइयों को हल करना, सम्मिलित है। उत्तम पर्यवेक्षण से कार्यकर्ताओं की मानसिक प्रवृत्तियों, प्राविधिक निपुणता एवं प्रशासनिक योग्यता के निर्माण में सहायता मिलती है। पर्यवेक्षण शीघ्र तभी अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है जब कि वह इन गुणों के निर्माण में सहायक हो।

आन्दोलन में उन व्यक्तियों का जिनकी प्रशासनिक एवं प्राविधिक योग्यता भिन्न-भिन्न हैं, विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण सम्मिलित है। विभिन्न प्रशासनिक एवं प्राविधिक योग्यता के कारण पर्यवेक्षण का कार्य कठिन हो जाता है, परन्तु यदि प्रशिक्षण के अन्तर्गत आन्दोलन कार्यक्रम की प्राविधिक एवं निष्पादन सम्बन्धी आवश्यक बातों को भली-भांति समझ लिया जाय तो यह कार्य कठिन नहीं रह जायगा। यदि प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश आन्दोलन के कार्यक्रमों को विस्तारपूर्वक उचित रीति से न समझा गया हो तो उन्हें उच्च एवं सम्बन्धित अधिकारियों से या प्रासंगिक आन्दोलन साहित्य को पढ़कर समझ लेना चाहिये।

त्रुटियाँ एवं समस्यायें

प्रत्येक निरीक्षण सम्बन्धी बातों को अन्त में सार रूप में दे देना चाहिये।

(अ) निरीक्षण में पाई गई कमियाँ।

(ब) कठिनाइयों, समस्यायें एवं उनके हल करने की आवश्यकता। इन निरीक्षण टिप्पणियों को पाने वाले कार्यकारिणी समितियों के मंत्रियों को चाहिये कि वे दोष, कठिनाइयाँ एवं समस्याओं को पता लगा कर सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेजें तथा उनका समाधान एवं

विचार करने के लिये कार्यकारिणी समितियों के समक्ष रखें। दौरे पर जाने वाले अधिकारियों को यह देखना चाहिये कि प्रथम दौरे के अन्तर्गत जो त्रुटियां, कठिनाइयाँ एवं समस्यायें थीं, वह समाप्त हो गईं या नहीं। इससे पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों के तबादले के बावजूद भी पर्यवेक्षण का कार्य होता रहेगा।

दौरे के अन्तर्गत ध्यान देने योग्य बातें

१—गाँव, खन्ड, जिला योजनाएं—इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की भलीभांति समीक्षा की जानी चाहिए तथा यदि कोई संशोधन हो, उसे भी सुझाव रूप में रखना चाहिए। इस अंग को आन्दोलन के लिये विशेष रूप में चुना गया है।

२—प्रदाय (सप्लाईज):—

(अ) बीज

(ब) कीटनाशक औषधियां

(स) सिंचाई का पानी

(द) उर्वरक एवं खाद

(इ) कृषि-यंत्र

३—संगठनात्मक नियोजन :—

(अ) प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्त्तव्य जिससे कि वह समझ सके कि उसे क्या करना है।

(ब) विभिन्न विभागीय कर्मचारियों के बीच समीकरण।

४—उन्नत कृषि विधियों का प्रदर्शन।

५—सिंचन-साधनों का सदुपयोग।
(विशेष कार्यक्रम एवं प्रगति का अवलोकन करना चाहिए)

६—गूलों का निर्माण।

७—ऋण (देय) की प्राप्ति—कृषि एवं सहकारिता।

८—सहकारी ऋण तथा इनका कृषि प्रदायों (सप्लाइज़) से सम्बन्ध।

९—ध्यान देने योग्य त्रुटियाँ।
१०—वैयक्तिक कठिनाइयां।
११—क्षेत्रीय कर्मचारियों की प्रतिक्रिया।
१२—किसानों एवं अन्य व्यक्तियों की प्रतिक्रिया।

बैठकों में भाग लेना आवश्यक

सभी पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों को खंड कर्मचारियों की अधिक से अधिक बैठकों में यथा संभव सम्मिलित होना चाहिए। आन्दोलन संबंधी बैठकों, कृषि एवं उत्पादन समिति की बैठकों एवं गांव सभा की बैठकों में जाकर वहाँ की स्थानीय समस्याओं पर कर्मचारियों का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसी बैठकों में भाग लेने का लाभ यह होगा कि सभी कर्मचारी एक स्थान पर मिल सकेंगे तथा पथप्रदर्शन योग्य अपनी अपनी स्थानीय समस्याओं का हल पा सकेंगे।

आन्दोलन में गति

चालू किये जाने वाले आन्दोलन के लिये शीघ्र निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये स्थानीय समस्याओं को स्थान विशेष पर ही हल करने की कोशिश की जानी चाहिए तथा केवल उन्हीं समस्यांओं को ही मुख्यालयों पर सूचित करना चाहिए जोकि क्षेत्रीय या जिला स्तर पर हल नहीं की जा सकतीं।

पर्यवेक्षण में समीकरण

कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिये आन्दोलन एक संयुक्त प्रयास है जिसमें विभिन्न विभागों सहित कतिपय प्रतिकारक (फैक्टर्स) सम्मिलित हैं। इस कारण पर्यवेक्षण में घनिष्ठ समीकरण आवश्यक है जिसके न रहने पर एक विभाग द्वारा किये गये सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हो सकते हैं।

प्रत्येक विभाग द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य इस भांति आरम्भ करना है जिससे कि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के बीच घनिष्ठ संगठनात्मक एवं संयुक्त संबंध विकसित हो सकें। सभी विभागों के क्रियाकलाप कृषि-उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक दूसरे के पूरक होने चाहिए।

स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी

कार्यक्रम के निष्पादन की सभी जिम्मेदारी जिला स्तर पर अन्तरिम जिला परिषद की, खंड स्तर पर बी० डी० सी० की तथा ग्राम-सभा स्तर पर ग्राम पंचायत की होगी। ये संस्थायें क्रमशः अपने संबंधित निष्पादन समितियों जैसे जिला परिषद् की नियोजन समिति, बी० डी० सी० की कृषि एवं उत्पादन समिति, गांव सभा की कृषि एवं उत्पादन समिति द्वारा कार्य करेंगे।

सभी अधिकारियों को चाहिए कि वे प्रभावशाली ढंग से इन संस्थाओं के नेताओं को परामर्श, निर्देशन एवं प्रशिक्षण दें जिससे कि वे कार्यक्रम में अधिक से अधिक अपना सहयोग दे सकें।

कृषि, सहकारिता, सिंचाई विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों का यह कर्त्तव्य हो जाना चाहिए कि वे जिला परिषद् के अध्यक्षों से मिलें, अपने जिलों के कार्यक्रमों पर विचार करें, उन्हें कर निर्धारण संबंधी सूचना दें तथा लक्ष्य की पूर्ति हेतु उनका पथ-प्रदर्शन करें।

जिला स्तर के अधिकारियों को भी बी० डी० सी० (क्षेत्र समिति) के प्रमुख के संबंध में उसी भांति कार्य करना है।

———

अध्याय ४

उन्नत बीज प्रसार योजना

नियोजन कार्यक्रम (एक्शन प्रोग्राम)

(अ) जिला कृषि अधिकारियों द्वारा

(१) जहां पर खन्ड बीज प्रसार फार्म नहीं है, वहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मों का खन्ड फार्मों के रूप में कार्य करने के लिये चुनाव।

(२) खंड फार्म (खंड बीज प्रसार फार्म या रजिस्टर्ड फार्म) पर वृद्धि एवं बोआई के लिये संबंधित प्रदेशीय यांत्रिक फार्म से मूल (न्यूक्लियस) बीज का प्रदाय एवं प्राप्त करना।

(३) प्रेषित योजना के पृष्ठ ६ पर दी गई शर्तों के अनुसार प्रत्येक खंड में रजिस्टर्ड उत्पादकों का चुनाव। रजिस्टर्ड उत्पादकों की खंडवार सूची, जिला मुख्यालयों पर एक रजिस्टर के रूप में रखी जानी चाहिए।

(४) खंड यूनियनों से 'ए' श्रेणी के रबी के बीजों के लिये 'इन्डेन्ट्स' का संग्रह तथा उस आधार पर आधारी बीजों की आवश्यकताओं की गणना।

(५) खंड फार्म से रजिस्टर्ड फार्मों तक आधारी बीजों के वितरण के लिये प्रबन्ध। जहाँ पर एक फार्म द्वारा बीज प्रसार का कार्य नहीं किया जा रहा है, वहां पर यदि संभव हो सके तो रजिस्टर्ड उत्पादकों को मूल बीज देने के संबंध में कोशिश की जानी चाहिए।

(६) संबंधित खंड में उगाई जाने वाली फसलों के संबंध में बीज फार्मों के सस्योत्पादन प्रतिरूप संबंधी अंतिम निर्णय देना।

(ब) खंड विकास अधिकारियों द्वारा

(१) योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिये बी० डी० सी० की बैठक बुलाना जिससे कि संबंधित गांव शुद्ध बीजों की पूर्ति के संबंध में बीज गोदाम जैसी अन्य एजेन्सियों से स्वतंत्र रह सकें तथा सविस्तार योजना पर विचार करना।

(२) स्थानीय संस्थाओं की बैठकें करना तथा उनमें निम्नलिखित बातों पर विचार करना एवं उनसे संबंधित निर्णय देना:—

१—यह जानना कि गाँव पंचायत, ग्राम बीज सहायकों द्वारा उन्नत बीज प्रसार योजना के कार्यान्वयन हेतु इच्छुक है अथवा नहीं।

२—यदि ऐसा है तो योजना या तो कृषि एवं उत्पादन समिति के जरिये स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा चालू की जायगी या सेवा सहकारिता द्वारा।

३—ग्राम-बीज सहायकों का चुनाव (खंड के मुख्यालयों पर एक रजिस्टर के रूप में ग्राम बीज सहायकों की गाँववार सूची रखी जानी चाहिए)।

४—उन शर्तों को तय करना जिन पर प्रत्येक ग्राम बीज सहायक किसानों को उन्नत बीजों का वितरण करेगा।

५—ग्राम बीज सहायकों को बीज दिलाने के लिये प्रबन्ध करना तथा ग्राम बीज सहायकों द्वारा इसकी वृद्धि कराना।

अध्याय ५

उर्वरकों एवं खादों का वितरण

रबी १९६१-६२ के लिये निम्नलिखित उर्वरक उपलब्ध होंगे—

१-(अ) अमोनियम सल्फेट सिन्द्री (२०.६ प्रतिशत एन)
   (ब) अमोनियम सल्फेट इम्पोर्टेड (२०.४ प्रतिशत एन)
   (स) अमोनियम सल्फेट बाइप्रोडक्ट (२०.४ प्रतिशत एन)

२–यूरिया (४४-४६ प्रतिशत एन)
३–अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट (२५.२६ प्रतिशत एन)
४–कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (२०.२ प्रतिशत एन)
५–चिलियन नाइट्रेट (१६ प्रतिशत एन)
६–अमोनियम नाइट्रेट (३३ प्रतिशत एन)
७–अमोनियम क्लोराइड (२५.२६ प्रतिशत एन)
८–सुपर फास्फेट (१६ प्रतिशत पी२ ओ ५)
९–अमोनियम फास्फेट (११ प्रतिशत एन, ४८ प्रतिशत पी २ ओ ५)
१०–नाइट्रो फास्फेट (२० प्रतिशत एन, २० प्रतिशत पी २ ओ ५)
११–उर्वरक मिश्रण नं० १ (१६ प्रतिशत एन, ९ प्रतिशत पी २ ओ ५)
१२– ,, ,, ,, २ (१२ प्रतिशत एन, ६ प्रतिशत पी २ ओ ५)
१३– ,, ,, ,, ३ (१२ प्रतिशत एन, ६ प्रतिशत पी२ ओ५, ६ प्रतिशत के२ओ)

यह तय किया गया है कि नत्रजनीय उर्वरकों के दो तिहाई भाग का वितरण उर्वरक मिश्रणों के रूप में तथा शेष एक तिहाई का सीधे उर्वरकों के रूप में होगा। इसका यह भी तात्पर्य होगा कि उर्वरक मिश्रण एवं सुपरफास्फेट का प्रयोग 'बेसल ड्रेसिंग' के लिये तथा केवल उर्वरकों का 'टापड्रेसिंग' के लिये किया जायगा।

उर्वरक मिश्रण प्राइवेट फर्मों तथा सहकारी समितियों द्वारा वितरित एवं तैयार किये जायेंगे। प्राइवेट फर्म विक्रय एवं संग्रह हेतु स्वतः प्रबन्ध करेगी। सुपर फास्फेट शुद्ध रूप में

तथा मिश्रण के रूप में वितरित किया जायगा। शुद्ध रूप में सभी दालदार फसलों विशेष कर मटर एवं चना में इसका प्रयोग 'बेसल ड्रेसिंग' के तौर पर किया जाना चाहिए।

प्राइवेट फर्मों को भी मिश्रण के रूप में २५ प्रतिशत नत्रजन अमोनियम सल्फेट द्वारा एवं नये उर्वरकों के बेचने हेतु बिक्री केन्द्रों के खोलने की अनुमति दी जा रही है।

प्रत्येक खंड विकास अधिकारी को चाहिए कि वह मौजूदा बिक्री केन्द्रों एवं खोले जाने वाले नये बिक्री केन्द्रों का अवलोकन करें तथा खोलने का निश्चय करें। उसे शीघ्र ही जिला नियोजन अधिकारी के पास इन संशोधित सूचियों को स्वीकृति के लिये भेज देना चाहिए। खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित विभिन्न उर्वरकों का कुछ न्यूनतम स्टाक वर्षा आरम्भ होने से पहले इन केन्द्रों में से प्रत्येक पर होना चाहिए।

बेसल ड्रेसिंग

विभिन्न फसलों की बेसल ड्रेसिंग के लिए उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रायें प्रयोग में लाई जावें :—

१—उत्तर प्रदेशीय ढंग से गेहूँ की खेती—उर्वरक मिश्रण नं० १—१ बोरी

या

उर्वरक मिश्रण नं० २—१॥ बोरी

२—उत्तर प्रदेशीय ढंग से जौ की खेती—प्रति एकड़ ११० पौंड नाइट्रो फास्फेट।

नोट— उन खेतों में जिनमें हरी खाद दी गई है, उपरोक्त मात्रा आधी की जा सकती है।

३—चना एवं मटर—केवल सुपरफास्फेट के रूप में २२ पौंड पी २ ओ ५ प्रति एकड़ (लगभग २ मन सिंगल सुपरफास्फेट)

या

आधा मन अमोनियम फास्फेट

४—अक्तूबर में बोया गया गन्ना—उर्वरक मिश्रण नं० १—२ बोरी

या	या

आलू की मुख्य फसल	उर्वरक मिश्रण नं० २—३ बोरी

या प्रति एकड़ २२० पौंड नाइट्रो फास्फेट

टापड्रेसिंग

सिर्फ उन खेतों में जिनमें हरी खाद नहीं दी गई है; टापड्रेसिंग का कार्य शुरू किया जाना चाहिए। फिर भी खाद की मात्रा प्रति एकड़ ५ किलोग्राम (११ पौं०) नत्रजन से अधिक नहीं होनी चाहिए। टापड्रेसिंग के लिये अमोनियम सल्फेट (यदि उपलब्ध हो), यूरिया, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, चिलियन नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जा सकता है।

गाँव एवं खंड योजनाओं के आधार पर उपरोक्त उर्वरकों एवं मिश्रणों की बीज गोदाम एवं जिलेवार आवश्यकताओं का अतिरिक्त जिला धीश (नियोजन)। जिला नियोजन अधिकारी। जिला कृषि अधिकारियों, जिला सहकारी अधिकारियों तथा खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठकर पता लगाया जाय। यदि कोई अतिरिक्त आवश्यकतायें हों तो उनके लिये इन्डेन्ट्स भी शीघ्र ही भेजना चाहिये।

अन्तरिम जिला परिषद् की नियोजन समिति से यह प्रार्थना है कि वह विशेष रूप से इस बात का ध्यान रक्खे कि जब तक गेहूँ व जौ में मिश्रण नं० १ या उर्वरक मिश्रण नं० २ (यदि उपलब्ध हो) न डाला जाय तब तक उन खेतों को उत्तर प्रदेशीय ढंग के अन्तर्गत सम्मिलित न किया जाय।

यह विशेष रूप से प्रार्थना की जाती है कि सभी सिंचित क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी कम से कम प्रति एकड़ ३० मन गेहूं एवं जौ की तथा २०-२५ मन मटर एवं चना की उपज प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ विभिन्न फसलों के लिये कृषि विधियों की सूची तैयार करें। विकास आयुक्त ने खाद्य उत्पादन आन्दोलन में उर्वरकों की खपत बढ़ाने की आवश्यकता को बताते हुए जिलाधीशों को पहले ही लिखा है। सिंचन साधनों के अधिकतम सदुपयोग से यह अनुमान किया जा सकता है कि सिंचन पानी का प्रयोग उक्त कृषि विधियों के लिये परम लाभकारी होता है। आगरा, बरेली एवं मेरठ क्षेत्रों में अमोनियम सल्फेट का वितरण धीरे-धीरे कम किया जा रहा है तथा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का वितरण बढ़ाया जा रहा है। किसी नये प्रकार के नत्रजनीय उर्वरकों के प्रति पक्षपात विकसित नहीं होने देना चाहिए तथा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों में मौजूद आवश्यक पदार्थों के संबंध में तथा विभिन्न फसलों के लिये प्रयोग की विधियों के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिये कोशिश की जानी चाहिए।

उर्वरकों के लिये तकावी देने का कार्यः—यह छाया क्षेत्रों तथा सक्रिय खंडों में उन गाँवों तक जहाँ समितियाँ नहीं हैं, सीमित रहना चाहिए। उर्वरकों के लिये किसी भी व्यक्ति को ५० रु० से अधिक की स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में जिलाधीश ७० रु० तक की स्वीकृति दे सकते हैं। नये उर्वरकों, उर्वरक मिश्रणों एवं सुपर फास्फेट के प्रचलन हेतु जिलाधीश सक्रिय एवं छाया क्षेत्र, दोनों में सीमित परिमाण तक उर्वरकों के लिये तकावी दे सकते हैं।

सहकारी ऋण के साथ उर्वरक वितरण का संबंध

उर्वरकों के वितरण के साथ सहकारी ऋण का संबंध जोड़ने हेतु पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिये प्रत्येक खंड को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

प्रत्येक खंड में सहकारी सुपरवाइजरों की बैठक बुलाना वांछनीय है और ए० डी० ओ० (सहकारिता) को चाहिए कि वे उत्पादन लक्ष्यों के लिए सहकारी ऋण का सदुपयोग करने के संबंध में उन्हें पथ प्रदर्शन करें।

प्रदर्शन

गांवों में नये उर्वरकों के प्रचलन हेतु प्रदर्शन का उपयुक्त कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और इस प्रकार से किये गये सफल प्रदर्शनों के दृश्यदर्शन का कार्य भी गहन रूप से चलाया जाय। यह कार्य विशेषकर उस अवस्था में चलाया जाय जब प्रदर्शनों के प्रत्येक उपचार में बहुत ही साफ अन्तर दिखाई पड़े।

———

अध्याय ६

अल्प सिंचाई योजना एवं अन्य विद्यमान सिंचाई साधनों का समुचित प्रयोग

अल्प सिंचन कार्य दो श्रेणियों के हैं:—

(अ) प्रदेशीय कार्य जिसमें नहरें एवं नलकूप सम्मिलित हैं।

(ब) पक्के कुएं, पम्पिंग प्लाट आदि जैसे वैयक्तिक कार्य।

प्रदेशीय अल्प सिंचन कार्यों का निर्माण एवं मरम्मत सिंचाई विभाग द्वारा होती है लेकिन विद्यमान सिंचन-साधनों का सदुपयोग किसानों के ऊपर निर्भर करता है।

२. विकास कर्मचारियों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले अल्प सिंचन कार्यक्रम का वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से किया जा सकता है :—

(अ) जो कार्य श्रमदान से कराये जा सकते हैं:—

१-सिंचाई के लिये नई गूलों का बनाना।

२-प्राचीन गूलों की सफाई एवं मरम्मत।

३-तालाबों को गहरा करना।

(ब) जो कार्य श्रमदान द्वारा नहीं हो सकते :—

१-पक्के कुओं का निर्माण।

२-पुराने पक्के कुओं की मरम्मत एवं तालाबों का पक्का करना।

३-पुराने एवं नये कुओं की बोरिंग।

४-रहट लगवाना।

५-बुन्देल खंड एवं अन्य क्षेत्रों में बंधियों का निर्माण एवं मरम्मत।

६-वैयक्तिक नलकूप।

७-पहाड़ी जिलों में गूल एवं तालाब बनवाना।

(१) सिंचाई के लिये नई गूलों का निर्माण :—

उन क्षेत्रों में जहाँ पर नयी सिंचाई की व्यवस्था की गई है, श्रमदान द्वारा खेत में गूल बनवाने का कार्य किया जाय। नहरों के निकास की सूची जिन पर नई गूलों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार की जानी चाहिए तथा वहाँ से उसकी प्रति जिला नियोजन अधिकारी के पास भेजी जानी चाहिए जोकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पथ प्रदर्शन में तथा उनकी सहायता से यथा-संभव खेतों में सीमा निर्धारित पंक्ति बद्ध नहरों की सर्वोत्तम व्यवस्था करेंगे। यह आवश्यक है कि सिंचाई विभाग के कुछ अधिकारी नियोजन विभाग के अधिकारियों को नहरों की सर्वोत्तम पंक्तिबद्ध व्यवस्था को बताने के लिये उस स्थान पर उपलब्ध हों तथा नमूना भी उनकी उपस्थिति में ही बनाया जाय। एक बार पंक्तिबद्ध व्यवस्था निर्धारित हो जाने तथा-नमूना बन जाने पर यह नियोजन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे श्रमदान द्वारा गूलों का निर्माण करायें।

(२) पुरानी गूलों की सफाई एवं मरम्मत:—नयी गूलों की सूची के साथ-साथ सिंचाई विभाग द्वारा सफाई एवं मरम्मत की जाने वाली उन सभी गूलों की सूची तैयार की जानी चाहिये तथा उसे संबंधित जिला नियोजन अधिकारी के पास भेज देनी चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण है कि उपरोक्त सूची रबी आन्दोलन शुरू होने के पहले ठीक समय में भेजी जाय। जिला नियोजन अधिकारी गाँव सभावार सूची बनावेंगे तथा आन्दोलन शुरू होने के पहले खंड विकास अधिकारी के जरिये ग्राम सभा के प्रधानों एवं ग्राम सेवकों, पंचायत सचिवों को दे देंगे। प्रत्येक ग्राम सभा को प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली गूलों की आवश्यक सफाई एवं मरम्मत करायें।

(३) गाँव के तालाबों को गहरा करना:—गहरे किये जाने वाले तालाबों की सूची, कृषि कार्य समिति के सहयोग से ग्राम सभावार, प्रत्येक खंड द्वारा तैयार की जानी चाहिए तथा उसे प्रधान को दे देना चाहिए जोकि आन्दोलन के अन्तर्गत तालाबों की सफाई के लिये जिम्मेदार होंगे।

श्रमदान द्वारा किये गये कार्य की प्रगति का उल्लेख आन्दोलन की प्रगति रिपोर्ट में होना चाहिए।

३. वैयक्तिक अल्प सिंचाई कार्यों के निर्माण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी व्यक्ति विशेष एवं गांव सभा पर होगी। पक्के कुओं का निर्माण, उपेक्षित कुओं की सफाई, पक्के कुओं की बोरिंग, रहट लगाना तथा बुन्देलखंड, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जिलों में बंधियों के निर्माण संबंधी कार्य, इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

उपरोक्त कार्य वैयक्तिक रूप में या लाभ की आकांक्षा रखने वाली सहकारी समितियों द्वारा अपने साधनों के द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार भी तकावी ऋण की सहायता देती है। ऋण जी० एम० एफ० फन्ड से तथा योजना वाले ब्लाक फंडों से प्राप्त होते हैं। इस कार्य के लिये लगने वाली सामग्री की सूची के साथ-साथ प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा उपलब्ध फंडों के सदुपयोग का कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। जिला नियोजन अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे फंड को एक खंड से दूसरे खंड में दे सकते हैं। यदि किसी जिले में अतिरिक्त फंड की आवश्यकता हो, तो उसकी मांग मुख्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

सभी अल्प सिंचाई कार्यों की सूची, जिसमें श्रमदान एवं अन्य कार्य सम्मिलित हैं, ग्राम सभावार तैयार की जानी चाहिए तथा आन्दोलन शुरू होने पर उसे सूचना केन्द्र के सामने टाँग देना चाहिए। आन्दोलन की क्रमशः प्रगति होने पर प्रत्येक कार्यक्रम के सामने उपलब्ध की गई प्रगति को लिख देना चाहिए।

४. सिंचाई के पानी का आवश्यकतानुकूल सदुपयोगः—

उपलब्ध प्रदायों एवं वर्तमान साधनों के सदुपयोग के लिये निम्नांकित बातें ध्यान देने योग्य हैं :—

(१) विशेषकर बुन्देलखंड में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सिंचाई का पानी, क्यारियां न होने के कारण पूरे खेत में बहता रहता है। इससे केवल पानी की ही बर्बादी नहीं होती, बल्कि सिंचाई से जो अन्य लाभ होते हैं, वह भी पूरी तौर से नहीं हो पाते हैं जिससे उपज कम हो जाती है। यह क्षेत्रीय कर्मचारियों का कर्त्तव्य है कि वे उचित प्रदर्शनों द्वारा क्यारियाँ बनाने की आवश्यकताओं पर बल दें तथा खेतों को समतल करने तथा प्रत्येक फसल के लिये जरूरत भर पानी की मात्रा का प्रयोग करने के लिये किसानों को प्रभावित करें।

(२) चौराहों पर तथा निचले हिस्सों में गूलों से पानी की बर्बादी को रोकने के लिये विशेष सावधानी बर्तना चाहिए।

(३) नलकूपों से पानी प्राप्त करने के लिये किसानों को चाहिए कि वे पूरे खेत में पूरी लम्बाई के 'वरहों' का निर्माण करें जिससे सभी पानी का, जिसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है, उपयोग हो सके।

(४) रात के समय में भी नलकूप के पानी के समुचित प्रयोग का प्रबन्ध होना चाहिए जिससे कि नलकूप सुचारु रूप से चल सके।

५. अस्थायी निकासों की मंजूरी

आगामी रबी फसल के लिये आवश्यक अस्थायी निकासों के लिये प्रार्थना पत्रों को इकट्ठा किया जा सकता है तथा उन्हें खंड के कृषि-उत्पादन समिति की सिफारिशों के साथ इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास भेजा जा सकता है। ऐसी सभी सूची सिंचाई अधिकारियों को ठीक समय पर उपलब्ध हो जानी चाहिए जिससे कि वे उच्च अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने तथा रबी की फसल शुरू होने के पहले ठीक जगह पर निकासों को निश्चित करने में समर्थ हो सकें। स्वीकृत निकासों की सूची की एक प्रति, जिला नियोजन समिति (डी० पी० ओ०) के सचिव के पास भेज देनी चाहिये।

६. नहरें बनाने की सूची

नहरें बनाने की सूची तैयार की जा सकती है तथा उसे अग्रिम रूप में यथासंभव कार्यकारिणी (इक्जीक्यूटिव) इन्जीनियर द्वारा उप विकास आयुक्त/ सहायक विकास आयुक्त/ डी० एस० / जिला नियोजन अधिकारियों एवं कृषि उपनिदेशक के पास भेजा जा सकता है जिससे कि ठीक समय पर फसलों की बुआई के लिये योजनायें तैयार की जा सकें।

७. सिंचन-कर्मचारियों का प्रशिक्षण

प्रत्येक जिला एवं खंड में रबी आन्दोलन के कार्यक्रमों (जिसमें कि सिंचाई कर्मचारी सहायक हो सकते हैं) एवं उन्नत कृषि विधियों के बारे में जानकारी देने के लिये क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये।

संबंधित सिंचाई अधिकारियों के परामर्श से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक जिले में तय हो जाना चाहिए। सिंचन अधिकारी यह विश्वास दिलायेंगे कि उनके कर्मचारी निर्धारित समयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये उपस्थित होंगे।

सामान्यः—

सिंचाई विभाग के कार्यकारिणी (इक्जीक्यूटिव) इंजीनियर इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि सिंचाई, कृषि एवं नियोजन विभागों के अधिकारियों के बीच सभी स्तर पर

निरन्तर सम्पर्क बना रहे। वे यह भी विश्वास दिलायेंगे कि उनके प्रतिनिधि जोकि विभिन्न कार्यवाही-समितियों के सदस्य हैं, बैठकों में नियमपूर्वक सम्मिलित होंगे तथा बैठकों में विचार की गई महत्त्वपूर्ण समस्याओं की जो कि स्थानीय स्तर पर हल नहीं की जा सकतीं, रिपोर्ट देंगे।

सुपरिन्टेन्डेंटिंग इंजीनियर एवं कृषि उप निदेशक, महत्त्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करने तथा प्रत्येक जिले में वर्तमान सिंचन सुविधाओं की प्रणालियाँ विकसित करने के लिये परस्पर सम्पर्क बनाये रखेंगे।

नयी योजना या प्रथम और द्वितीय योजनाओं से संबंधित प्रत्येक इक्जीक्यूटिव इंजीनियर को चाहिए कि वह सिंचाई प्रगति के अन्तर्गत, महीने में एक बार या अन्य समयों में २ माह में कम से कम १ बार ऐसी योजना या कार्यकारिणी इंजीनियर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं से संबंधित जिला कृषि अधिकारियों एवं जिला नियोजन अधिकारियों की बैठक बुलावे तथा पानी के सदुपयोग के संबंध में जो कठिनाइयाँ एवं समस्यायें हैं, उनका समाधान करे। कार्यकारिणी इंजीनियर प्रत्येक नहर एवं नलकूप पर हुई सिंचन-प्रगति की सूचना दोनों अधिकारियों को देगा। वह यह भी सूचित करेगा कि आगामी मास में पानी किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। नहरों की दशा में प्रत्येक विशिष्ट निकास पर तथा नलकूपों की हालत में प्रत्येक विशिष्ट नलकूप पर पानी के सदुपयोग की सावधानी पूर्वक परीक्षा की जानी चाहिए तथा औपचारिक क्रियायें सम्पन्न की जानी चाहिए। आगामी वर्षों के लिये लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए तथा उनकी पूर्ति के संबंध में विचार विमर्श होना चाहिए। जिला कृषि अधिकारी एवं जिला नियोजन अधिकारी भी अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्त सफलताओं की रिपोर्ट देंगे। कार्यकारिणी इंजीनियर अपने सुपरिन्टेन्डेन्टिंग इंजीनियर के सामने आवश्यकता पड़ने पर आदेश एवं सूचनार्थ, प्रत्येक बैठक की ठोस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा बैठक के एक सप्ताह के अन्दर उसकी एक प्रति विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास भेजेंगे।

रबी एवं खरीफ आन्दोलनों की बैठकों में जिला अधिकारियों द्वारा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियाँ प्रारंभ की जा सकती हैं। इन बैठकों में कार्य कारिणी इंजीनियर की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। वे अपना प्रतिनिधि उस बैठक में भेज सकते हैं।

सुपरिन्टेन्डेंटिंग इंजीनियरों को चाहिए कि वे विभिन्न ढंगों से सिंचन साधनों के सदुपयोग की प्रगति पर विचार विमर्श करने एवं उनकी वृद्धि के लिये कदम उठाने हेतु

प्रत्येक फसल के बाद प्रत्येक ६ माह में एक बार सभी कृषि उप निदेशकों, संबंधित संयुक्त/उप/सहायक विकास आयुक्तों एवं कार्यकारिणी इंजीनियरों की बैठक बुलावें। सुपरिन्टेन्डेंटिंग इंजीनियरों द्वारा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों की प्रतियाँ विकास आयुक्त, कृषि निदेशक, सुपरिन्टेम्डेंटिंग इंजीनियर (खोज एवं नियोजन क्षेत्र, लखनऊ) एवं प्रमुख इंजीनियर के पास भेजी जानी चाहिये।

अध्याय ७

रबी आन्दोलन के सम्बन्ध में

फसल सुरक्षा कार्य का संगठन

प्रत्येक जिले में अब एक फसल सुरक्षा संगठन है। इस संगठन को चाहिए कि वह रबी मौसम में पाये जाने वाले कीड़े एवं बीमारियों तथा अपने स्टाक की परिस्थिति पर सावधानी पूर्वक विचार करे। खंड सलाहकार समिति के सदस्यों, प्रमुख ग्राम सहायकों, ग्रामसेवकों एवं सहायक विकास अधिकारियों को फसल सुरक्षा के अन्तर्गत रबी फसल की सामान्य बीमारियाँ, दीमक एवं गुंजिया जैसे कीटों की रोकथाम के संबंध में प्रत्येक जिला द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया जाय।

प्रत्येक खंड में कीटनाशक औषधियों के विक्रय के लिये विक्री केन्द्र खोलने हेतु महत्वपूर्ण फसल सुरक्षा फर्मों को उत्साह प्रदान किया जाना चाहिए। प्रत्येक केन्द्र में कम से कम एक विक्री केन्द्र खोलने के दृष्टिकोण से फर्मों के साथ कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

यदि प्राइवेट फर्में किराये पर मशीन इत्यादि चाहती हैं तो उनसे आवश्यक अग्रिम धन जमा रखने के बाद मशीनें इत्यादि दी जा सकती हैं। डाकखाना या बैंक में सेविंग बुक एकाउन्ट के रूप में जमानत ली जा सकती है। निम्नांकित दरों पर ये चीजें दी जा सकती हैं :—

१—हैंड डस्टर	प्रति दिन १२ न० पै०
२—हैंड एन्ड फुट स्प्रेअर	,, ,, १६ ,,
३—पावर स्प्रेअर एन्ड डस्टर	,, ,, १ रुपया
४—चूहों को धुआं देने वाला पम्प	,, ,, १० न० पै०

प्रत्येक खंड में कीड़ों एवं बीमारियों की रोकथाम के संबंध में प्रदर्शन करने के लिये एक योजना भी तैयार की जाय तथा उसको पूरा भी किया जाय।

सीधे फसल सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा या फसल सुरक्षा फर्मों द्वारा किये गये कार्यों की रिपोर्ट प्रगति प्रतिवेदन में होना चाहिए।

कीड़ों एवं बीमारियों की रोकथाम के संबंध में सरकार द्वारा किये जाने वाले कृषि-रक्षा कार्यों की सूची एवं उनसे वसूल की जाने वाली दरें परिशिष्ट (घ) में दी गई हैं।

अध्याय ८

रबी आन्दोलन कार्यक्रमों की पूर्ति में

विभिन्न विकास विभागों का सहयोग

यह आन्दोलन सभी विकास विभागों का संयुक्त कार्यक्रम है। यह अधिकतम उत्पादन में वृद्धि के लिये संयुक्त प्रयास द्वारा कुछ चुने हुए वर्तमान विभागीय कार्यक्रमों की तीव्रता की तरफ संकेत करता है। सामान्य लक्ष्य अधिक खाद्य का उत्पादन करना है।

रबी आन्दोलन में विभिन्न विभागों को सौंपे गये कार्य निम्नांकित हैं:—

कृषि

१—आन्दोलन के कार्यक्रमों से संबंधित प्राविधिक पथ प्रदर्शन का प्रबन्ध करना।

२—विकास क्षेत्रों का अचानक निरीक्षण करना तथा उसमें सुधार के सुझाव देना।

३—कृषि बीज भंडारों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु प्रबन्ध करना।

४—सहकारिता विभाग से, उनके बीज भंडारों से आवश्यक वस्तुयें वितरण करने के लिये सम्पर्क स्थापित करना।

५—हरी खाद एवं खरीफ के बीजों की खरीद करना।

६—सफल किसानों द्वारा किये गये कृषि कार्यों का विवरण तैयार करके प्रकाशनार्थ भेजना।

७—आन्दोलन को सफलतापूर्वक चलाने के लिये उसके ऊपर कुछ लिखित सामग्री का प्रबन्ध करना।

८—सिंचाई के साथ कृषि-उत्पादन में समुचित समन्वय हेतु, सिंचाई एवं नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त दौरा करना।

९—कृषि-उत्पादन के साथ सहकारी ऋण के समुचित समन्वय हेतु तथा वितरण

सम्बन्धी कठिनाइयों को हल करने के लिये सहकारी विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त दौरा करना।

पशुपालन

गाँवों में तथा पशु-चिकित्सालयों के चारों तरफ तथा प्रधान गांव खंडों में चारे की फसलों एवं घासों का विकास करना।

प्रान्तीय रक्षा दल

१—रबी आन्दोलन के लिये युवक क्लबों को तैयार करना। उद्यान योजनाओं को अपनाने के लिये सदस्यों की सहायता करना।

२—विशेष रबी आन्दोलन कार्यक्रमों को जैसे डिब्लिंग इत्यादि को युवक मंगल दल के सदस्यों द्वारा करवाना।

३—भूमि संरक्षण कार्यों के लिये प्रत्येक विकास खन्ड में १००-१५० एकड़ वाले ब्लाकों को चुनना।

सहकारिता

१—कृषि विभाग की सलाह के आधार पर उर्वरक, कीटनाशक दवाओं इत्यादि को नकद मूल्य पर बेचना व बीज इत्यादि का प्रबन्ध करना।

२—क्षेत्रीय विकास खंडों का अचानक पर्यवेक्षण (चेकिंग) करना।

३—कृषि उत्पादन के साथ सहकारी ऋण के समन्वय एवं वितरण के प्रबन्ध हेतु कृषि विभाग के साथ आवश्यक सम्पर्क बनाये रखना।

४—सेवा सहकारी समितियों का संगठन।

५—सहकारी ऋणों का भुगतान करना।

६—स्थानीय समस्याओं के हल हेतु कृषि एवं नियोजन विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त दौरा करना।

७—किसानों के कृषि उत्पादन के विक्रय-हेतु योजनानुसार मार्केटिंग समितियों को संगठित करना।

८—उपयुक्त समय में किसानों की आवश्यकताओं के लिये ऋण का प्रबन्ध करना।

९—निष्क्रिय एवं निर्जीव समितियों को सक्रिय बनाना जिससे कि वे रबी आन्दोलन में सहायक सिद्ध हो सकें।

१०—सभी सहकारी समितियों के सदस्यों के लिये उत्पादन योजनाएँ तैयार करना।

११—सहकारी संस्थाओं के कार्यों की उचित देख भाल करना जिससे कि पूर्ति में बाधा न पहुँचे।

१२-अंश पूंजी (शेअर कैपिटल) एवं सदस्यता को बढ़ाना।

राज्य कर (रेवेन्यु)

१-तकावी प्रार्थना पत्रों को ठीक समय पर प्रमाणित करने के लिये उचित प्रबन्ध करना क्योंकि यदि प्रमाणित होने में देर हो जाती है तो तकावी संबंधी कोई भी कार्य समुचित रूप से नहीं चल सकता।

२-सब-डिवीजनल अधिकारियों द्वारा छाया क्षेत्रों में आन्दोलन कार्यों का पथ-प्रदर्शन करना बहुत ही आवश्यक है।

सूचना

१-आन्दोलन कार्यक्रमों का अधिक से अधिक प्रचार करने का प्रबन्ध करना।

२-उत्साही एवं श्रेष्ठ कृषकों के कार्यों के विवरण तथा जीवनी इत्यादि को विधि-पूर्वक लिख कर साप्ताहिक, मासिक एवं दैनिक पत्रों में प्रकाशित करना।

३-आन्दोलन के आवश्यक प्रचार हेतु कृषि एवं नियोजन विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

शिक्षा

१-रबी आन्दोलन के कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में खंड अधिकारियों को सहायता देना।

२-विद्यालयों के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा साधारण आन्दोलन कार्यक्रम चलाना।

३–यह देखना कि प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों से संबंधित सभी कृषि फार्मों द्वारा आन्दोलन कार्यक्रम अपनाया जाय।

४–आन्दोलन कार्यक्रम के प्रचार हेतु सदस्यों एवं विद्यालयों में कार्य करने वाले युवक दलों द्वारा रसोई वाटिका योजनाओं को अपनाना।

५–उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये कृषि एवं नियोजन विभागों के अधिकारियों के साथ आवश्यक सम्पर्क स्थापित करना।

नियोजन

१–खाद्योत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी विकास विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

२–उसी स्थान पर कठिनाइयां हल करने के दृष्टिकोण से विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त दौरे का प्रबन्ध करना।

३–विकास क्षेत्रों का अचानक निरीक्षण करना।

४–कार्य-प्रगति का अवलोकन करना तथा कार्यवाही समिति की बैठकों में उसे कार्यान्वयन हेतु रखना।

५–पारस्परिक सम्पर्क एवं सहयोग द्वारा विभिन्न विभागों की कठिनाइयों को हल करना।

पंचायत

१–पंचायत कर की वसूली तथा कृषि उत्पादन में सहायक कार्यों के लिये धन का सदुपयोग करना।

२–श्रमदान द्वारा तालाबों की खुदाई करना तथा खाद के लिये तालाब की मिट्टी का सदुपयोग करना।

३–ग्राम सभाओं एवं कृषि कार्य समितियों के जरिये गाँव एवं परिवार सम्बन्धी योजनाओं को तैयार करने में सहायता देना।

४–ग्राम सभाओं एवं कृषि कार्य समितियों के जरिये गाँव एवं परिवार संबंधी योजनाओं को सफल बनाना।

५–कृषि कार्य समितियों की बैठकों में भाग लेकर उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

सिंचाई

१-ठीक समय पर सिंचाई के पानी की व्यवस्था करना।

२-तत्क्षण सिंचाई की कठिनाइयों को हल करने के लिये कृषि एवं नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त दौरा करना।

३-सिंचाई के दृष्टिकोण से कृषि कार्यक्रमों के नियोजन में सहायता देना।

४-काफी पहले जिला नियोजन अधिकारी के पास सूची की प्रतियों को भेजना।

५-आन्दोलन के निष्पादन के पहले सभी सिंचन कार्यों की त्रुटियों को देखना।

६-सिंचाई के पानी के उचित प्रयोग के संबंध में तथा जनता की कठिनाइयां दूर करने के लिये जनता के साथ उचित सम्पर्क बनाये रखना।

गन्ना

१-गन्ना के क्षेत्रों में आन्दोलन के कार्यक्रमों का प्रसार करना।

२-खाद्य फसलों की पूर्ति के संबंध में वितरण का प्रबन्ध करना।

३-पौधों एवं पेड़ी वाले गन्नों की टापड्रेसिंग करना।

फसल सुरक्षा

१-अपने केन्द्रों तथा अन्य बिक्री केन्द्रों पर कीटनाशक मशीनें एवं सम्पूर्ण स्टाक को रखना।

२-विभिन्न विकास क्षेत्रों में मशीनों का निरीक्षण करना और उनके वास्तविक प्रयोग के पहले यह देखना कि मशीनें ठीक रूप से कार्य कर सकती हैं या नहीं।

हरिजन कल्याण

वास्तविक बुआई से पहले ठीक समय पर कृषि एवं सिंचाई योजनाओं के लिये सहायतार्थ दान का सदुपयोग करना।

अध्याय ६

स्कूलों के छात्रों द्वारा अपनाये जाने वाले रबी आन्दोलन के कार्य

(१) रसोई वाटिका

सभी स्कूलों में जहाँ पर भूमि, सिंचाई तथा उसकी रक्षा की सुविधायें हैं या उपलब्ध की जा सकती हैं, आदर्श रसोई वाटिका होनी चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अध्यापक के पथ प्रदर्शन एवं उपस्थिति में, विद्यालयों में स्वतः सभी प्रणालियों को अपनायें एवं उनका निरीक्षण करें। विद्यार्थियों को अपने घरों पर भी सब्जी लगाने को कहा जा सकता है। स्कूलों द्वारा पौध, बीज आदि का प्रबन्ध होना चाहिए। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विधि के लिये समय निर्धारित किया जा सकता है तथा कुछ दिन पहले अग्रिम रूप में विद्यार्थियों के खास प्लाटों में उनके अनुसरणार्थ उसे प्रदर्शित किया जा सकता है।

विकास क्षेत्र बजट में "कृषि प्रसार" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शनों के लिये दी जाने वाली संचित पूंजी की सहायता से बीजों की सप्लाई की जा सकती है।

कार्यक्रम के शिक्षाप्रद मूल्य पर विशेष बल देना है तथा विद्यार्थियों को कतारों में बुआई करने, उचित फासलेवार दूरी रखने, अनुकूलतम खाद देने, ठीक समय पर सिंचाई करने, प्लाटों की बुआई करने तथा ठीक समय पर फसल सुरक्षा प्रणालियों को अपनाने के सम्बन्ध में वैज्ञानिक तरीकों द्वारा खेती करने के लिये उत्साहित करना चाहिए।

जब शाक भाजी की फसलें तैयार हो जांय, उस समय यह वांछनीय है कि सब्जी कार्यक्रमों के लिये स्वीकृत टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, चुकन्दर आदि पैदा करने के लिये एक प्रतियोगिता संगठित की जाय।

(२) पौध लगाना

छात्रों को अपने प्रयासों का परिणाम देखने के लिये अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रकार पपीता, केला एवं नीबू जैसे शीघ्र उगने वाले फलदार पेड़ों को लगाने

का कार्य शुरू कर देना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी, दो पपीते के पेड़ अपने यहाँ लगाये। इस कार्यक्रम को चाहें तो २० प्रतिशत विद्यार्थी तक अपना सकते हैं। स्कूलों को विकास क्षेत्रीय कर्मचारियों की सहायता से अपनी खुद नर्सरियां उगाने एवं विद्यार्थियों को पौधे वितरण करने हेतु सलाह दी जाती है।

शाक भाजी एवं फल उगाने का कार्यक्रम, विद्यार्थियों को कृषि के क्षेत्र में वास्तविक एवं व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये अवसर प्रदान करता है। वे विचार कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं तथा मनोनुकूल स्वतंत्र खेत का प्रबन्ध कर सकते हैं।

(३) डिब्लिंग

डिब्लर के प्रयोग के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को या तो स्कूल, खेत में या किसी किसान के पास वाले खेत में प्रदर्शन द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन बच्चों को तब छोटे-छोटे वर्गों में किसी चुस्त नेता या अध्यापक द्वारा कार्य करने के दृष्टिकोण से संगठित कर देना चाहिये। वे किसानों के खेतों पर जा सकते हैं तथा डिब्लिंग में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों में केवल डिब्लिंग का व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं उपलब्ध होगा बल्कि उनके लिये, निःस्वार्थ भाव से सेवा करने, नेतृत्त्व को विकसित करने तथा संयुक्त रूप से कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। ऐसी छोटी टोलियों द्वारा गत् रबी में प्रशंसनीय कार्य किया गया जिसके फलस्वरूप बच्चों की टोलियों द्वारा बहुत सी भूमि की डिब्लिंग द्वारा बुआई की गई जिसको किसान अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण नहीं कर सकते थे।

अध्यापकों को चाहिए कि वे ऐसी छोटी-छोटी टोलियों का पथ प्रदर्शन करें, पर्याप्त मात्रा में डिब्लर की सप्लाई का प्रबन्ध करें तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार खेत में उनके द्वारा कार्य कराने हेतु योजना बनायें।

(४) प्रचार

आन्दोलन के प्रति जनता का ध्यान दिलाने के लिये प्रचार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आन्दोलन के शुरू होने पर स्कूल प्रभात फेरियों का संगठन कर सकते हैं, जुलूस निकाल

सकते हैं तथा दीवारों पर नारे लिख सकते हैं। ऐसा करने से आन्दोलन राष्ट्रीय कार्य-क्रम के रूप में बदल जायगा। गाँव वाले भी इस कार्यक्रम को अपनाने के लिये उत्साहित हो जायेंगे। छोटे नाटक एवं वार्त्तालाप भी तैयार किये जा सकते हैं तथा स्कूलों या गाँवों में स्टेज पर उनका अभिनय किया सकता है। डिब्लर एवं कुछ विज्ञापन-पत्रों आदि के साथ खेतों पर घूमती हुई विद्यार्थियों की टोलियां उपयुक्त गीतों को गा सकती हैं एवं उच्च स्वर में नारे लगा सकती हैं।

—o—

अध्याय १०

रबी आन्दोलन में सहकारी समितियों के कार्य

खरीफ एवं रबी आन्दोलनों का मुख्य उद्देश्य गाँवों में कृषि उत्पादन के स्तर की वृद्धि करना है। किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिये, एक किसान की वर्तमान परिस्थितियों एवं अधिक उत्पादन प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली उसकी कठिनाइयों पर उचित ध्यान देना आवश्यक है। किसानों के मार्ग में प्रमुख कठिनाई उर्वरकों, बीजों, कृषि यन्त्रों, कीटनाशकों आदि जैसी मुख्य उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में धन का न होना है। इसलिये नकद रूप में ठीक समय पर ऋण का मिलना इन कठिनाइयों के समाधान हेतु बहुत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सहकारी समितियों का यह कर्त्तव्य है कि वे आवश्यक ऋण संबंधी सुविधाओं का प्रबन्ध करें। इस प्रकार सहकारी समितियों को अधिक खाद्य-उत्पादन बढ़ाने की दिशा में किसानों की उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक ऋण की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भाग लेना चाहिए। उत्पादन-योजना के आधार पर किसानों की ऋण संबंधी जरूरतों का वैज्ञानिक रीति से निर्धारण किया जाय। इन उत्पादन योजनाओं के आधार पर उन्हें ऋण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि रबी एवं खरीफ के लिये क्रमशः अलग-अलग ऋण दिया जाय। सहकारी समितियों को चाहिये कि कृषि एवं नियोजन विभागों के प्रसार कार्य कर्त्ताओं के साथ-साथ मिलकर उक्त उन्नत कृषि विधियों को अपनाने हेतु जोर दें। अधिक खाद्य-उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सहकारी समितियों के प्रमुख कार्यों की सूची नीचे दी जा रही है :—

१. ऋण का वितरण

तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उर्वरकों के प्रयोग के ऊपर विशेष बल दिया जा रहा है। इसलिए इन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा उचित रूप से उनका लेखा रखने के दृष्टिकोण से सभी स्तरों पर सावधानी पूर्वक नियोजन एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण का होना आवश्यक है। अनुभवों से यह विदित होता है कि अधिकार-पत्रों पर तथा तकावी परमिट पर उर्वरकों के वितरण के लिए दिए गये निर्देशों का भली भाँति पालन न किये जाने के

कारण कई स्थानों पर काफी अनियमिततायें बरती गई जिसमें काफी समय तक विक्री के लाभों के लेखा का अनियमित रहना सम्मिलित है। इसलिये अधिकार पत्रों पर इनके मौजूदा रूप में उर्वरकों की विक्री को नकद कर देना आवश्यक समझा गया है तथा निम्नांकित पद्धति अपनायी जानी चाहिए :—

(अ) योजनाओं के लिये :—प्रत्येक विस्तृत आकार वाली समितियों, सहकारी समितियों, बहुउद्देशीय एवं ऋण समिति को चाहिए कि वे खरीफ एवं रबी के लिये अलग अलग अग्रिम रूप में सदस्यों की उर्वरकों संबंधी आवश्यकताओं को निश्चित करें। तब उन्हें विपणन समितियों, खंड यूनियनों के विक्री केन्द्रों से उर्वरकों को खरीदने के लिये आवश्यक ऋण प्राप्त करने हेतु रुपया देने वाले बैंक (फाइनांसिंग बैंक) में पहुँचना चाहिये। विस्तृत आकार वाली समितियों एवं सेवा सहकारी समितियों की ऋण संबंधी सीमा पहले ही बैंक द्वारा निश्चित की जा चुकी है इसलिये वे उत्पादन योजनाओं में दिये गये अपने सदस्यों की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार जिला बैंकों से रुपया प्राप्त करेंगी। फिर भी बहुउद्देशीय एवं ऋण समितियाँ, ऋण के लिये प्रार्थनापत्रों को तैयार करेंगी तथा उर्वरकों को खरीदने के लिये फाइनांसिंग बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति प्राप्त करेंगी। वे उतना ही कर्ज पा सकेंगी जितने की उन्हें स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा उसे विपणन समितियों या सहकारी यूनियनों की तरफ से जहाँ से उर्वरक के स्टाक खरीदे जाते हैं, पी० सी० एफ० 'फर्टिलाइजर रेमिटेंस एकाउन्ट' मद में जमा करेगी। तब सम्बन्धित सहकारी समिति को चाहिए कि वह बैंक द्वारा स्वीकृत रसीद को प्रस्तुत करने के बाद विक्री केन्द्रों से खास तौर से एक किश्त में स्टाकों को बेंच देने का प्रबन्ध करें। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि सहकारी यूनियनें एवं विपणन समितियाँ उर्वरकों को नकद तकावी के रूप में बेचेंगी तथा ऋण पर उनका विक्रय नहीं होगा। विस्तृत आकार वाली समितियाँ एवं सेवा सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को कर्ज के रूप में उधार उर्वरकों का विवरण जारी रखेंगी।

तकावी की मंजूरी देने वाले अधिकारियों के लिखित अधिकार पत्र पर सहकारी यूनियनों द्वारा तकावी के रूप में उर्वरकों का विक्रय किया जाना चाहिए तथा इन यूनियनों को चाहिए कि वे तकावी की रकम को लेने के लिये मासिक बिलों को डी० सी० एफ० की सूचना के अन्तर्गत उसी अधिकारी के पास जमा कर दें तथा अधिकारी को यह देखना चाहिए कि यह रकम उर्वरक वितरण के एक माह के अन्तर्गत ठीक कर दी गई कि नहीं। यदि इस अवधि के अन्तर्गत रकम में नियमन नहीं होता, तो इस बात को सहकारी यूनियनों

एवं सहकारी निरीक्षकों के जरिये जो कि इन अनियमितताओं को देखेंगे, ए० डी० एस० (प्लानिंग) एवं जिला नियोजन अधिकारी को पता देनी चाहिए। यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, उर्वरक मिश्रण, हरी खाद के बीजों, खलियों आदि जैसे नये प्रकार के उर्वरकों के सम्बन्ध में तकावी के रूप में बिक्री का आदेश दिया जाना चाहिए। यह अमोनियम सल्फेट के लिये लागू नहीं होना चाहिए। यह ख्याल किया जाता है कि अभी तक नये प्रकार के उर्वरकों का प्रचार नहीं हो पाया है। अमोनियम सल्फेट के वितरण में कटाव होने तथा नये प्रकार के उर्वरकों की सप्लाई में वृद्धि होने के कारण, उनके विक्रय को बढ़ाना है। इसके लिये प्रसार कर्मचारियों को चाहिए कि वे इन उर्वरकों की क्षमता का दिग्दर्शन किसानों को कराते हुए इन प्रदर्शनों को प्रारंभ करने में विशेष बल दें।

(ब) पहाड़ियों के लियेः—पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उर्वरकों के वितरण की पद्धति मैदानों में अपनायी जाने वाली पद्धतियों की अपेक्षा कुछ भिन्न होगी। कृषि बीज भंडारों में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का संग्रह किया जायगा। आस-पास की समितियाँ निम्नांकित प्रणाली द्वारा मूल्य चुकता करने पर सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरकों का वितरण करेंगी।

प्रत्येक समिति उर्वरकों के लिये अपने सदस्यों की जरूरतों को बताते हुए ऋण के प्रार्थना पत्रों को तैयार करेगी तथा अग्रिम रूप में जिला बैंकों से उनकी स्वीकृति करा लेगी। उर्वरकों को प्राप्त करने के लिये कर्ज की रकम कृषि विभाग के '७१ कैपिटल आउट ले' नामक खोले गये नये मद में बैंक द्वारा लिख ली जायगी। ट्रान्सफर प्रमाण पत्र (वाउचर) की एक प्रति को डी० सी० ओ० के जरिये जिला कृषि अधिकारी के पास भेज दिया जायगा जो इसे प्राप्त करने पर सम्बन्धित समितियों को उर्वरक सप्लाई करने के लिये कृषि बीज भंडारों को निर्देश दे देंगे। विस्तृत आकार वाली समितियों एवं सेवा सहकारी समितियों की परिस्थिति में जिन्हें बैंक द्वारा नकद रूप में ऋण देने की सीमा निर्धारित की गई है, एक अलग फर्टिलाइजर (उर्वरक) नाम का लेखा खोला जायगा तथा गांवों की विस्तृत सूची के साथ जहां उर्वरकों का वितरण किया जाने वाला है; समीपवर्ती बेसिक बीज भंडारों को सीधे मूल्य चुकता कर देना पड़ेगा और सम्बन्धित समिति वहाँ से स्टाक को उठा लेगी।

२. सप्लाई केन्द्रों की देखभाल

पिछले आन्दोलन के अन्तर्गत विक्री केन्द्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन यह अनुभव किया गया है कि कुछ स्थानों पर उर्वरकों का समुचित लेखा नहीं रखा गया है तथा विक्री एवं स्टाक सम्बन्धी रिपोर्ट ठीक समय पर नहीं प्रस्तुत की गई है। उर्वरकों की विक्री के बढ़ाने के उपाय करते समय, राजकीय स्टाकों की सुरक्षा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसलिये केवल उन्हीं स्थानों पर विक्रय के लिये उर्वरकों का संग्रह करना चाहिए जहां पर गोदाम का उचित प्रवन्ध हो तथा जहाँ पर सहकारी संस्था का कोई भी एक वेतन भोगी कर्मचारी हिसाब किताब ठीक रखने तथा उसकी सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिये उपलब्ध हो। इसलिये उर्वरकों के विक्री केन्द्रों की स्थापना जहां तक हो सके—(१) मार्केटिंग समितियों, (२) सहकारी बीज भंडारों (३) विस्तृत आकार वाली समितियों (लार्ज साइज), (४) खंड संघों (यूनियनों), (५) सेवा सहकारी समितियों एवं (६) अन्य ऐसी समितियों के मुख्यालयों पर जहाँ कि पूरे समय या कुछ समय के लिये वेतन भोगी कार्यकर्ता उपलब्ध रहे, विशेष तौर से होनी चाहिए। फिर भी जहाँ पर विस्तृत आकार वाली समितियाँ कार्य करती हैं, वहाँ पर सदस्यों की सुविधाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक विक्रय केन्द्र खोले जा सकते हैं। यह भी आवश्यक है कि डी० सी० डी० एफ०, उर्वरकों की विक्री के लिये सहकारी यूनियनों एवं विपणन समितियों के साथ सम-झौता करें। स्टाक एवं कैश का काम करने वाले कर्मचारियों के लिये पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था रहनी चाहिए। यदि सम्भव हो सके तो विश्वसनीयता प्रदान करने वाली इंश्योरेंश योजना के अन्तर्गत इंश्योर्ड करा देना चाहिए। मैनेजर एवं एकाउन्टैंट लेन देन के हिसाब को रखने एवं संबंधित सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) एवं खंड यूनियनों के पास ठीक समय पर लाभ के विवरण को प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होंगे। खण्ड यूनियनों तथा अन्य सहकारी संस्थाओं को चाहिए कि वे 'पी० सी० एफ० फर्टिलाइजर एकाउण्ट' के अन्तर्गत उर्वरकों का सारा मूल्य डी० सी० डी० एफ० में न जमा करके सीधे जिला सहकारी बैंक में जमा कर दें। बैंक में रुपया जमा करने के बाद विक्री केन्द्र के इन्चार्ज को चाहिए कि वह सम्बन्धित हिसाब के लिये जो कि विक्री केन्द्रों के इन्चार्जों द्वारा रखा जाना चाहिए, रसीद देने हेतु डी० सी० डी० एफ० के पास 'पे स्लिप' को भेज दें।

स्टाकों को चैक करने तथा अपने क्षेत्र के सभी विक्री केन्द्रों की लेन देन की पुस्तक की

जाँच करने की जिम्मेदारी अपने क्षेत्रों के अन्तर्गत सी० ओ०, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) की है। उन लोगों को तीन माह के अन्दर उपरोक्त बातों का निरीक्षण कम से कम एक बार तो अवश्य ही कर लेना चाहिये। इसे मासिक कर्मचारियों की बैठक में 'मासिक बिक्री एवं स्टाक' सम्बन्धी सभी सूचनायें बतानी चाहिये तथा उसकी एक प्रति ए० आर०, डी० सी० ओ० तथा डी० सी० एफ० के पास भेज देनी चाहिए। प्रति वर्ष ३१ दिसम्बर एवं ३० जून को सम्पूर्ण स्टाक का भिन्न-भिन्न रूप से प्रमाणीकरण (वेरीफिकेशन) होना चाहिए तथा उससे जिला स्तर पर एक पूर्ण प्रमाणीकरण प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए।

३. कार्यवाही कार्यक्रम एवं समय सूची

१—उर्वरकों आदि की सप्लाई के लिये प्रत्येक जिले में सप्लाई केन्द्रों की अन्तिम रूप से सूची तैयार करना—	३१ अगस्त
२—रबी ६१ एवं खरीफ ६२ की उत्पादन योजनाओं की ठीक समय पर तैयारी करना—	३० सितम्बर
३—सभी सप्लाई केन्द्रों की उर्वरकों आदि सम्बन्धी आवश्यकताओं को निश्चित करना तथा उनके लिये पर्याप्त पूर्ति का प्रबन्ध करना—	३० सितम्बर
क्षेत्रीय स्तर पर पहुँचने के लिये सन् ६२-६३ के लिए रबी के बीजों की आवश्यकतायें—	
१—रबी	१५ दिसम्बर
२—खरीफ	१५ अगस्त
४—यह विश्वास दिलाना कि रबी एवं खरीफ के लिये सदस्यों की कर्ज संबंधी आवश्यकतायें निर्धारित सीमा के अन्तर्गत हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस सीमा को समुचित रूप में बढ़ाया जा सकता है—	३० सितम्बर

५—जहाँ कहीं आवश्यक हो नये सदस्यों की भर्ती करना तथा उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की सीमा को निर्धारित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करना— ३१ अगस्त

६—जहाँ कहीं आवश्यक हो, नई समितियों को संगठित करना— ३१ अगस्त

७—यह विश्वास दिलाना कि समितियों की ऋण संबंधी सीमायें आवश्यकतानुसार संबंधित बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं— ३० सितम्बर

अध्याय ११

रबी १९६१–६२ के लिये प्रदर्शन योजना

प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य वास्तव में कृषि की उन उन्नत विधियों को जो कि अनुसंधानशालाओं के ऊपर लाभप्रद सिद्ध हो चुकी हैं, उन्हें वास्तविक खेती करने वाले कृषक भाइयों के पास तक पहुँचाना है जिससे उन विधियों को अपनाकर वे अपनी उपज में वृद्धि कर सकें। साथ ही साथ एक उद्देश्य यह भी है कि कृषकों को उन विधियों के प्रति विश्वास दिलाना और पूरी तरह से उनकी समझ में इस बात को बिठा देना कि वास्तव में इन विधियों से उपज में वृद्धि की जा सकती है। जब तक इस प्रकार की धारणा उनके हृदय में जगह नहीं बना लेती तब तक हमारे प्रदर्शन करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता और इस उद्देश्य की पूर्ति केवल तभी हो सकती है जबकि वह उन्नत विधियों को अपनी आंखों से देख लें तथा अपने हाथों से अपने खेतों पर कर लें।

यदि इस उद्देश्य की पूर्ति हम केवल भाषण देकर या केवल समझा कर ही करना चाहें तो इस प्रकार से इस उद्देश्य की पूर्ति करना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव सा प्रतीत होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रदर्शन योजना सफल हो और कृषक भाई प्रदर्शित की हुई उन्नत विधियों को समझ कर अपनी उपज में वृद्धि करें तो सबसे पहले हमको उनको समझाना चाहियें, समझाने के बाद उन विधियों को उन्हीं के द्वारा उन्हीं के खेतों में कराकर उनको दिखाना चाहिये। तभी हमको अपने उद्देश्य में सफलता मिल सकती है। अतः प्रदर्शन कृषि प्रसार कार्य-क्रम का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिये उन्हें व्यवस्थित एवं संगठित रूप में करना चाहिये। गलत तरीके से प्रदर्शन करने से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। इसलिये प्रदर्शन-योजना पूर्ण एवं क्षेत्र की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिये। बुवाई से लेकर मड़ाई तथा उपज की तौल तक सभी प्रदर्शन प्रसार कार्य कर्त्ताओं या अन्य निपुण व्यक्तियों द्वारा किये जाने चाहिये।

प्रदर्शनों के प्रकार—

रबी के लिये प्रदर्शन की प्रयोगात्मक सूची निम्नलिखित है। अपने-अपने क्षेत्र के मुताबिक इस सूची का प्रयोग किया जा सकता है :—

१—फसलों की किस्म सम्बन्धी प्रदर्शन—

उन्नत बीज बमुकाबिले स्थानीय बीज (उन क्षेत्रों में जहां उन्नत जाति का प्रयोग नहीं है)।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये समर्थित (रिकमेन्ड की हुई) रबी की फसलों की उन्नत जातियों की सूची परिशिष्ट (क, ख) में दी हुई है।

२—कृषि यंत्र सम्बन्धी प्रदर्शन—

(अ) खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल तथा कल्टीवेटर से बमुकाबिले देशी हल के।

(ब) तीन चोंगा वाले कल्टीवेटर या बुन्देलखंड में बक्खर सीडर से रबी की फसलों की बुवाई बमुकाबिले हल के पीछे बोने का स्थानीय ढंग (बुवाई से समय की बचत तथा उससे हुये लाभ को प्रदर्शित करना है)।

३—बीज मात्रा—

(अ) गेहूँ और जौ में बीज की कम मात्रा (प्रति एकड़ ३५–४० सेर) बमुकाबिले स्थानीय बीज मात्रा विशेषकर प्रदेश के पूर्वी जिलों में।

(आ) डिबलिंग पद्धति से बुवाई बमुकाबिले बुवाई का साधारण ढंग (जहां पर जोतें छोटी हैं तथा सिंचाई की सुविधा है वहां इस प्रदर्शन पर विशेष जोर देना चाहिये या जहाँ पर बीज की थोड़ी मात्रा को बढ़ानी है)।

नोट—इस प्रकार के प्रदर्शन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि ये प्रदर्शन केवल तभी कराये जांय जब खेत अच्छी प्रकार से तैयार हों, उनमें ढेले वगैरह न हों, खेत में काफी उर्वरा शक्ति हो, जिस खेत में डिबलिंग कराया जाय उसमें नमी बुवाई के समय काफी हो तथा बुवाई के बाद भी फसल में सिंचाई की अच्छी सुविधा हो।

४—कीट व रोग नाशक दवाओं का प्रयोग—

इस प्रकार के प्रदर्शन करते समय इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि उस क्षेत्र में जिसमें प्रदर्शन कराये जा रहे हैं वहां पर केवल दीमक ही लगती है या दीमक और गुजिया दोनों का ही आक्रमण फसल पर होता है। यदि केवल दीमक का ही आक्रमण होता है तो दीमक वाले क्षेत्रों में निम्न प्रदर्शन कराये जायेंगे :—

(अ) करीब १० सेर प्रति एकड़ के हिसाब से ५ प्रतिशत बी०एच०सी० का खेत में प्रयोग करना बमुकाबिले प्रयोग न करना (ये समस्त बी०एच०सी० की मात्रा खेत में आखिरी जुताई के समय डाली जायेगी)।

(ब) जिन क्षेत्रों में दीमक और गुजिया या केवल गुजिया का फसल पर आक्रमण होता है, उन क्षेत्रों में १० सेर (१० प्रतिशत बी०एच०सी०) प्रति एकड़ डालना बमुकाबिले न डालना (यह भी बुवाई से पहले जुताई के समय डाली जायगी)।

(स) जिन क्षेत्रों में खड़ी हुई फसल में गुजिया का आक्रमण शुरू हो गया हो वहां पर १० सेर प्रति एकड़ (१० प्रतिशत बी०एच०सी०) के हिसाब से खेत में मिट्टी के अन्दर मिलाना बमुकाबिले न मिलाना।

(द) प्रति मन २ से २॥ सेर की मात्रा में बी०एच०सी० (५ प्रतिशत) से मिश्रित बीज की बुवाई बमुकाबिले विना उपचार।

(य) प्रति मन जौ में २ छ० की दर से अग्रोसन जी०एन० द्वारा जौ के बीज का उपचार बमुकाबिले बिना उपचार।

(र) पहाड़ी क्षेत्रों में एपीलैकनाबीटिल के विरुद्ध छिड़काव (अर्ध क्षेत्र प्रदर्शन)।

(ल) आलू में अगेते और पिछेते झुलसा (अर्ली एन्ड लेट ब्लाइट) के विरुद्ध ०·३ प्रतिशत फाइटोलीन या कू परामार या डाईथीन या ब्लाइटटोक्स या पेरीनोक्स का छिड़काव बमुकाबिले न छिड़काव (अर्ध क्षेत्र प्रदर्शन)।

नोट—ये प्रदर्शन कृषि रक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक आलू वाले क्षेत्र में कराये जायेंगे।

५—मिश्रित फसलें बोने के प्रदर्शन—

(अ) खड़ी हुई देर से पकने वाली धान की फसल में प्रति एकड़ १० सेर के हिसाब से (बरसीम कल्चर मिली हुई) बरसीम का बीज बोना बमुकाबिले न बोना (बरसीम का बीज धान काटने से १५ दिन पहिले बोया जायगा। यह प्रदर्शन सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में होना चाहिये जहां पर सिंचाई की कुछ सुविधायें हों)।

(ब) खड़ी हुई देर से पकने वाली धान की फसल में प्रति एकड़ १० सेर के हिसाब से मसूर का बीज बोना बमुकाबिले मसूर न बोना (धान काटने से १५ दिन पहिले)।

(स) अक्तूबर में बोये गए गन्ने के बीच में मटर बोना बमुकाबिले न बोना।

(द) देर से कटने वाले धान के खेतों में धान कटने के बाद मटर बोना बमुकाबिले खेत को खाली छोड़ना।

(य) गन्ने के लिये बोई गई हरी खाद में आलू की फसल मध्य बोने से पहिले लेना बमुकाबिले आलू न लेना (यदि आलू लिया जाय तो जो खाद आलू के लिये आवश्यक है, वह सभी खादें आलू लिए जाने वाले हिस्से में डालनी चाहिये)।

(र) गन्ने की लाइनों में मूंग टा० १ का बोना बमुकाबिले मूंग गन्ने में न बोना। ये प्रदर्शन जायद की फसलों यानी फरवरी तथा मार्च में बोये गये गन्ने में ही किये जायेंगे।

६—उत्तर प्रदेशीय ढंग से गेहूँ की खेती बमुकाबिले स्थानीय ढंग—

यह प्रदर्शन उन्हीं स्थानों में करना चाहिये जहां पर इस ढंग से खेती नहीं की जाती है। जिन स्थानों में इस ढंग से खेती की जाती है वहां इस ढंग से बोये हुये खेतों को ही प्रदर्शन मान कर उन किसानों को इन्हें दिखाना चाहिये जिन्होंने इसे नहीं अपनाया है।

७—सम्मिलित उपचार प्रदर्शन (कम्पोजिट डिमान्सट्रेशन)—

कुछ इस प्रकार के प्रदर्शन भी कृषकों के खेतों पर किये जांय जिनमें एक से अधिक उपचारों का प्रयोग किया जाय जैसे आधे खेत में उन्नत किस्म का बीज, बी० एच० सी० का प्रयोग, सुपर फास्फेट का प्रयोग, कम बीज दर बमुकाबले कोई उपचार नहीं। इस प्रकार का, प्रति ग्राम सेवक क्षेत्र में कम से कम एक प्रदर्शन अवश्य कराया जाय।

८—उर्वरक सम्बन्धी प्रदर्शन—

(१) सुपर फास्फेट तथा सुपरफास्फेट+नत्रजनीय दोनों के साथ मिलाकर परीक्षण उपचार—

(अ) नियंत्रण (कन्ट्रोल)—इसमें किसी भी प्रकार का उर्वरक नहीं डाला जायगा।

(ब) केवल नत्रजन (२० पौं० नत्रजन प्रति एकड़ के हिसाब से चाहे वह किसी भी नये नत्रजनीय उर्वरक से पूरी की जाय। जैसे यूरिया ४५ प्रतिशत, अमोनियम

सल्फेट नाइट्रेट २५ से २६ प्रतिशत तथा कैल्शियम नाइट्रेट २०.२ प्रतिशत नत्रजन के हिसाब से।

२० पौं० नत्रजन प्रति एकड़ देने के लिये ४५ पौं० यूरिया, ८० पौं० अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट तथा १०० पौं० कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ डालनी पड़ेगी।

(स) २० पौं० नत्रजन+२० पौं० फास्फोरिक एसिड (पी २ ओ ५) नत्रजन किसी भी उपरोक्त उर्वरकों से तथा पी २ ओ ५ के लिये १२५ पौं० सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ देना पड़ेगा।

नोट—(१) नत्रजनीय उर्वरक पूरी फसल की बुवाई के समय वेसल ड्रेसिंग में प्रयोग किया जायगा तथा सुपरफास्फेट खेत में फसल बोने से पहिले कूंड़ों में ३ से ४ इंच की गहराई पर डाला जायगा। सुपर फास्फेट डालने के कूंड़ तथा बुवाई के कूंड़ एक ही दिशा में होने चाहिये।

(२) प्रदर्शन वाले खेतों में किसान जितना गोबर या कम्पोस्ट खाद डालता है वह तो डालेगा ही।

(३) ये प्रदर्शन सिंचाई वाले क्षेत्रों में ही होंगे।

९—उर्वरक मिश्रणों के साथ प्रदर्शन—

उपचार—

(अ) नियंत्रण (कन्ट्रोल)।

(ब) प्रति एकड़ २०० पौंड उर्वरक मिश्रण के हिसाब से उर्वरक मिश्रण १२:६ (एन०, पी २ ओ ५)।

(स) प्रति एकड़ २०० पौंड उर्वरक मिश्रण के हिसाब से उर्वरक मिश्रण १२:६:६ (एन०, पी० २ ओ५, के २ ओ)।

१०—दालदार फसलों में सुपरफास्फेट का प्रयोग—

उपरोक्त प्रदर्शनों के अलावा प्रत्येक कार्यशील (एक्टिव ब्लाक) तथा छायाक्षेत्र (प्रीएक्टिव ब्लाक) में कम से कम २५ प्रदर्शन चना तथा मटर में सुपर फास्फेट के साथ कराये जायेंगे जो निम्न प्रकार से होंगे :—

उपचार—

(अ) नियंत्रण (कन्ट्रोल)—कोई उर्वरक नहीं डाला जायगा।

(ब) प्रति एकड़ दो मन सिंगल सुपरफास्फेट।

(स) प्रति एकड़ दो मन सिंगल सुपरफास्फेट+४० पौंड नत्रजन किसी भी नत्रजनीय उर्वरक के द्वारा जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, यूरिया तथा कैल्शियम नाइट्रेट इत्यादि।

नोट—(१) ये प्रदर्शन सिंचित क्षेत्रों में ही कराये जायेंगे।

(२) नत्रजन वाले उर्वरक फसल बोने से पहिले खेत में बिखेर दिये जायेंगे तथा सुपर-फास्फेट खेत के अन्दर ३ से ४ इंच की गहराई पर डाला जायेगा।

(३) इससे अधिक जानकारी तथा खेतों में उपचारों के रैन्डोमाइजेशन के तरीके के लिये पिछली खरीफ प्रदर्शन योजना को देखिये।

११—विभिन्न प्रकार के नत्रजनीय उर्वरकों के प्रदर्शन जैसे कन्ट्रोल बमुकाबिले अमोनियम सल्फेट बमुकाबिले अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट बमुकाबिले यूरिया इत्यादि।

१२—सदा बहार एवं अन्य बरसात में उगने वाले खर-पतवारों से कम्पोस्ट की तैयारी।

१३. अलसी—

(अ) चना, जौ एवं मसूर की फसलों में ३ फीट की दूरी पर अलसी की कतारें।

(ब) अलसी बिना खाद बमुकाबिले प्रति एकड़ २०० पौंड अमोनियम सल्फेट या १५० मन गोबर की खाद के साथ अलसी (जहाँ पर सिंचाई की सुविधा हो वहाँ लेनी चाहिये, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा न हो वहाँ पर १०० पौंड अमोनियम सल्फेट देना चाहिये)।

प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शनों की संख्या—

ग्राम सेवक। पंचायत मंत्री। बीज भंडार सुपरवाइजर को अपने क्षेत्र में आमतौर से ५ प्रदर्शनों से अधिक नहीं करना चाहिये। यह संख्या ८ से १० तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन प्रदर्शन अच्छी तरह किये जांय और उनके रिकार्ड और आंकड़े अच्छी तरह रखे

जांय। ग्राम सेवक या बीज भंडार सुपरवाइजर द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शनों की अपेक्षा, पंचायत मंत्री द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शनों की संख्या आधी कम की जा सकती है।

हर विकास खंड में एक ही किस्म के कम से कम ५ प्रदर्शन एवं हर ग्राम सेवक क्षेत्र में एक ही किस्म के कम से कम २ प्रदर्शन करना चाहिये।

एक किसान के यहाँ दो से अधिक प्रदर्शन किसी भी दशा में न किये जांय। जिस किसान के यहाँ पिछले वर्षों में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदर्शन सफल हो चुका हो, उसके यहाँ उस प्रकार का प्रदर्शन दुबारा नहीं कराना चाहिये। जिस खेत में पिछले वर्षों में कभी भी किसी भी उर्वरक का प्रदर्शन किया गया हो, उस खेत में अगले वर्षों में उर्वरकों का प्रदर्शन न किया जाय। उर्वरकों के प्रदर्शन करते समय खेत के ढाल का विशेष ध्यान रक्खा जाय और उसके प्रत्येक उपचार को डौलों द्वारा विभाजित किया जाय। कहीं-कहीं पर इस प्रकार के उपचारों को विभिन्न फसलों की लाइनें देकर अलग कर देते हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है। उर्वरकों का वितरण पूरे भाग में ठीक प्रकार से होना चाहिये।

निरीक्षण—खरीफ ६१ की प्रदर्शन पुस्तिका में दिये गये निरीक्षण सम्बन्धी विस्तृत आदेशों का रबी में भी पालन किया जाय।

सुविधा के लिये निरीक्षण सम्बन्धी खास-खास बातों को संक्षेप में फिर से यहाँ दिया जा रहा है—

(अ) सहायक विकास अधिकारी (कृषि)। कृषि निरीक्षक को अपने विकास खंड में किये जाने वाले प्रदर्शनों में से हर एक किस्म के कम से कम एक प्रदर्शन को अपनी मौजूदगी में बुवाना और कटाना चाहिये।

(ब) खंड विकास अधिकारी को अपने विकास खंड के प्रदर्शनों में से कम से कम ५० प्रतिशत प्रदर्शनों का स्वयं निरीक्षण करना चाहिये। उसे अलग-अलग किस्म के कम से कम ५ प्रदर्शनों की बुवाई और कटाई के समय मौजूद रहना चाहिए जो विकास अधिकारी (कृषि) के निरीक्षण में न हों।

(स) अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी को अपने जिले में विशेषकर छाया क्षेत्रों में किये गये प्रदर्शनों में कम से कम १० प्रतिशत का निरीक्षण करना चाहिये। जिले में

हर प्रकार के कम से कम एक प्रदर्शन की फसल की बुवाई और कटाई अपनी मौजूदगी में करवानी चाहिये।

(द) जिला कृषि अधिकारी अपने जिले में किये गए प्रदर्शनों में से कम से कम ५ प्रतिशत का निरीक्षण करेंगे। उसे जिले में हर प्रकार के कम से कम एक प्रदर्शन की कटाई और बुवाई अपनी मौजूदगी में करानी होगी।

(य) कृषि के प्रादेशिक उप-संचालक। सहायक संचालक रबी के मौसम में हरेक जिले में किए गए कम से कम २० प्रदर्शनों का निरीक्षण करेंगे।

(र) अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)। जिला नियोजन अधिकारी, उन्नत कृषि विधियों की तुलनात्मक उपयोगिता जानने के लिये जिले में किये गये हरेक प्रकार के कम से कम १ प्रदर्शन का निरीक्षण करेंगे।

नोट—प्रदर्शन की उपयोगिता तथा अन्य सभी बातें प्रत्येक निरीक्षण कर्त्ता, प्रदर्शन पुस्तिका के ऊपर अपने सुझावों के साथ अवश्य ही उल्लेख करेगा।

(ल) उर्वरक सम्बन्धी किये गये सभी प्रदर्शन सहायक विकास अधिकारी (कृषि)। सहायक विकास अधिकारी (कम्पोस्ट) द्वारा किये जायंगे और उनकी बुवाई, उर्वरक का प्रयोग और कटाई भी वे अपनी मौजूदगी में करायेंगे।

कृषि के प्रादेशिक उप-संचालक। सहायक संचालक के मुख्यालय पर नियुक्त सहायक रसायनज्ञ (कम्पोस्ट), उर्वरक प्रदर्शनों में से प्रत्येक का निरीक्षण करेंगे। वे अपने परिणामों के संकलन के बाद विकास खंड के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए उर्वरक-प्रभाव का चार्ट तैयार करेंगे तथा उसकी एक-एक प्रति उप-संचालक (उर्वरक एवं खाद) एवं उप विकास आयुक्त (कृषि) के पास भेजेंगे।

यह अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिये कि जिलों के प्रदर्शन-कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी जिला कृषि अधिकारी, छाया क्षेत्रों के प्रदर्शनों की कृषि निरीक्षक तथा विकास क्षेत्रों के प्रदर्शनों की खंड विकास अधिकारी तथा उनके कर्मचारियों पर है। उन्हें ये ध्यान रखना चाहिये कि प्रदर्शन कार्यकर्त्ताओं को इस सम्बन्ध में उचित परामर्श एवं पथ-प्रदर्शन किया जाय।

मासिक डायरी में रिपोर्ट—

सहायक विकास अधिकारी (कृषि), सहायक विकास अधिकारी (कम्पोस्ट), खंड विकास अधिकारी, अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक कृषि संचालक, कृषि उप-संचालकों द्वारा निरीक्षण किये गये प्रदर्शनों की प्रगति का विस्तृत विवरण उनके दौरे की डायरी में भी दर्ज रहेगा। दौरे की डायरी में प्रदर्शनों का विवरण देते समय कम से कम निम्नांकित बातों का उल्लेख करना चाहिये—

(१) उपचारों का विस्तृत विवरण (प्रयोग करने की विधि, समय तथा मात्रा का उल्लेख करना)।

(२) विभिन्न उपचारों के अन्तर्गत फसलों की तुलनात्मक प्रगति।

(३) प्रदर्शन ठीक ढंग से किये गये हैं या नहीं।

(४) किसानों की प्रतिक्रिया तथा उसका कारण।

(५) गल्तियाँ यदि कोई की गई हों।

(६) प्रदर्शन-सुधार के लिये दी गई सलाह।

सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को अपने विकास खंड में किये गये हर एक किस्म के प्रदर्शनों की विश्लेषणात्मक समीक्षा (एनेलेटिकल रिपोर्ट) तैयार करके किसानों की प्रतिक्रिया एवं अपने विचार के साथ खंड विकास अधिकारी द्वारा जो कि इन परिणामों पर अपना विचार भी प्रकट करेंगे, जिला कृषि अधिकारी के पास १५ मई, १९६२ तक भेज देना चाहिये।

खंड विकास अधिकारियों से उपरोक्त विश्लेषणात्मक समीक्षा (एनेलेटिकल रिपोर्ट) के प्राप्त होने के बाद जिला कृषि अधिकारी प्रत्येक प्रकार के प्रदर्शनों की विश्लेषणात्मक समीक्षा (एनेलेटिक्ल रिपोर्ट) तैयार करके उसे उप-निदेशक या सहायक निदेशक (कृषि) के पास २५ मई, १९६२ तक भेज देंगे।

उप संचालक या सहायक संचालक (कृषि) प्रत्येक जिले में किए गए इन प्रदर्शनों सम्बन्धी सूचनाओं का संकलन करेंगे और उसे अपनी टिप्पणी के साथ संयुक्त संचालक, कृषि (प्रसार) के पास तथा उसकी एक प्रति उप-विकास आयुक्त (कृषि) के पास ८ जून, १९६२ तक भेज देंगे।

उप संचालक या सहायक संचालक (कृषि) द्वारा भेजे गये परिणामों के संकलन के बाद संयुक्त संचालक, कृषि (प्रसार) उसे अनुसंधान परामर्शदात्री समिति (रिसर्च एडवायजरी कमेटी) के समक्ष रखेंगे।

जहां पर सहायक विकास अधिकारियों (कम्पोस्ट) की नियुक्ति हो गई है, वहां उर्वरक सम्बन्धी सभी प्रदर्शन एवं उनकी बुवाई, कटाई उनकी मौजूदगी में की जायगी। इस प्रकार के प्रदर्शनों का रिकार्ड भी उनके पास होना अनिवार्य है। प्रत्येक किस्म के प्रदर्शन की बाबत उनके विचार, प्रतिशत वृद्धि या कमी की बाबत भी रिकार्ड होना अति आवश्यक है।

आंकड़े तथा रिकार्ड रखना—

प्रदर्शनों के आंकड़े रखने के ढंगों का वर्णन खरीफ १९६१ की प्रदर्शन पुस्तिका में विस्तृत रूप में किया गया है, रबी में भी उन्हीं ढंगों को अपनाना चाहिये।

ग्राम सेवक या पंचायत मंत्री या बीज भन्डार सुपरवाइजर प्रदर्शन से सम्बन्धित परिणामों को प्रारूप संख्या १ (परिशिष्ट ट (१)) में दर्ज करते रहें।

ग्राम सेवक या पंचायत मंत्री या कृषि सुपरवाइजर प्रदर्शन की प्रगति के विषय में अपनी मासिक रिपोर्ट प्रारूप सं० २ (परिशिष्ट ट(२)) पर सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को देंगे।

सहायक विकास अधिकारी (कृषि), सहायक विकास अधिकारी (कम्पोस्ट), कृषि निरीक्षक, अपनी मासिक रिपोर्ट को प्रारूप संख्या ३ (परिशिष्ट ट(३)) में जिला कृषि अधिकारी को भेजेंगे।

जिला कृषि अधिकारी प्रारूप संख्या ४ (परिशिष्ट ट (४)) में अपनी मासिक रिपोर्ट उप-सहायक संचालक (कृषि) के पास भेजेंगे।

उप-संचालक (कृषि) प्रारूप संख्या ५ (परिशिष्ट ट (५)) में अपनी मासिक रिपोर्ट कृषि संचालक के पास भेजेंगे। प्रदर्शन की आखिरी सूचना सभी अधिकारी प्रारूप संख्या ६ (परिशिष्ट ट (६)) में अवश्य ही ठीक अवधि के अंदर अपने से ऊपर के अधिकारी के पास भेज दें।

इस बात का निश्चय हो जाना चाहिये कि उपरोक्त सूचना सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से भेजी जायगी।

उपरोक्त सभी प्रारूपों (प्रोफार्मा) को खंड स्तर पर या जिला कृषि अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में साइक्लोस्टाइल करा कर सम्बन्धित अधिकारियों को देना चाहिए।

दृश्य-दर्शन (साइट-सीइंग प्रोग्राम)

सफल प्रदर्शनों को दिखाने के लिये दृश्य-दर्शन का कार्यक्रम अपने क्षेत्र के लिये प्रत्येक ग्राम सेवक, पंचायत मंत्री, सीड स्टोर सुपरवाइजर को तैयार करना होगा। अन्तर ग्राम सेवक क्षेत्रों के लिये दृश्य-दर्शन का कार्य-क्रम खंड विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी की सलाह से सहायक विकास अधिकारी (कृषि) या कृषि निरीक्षक द्वारा तैयार किया जायगा।

ज्यों ही उपचारों में अन्तर दिखाई दे, दृश्य-दर्शन कार्य-क्रम तैयार कर लेना चाहिये। प्रदर्शनों की कटाई अधिक से अधिक किसानों की उपस्थिति में की जानी चाहिये।

प्रदर्शन विशेषतया उन खेतों में करने की कोशिश करनी चाहिये जहां पर बाजार लगते हैं। बाजार के दिन किसानों को एकत्रित करके उन्हें प्रदर्शनों को दिखलाना चाहिये। सभी प्रदर्शनों में उचित ढंग से लोहा या लकड़ी का लेबिल लगा होना चाहिये।

गत खरीफ में किये गये प्रदर्शनों की साधारण गल्तियां—

यद्यपि खरीफ १९६१ पुस्तिका में प्रदर्शन करने के लिये विस्तृत आदेश दिये गये थे फिर भी इन आदेशों का कई क्षेत्रों में पालन नहीं किया गया। कुछ सामान्य गल्तियां जो पाई गईं, निम्नांकित हैं :—

(१) प्रदर्शन के लिये खेतों का उचित ढंग से चुनाव नहीं किया गया। कई ऐसे खेत चुने गये जिनमें वृक्षों की संख्या अधिक थी तथा वे उपजाऊ भी नहीं थे। ऐसा नहीं होना चाहिये।

(२) चुने हुए खेत ढालू थे।

(३) किसानों का चुनाव ठीक नहीं था। यह सावधानी बरतनी चाहिये कि सभी वर्ग के किसान प्रदर्शन करने के लिये चुने जायें।

(४) प्रदर्शन कराते समय प्रदर्शन कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वालों के पास नहीं

रहते और न उनको प्रदर्शन की बाबत समझाया ही जाता है अतः प्रदर्शन कार्यकर्त्ताओं का, प्रदर्शन कराते तथा उनका दृश्यदर्शन कराते समय वहाँ रहना अति आवश्यक है।

(५) प्रदर्शन कर्त्ताओं ने प्रदर्शनों के आंकड़े तथा उनकी बाबत अन्य रिकार्ड प्रदर्शन पुस्तिका में अच्छी प्रकार से नहीं रखे अतः इस प्रकार के सभी रिकार्ड उसमें रखना बहुत ही आवश्यक है।

(६) दृश्य-दर्शन कार्यक्रम काफी नहीं थे। अतः ये कार्य भी काफी कराये जांय। प्रदर्शन तभी सफल हो सकता है जबकि उसे ठीक ढंग से किया जाय। इसलिये प्रदर्शन को ठीक ढंग से करने के लिये प्रत्येक कदम पर सभी आवश्यक सावधानियाँ बरती जांय।

(७) एक किसान के यहां करीब ४ या ५ प्रदर्शन तक कराये गये हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये। किसी भी दशा में एक किसान के यहाँ दो से अधिक प्रदर्शन न कराये जांय।

(८) प्रदर्शन के उपचारों की बाबत में ठीक प्रकार से नहीं लिखा जाता कि किस उपचार का फसल पर क्या प्रभाव हुआ। जब तक इस प्रकार की सूचना प्रसार कार्यकर्त्ताओं के पास न होगी तब तक कार्य आगे सुचारु रूप से नहीं चलाया जा सकता।

———

परिशिष्ट—क

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये (१९६१-६२) गेहूँ की समर्थित किस्मेंः—

(टिप्पणी—यह तालिका पहले की तालिकाओं का संशोधन है)

क्रमांक जिला	सिंचित परिस्थितियाँ	असिंचित परिस्थितियाँ
पहाड़ी क्षेत्र		
१—अल्मोड़ा	एन. पी. ७७०, एन. पी. ८०९	रिडले
२—टेहरी गढ़वाल	एन. पी. ७७१, एन. पी. ८०९	”
३—पौरी-गढ़वाल	एन. पी. ७७०	”
४—नैनीताल (पहाड़ी)	एन. पी. ७७०, एन. पी. ८०९	”
५—देहरादून (पहाड़ी)	एन. पी. ७७०	एन. पी. ७७०, रिडले
तराई क्षेत्र		
६—बिजनौर	एन. पी. ७२०, सी. १३	सी. १३, पी. बी. ५९१
७—रामपुर	एन. पी. ७१८, एन. पी. ७२०, सी १३	सी.१३, पी. बी. ५९१
८—पीलीभीत	एन. पी. ७२०, एन. पी. ७९८	पी. बी. ५९१
९—लखीमपुर-खीरी	एन. पी. ७२०, एन. पी. ७९८	सी. १३
१०—नैनीताल (तराई)	एन. पी. ७१८, एन. पी. ७२०, एन. पी. ७९८, एन. पी. ८२४	एन. पी. ७९८, एन पी. ७२०, एन. पी. ७१८, एन. पी. ८२४
११—देहरादून (तराई)	एन. पी. ७२०, पी. बी. ५९१	एन. पी. ७२०, पी. बी. ५९१
पश्चिमी क्षेत्र		
१२—सहारनपुर	एन. पी. ७२०, पी. बी. ५९१	एन.पी. ७२०,पी. बी. ५९१
१३—मुजफ्फरनगर	सी. २८१, एन. पी. ७१८	पी. बी. ५९१, सी. १३

क्रमांक जिला	सिंचित परिस्थितियां	असिंचित परिस्थितियां
१४—मेरठ	सी. २८१, पी. बी. ५९१, एन. पी. ७१८	पी. बी. ५९१
१५—बुलन्दशहर	सी. २८१, एन. पी. ७१८, पी. बी. ५९१, सी. २७३	पी. बी. ५९१
उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र		
१६—मुरादाबाद	पी. बी. ५९१, एन. पी. ७२०, सी. १३	सी. १३
१७—बदायूं	एन. पी. ७१०, पी. बी. ५९१	पी.बी. ५९१, एन. पी. ७१०
१८—बरेली	एन. पी. ७२०, पी बी. ५९१	पी बी. ५९१
दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र		
१९—अलीगढ़	पीबी. ५९१, सी. २७३, एन. पी. ७१०, एन. पी. ७२०	पी.बी. ५९१
२०—मथुरा	सी. २८१, पीबी. ५९१, एन. पी. ७१०	सी. १३
२१—आगरा	पीबी ५९१, एन. पी. ७१८	पीबी. ५९१, एन. पी. ७२०
२२—इटावा	एन. पी. ७१०, एन. पी. ७१८	पी. बी ५९१, सी. १३
२३—मैनपुरी	एन. पी. ७१८, एन.पी. ७१०, एन. पी. ७२०	एन. पी. ७१०, सी. १३
२४—एटा	एन. पी. ७१०, पीबी. ५९१	एन. पी. ७१०, सी. १३
बुन्देलखण्ड क्षेत्र		
२५—झांसी	पीबी. ५९१, सी. २८१, के. ५४	के. ५३, के. ५४
२६—जालौन	पीबी. ५९१, एन. पी. ७१०	के. ५३, के. ५४
२७—हमीरपुर	सी. २८१, पीबी. ५९१, के. ५४	के. ५४, के. ५३
२८—बांदा	पीबी. ५९१, एन. पी. ७१०, एन. पी. ७१८	के. ५३, के. ५४

क्रमांक जिला	सिंचित परिस्थितियां	असिंचित परिस्थितियां
मध्यवर्ती क्षेत्र		
२९—कानपुर	एन. पी. ७१८, एन. पी. ७१०, पीबी. ५६१	सी. १३
३०—फतेहपुर	सी. १३, एन. पी. ७१०	सी. १३, एन. पी. ७१०
३१—रायबरेली	एन. पी. ७१८, एन. पी. ७१०, सी. १३	सी. १३, एन. पी. ५२
३२—सुल्तानपुर	एन. पी. ७१०, एन. पी. ७७५	सी. १३, एन. पी. ५२
३३—फैजाबाद	एन. पी. ७१०	सी. १३, एन. पी. ५२
३४—बाराबंकी	एन.पी. ७१०, सी. १३	सी. १३
३५—सीतापुर	एन. पी. ७१०, एन. पी. ७१८	सी. १३, पी. बी. ५६१
३६—लखनऊ	एन. पी. ७१०, सी. १३	सी. १३
३७—उन्नाव	एन. पी. ७१०, एन. पी. ७१८	सी. १३
३८—हरदोई	सी. १३, एन. पी. ७१०	सी. १३, एन. पी. ७१०
३९—शाहजहांपुर	सी. १३, एन. पी. ७२०	सी. १३
४०—फर्रुखाबाद	एन. पी. ७२०, पी. बी. ५६१	सी. १३, एन. पी. ७१०
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र		
४१—बहराइच	एन. पी. ७२०, एन. पी. ७१०, एन. पी. ७६८	सी. १३, एन. पी. ५२
४२—गोंडा	सी. १३, एन. पी. ७१०	सी. १३, एन. पी. ५२
४३—बस्ती	सी. १३, एस. पी. संकर ६५	सी. १३, एन. पी. ५२
४४—गोरखपुर	के. ६८, एस. पी. संकर ६५, एन. पी. ७१०	सी. १३, एन. पी. ५२
४५—देवरिया	एस. पी. संकर ६५, एन. पी. ७७५, सी. १३	सी. १३, एन. पी. ५२
पूर्वी तथा विन्ध्य क्षेत्र		
४६—इलाहाबाद	सी. १३, एन. पी. ७२०, एन. पी. ७१०	सी. १३
४७—प्रतापगढ़	एन. पी. ७१०, एन. पी. ७२०	सी. १३, एन. पी. ५२

परिशिष्ट—ख

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये (१९६१–६२) जौ की समर्थित किस्में

(टिप्पणी—यह तालिका पहले की तालिकाओं का संशोधन है)

क्षेत्र	किस्में
१. पहाड़ी क्षेत्र—अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी, नैनीताल (कीछा और काशीपुर तहसीलों को छोड़कर) तथा देहरादून (मंसूरी और चकराता)	सी. ८४, सी. ५०, के. १७ के. १८
२. तराई क्षेत्र—नैनीताल की कीछा और काशीपुर तहसीलें, पीलीभीत (बिलासपुर तहसील को छोड़कर), देहरादून (समुद्र तल से ३००० फीट नीचे का क्षेत्र), उत्तरी रामपुर, खीरी (मोहम्मदी तहसील को छोड़कर), बहराइच (कैसरगंज तहसील को छोड़कर), गोंडा (गोंडा और तरबगंज तहसीलों को छोड़कर), बस्ती (हर्रैया, बस्ती और खलीलाबाद तहसीलों को छोड़कर), देवरिया (देवरिया तहसील को छोड़कर) और गोरखपुर (गोरखपुर और बांसगांव तहसीलों को छोड़कर)	के. १२, के. १८, के. १९, सी. २५१
३. पश्चिमी क्षेत्र—सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलन्दशहर	के. १२, के. १४, के. १८, सी. २५१
४. मध्य-पश्चिमी क्षेत्र—बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर और पीलीभीत	सी. २५१, के. १२, के. १८
५. दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र—अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, तथा आगरा और मथुरा जिले का अधिकांश भाग	सी. ८४, के. १८, के. १[illegible]

क्रमांक जिला	सिंचित परिस्थितियां	असिंचित परिस्थितियां
४८—जौनपुर	एन. पी. ७१०, सी. १३	सी. १३, एन. पी. ५२
४९—मिर्जापुर	के. ५३, एन. पी. ७१०	के. ५३, एन. पी. ५२
५०—वाराणसी	एन. पी. ७१०, एन. पी. ७६८, एन. पी. ७५८	सी. १३, एन. पी. ७५८
५१—गाजीपुर	एन. पी. ७१०, सी. १३	सी. १३, एन. पी. ५२
५२—आजमगढ़	एन. पी. ७७५, के. ६८, एन. पी. ७५८	सी. १३, एन. पी. ५२, एन. पी. ७५८
५३—बलिया	सी. १३, एन. पी. ७१०, एन. पी. ७६८	सी. १३, एन. पी. ५२

परिशिष्ट—ख

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये (१९६१–६२) जौ की समर्थित किस्में

(टिप्पणी—यह तालिका पहले की तालिकाओं का संशोधन है)

क्षेत्र	किस्में
१. पहाड़ी क्षेत्र—अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी, नैनीताल (कीछा और काशीपुर तहसीलों को छोड़कर) तथा देहरादून (मंसूरी और चकराता)	सी. ८४, सी. ५०, के. १२ के. १८
२. तराई क्षेत्र—नैनीताल की कीछा और काशीपुर तहसीलें, पीलीभीत (बिलासपुर तहसील को छोड़कर), देहरादून (समुद्र तल से ३००० फीट नीचे का क्षेत्र), उत्तरी रामपुर, खीरी (मोहम्मदी तहसील को छोड़कर), बहराइच (कैसरगंज तहसील को छोड़कर), गोंडा (गोंडा और तरबगंज तहसीलों को छोड़कर), बस्ती (डुमरियागंज, बस्ती और खलीलाबाद तहसीलों को छोड़कर), देवरिया (देवरिया तहसील को छोड़कर) और गोरखपुर (गोरखपुर और बांसगांव तहसीलों को छोड़कर)	के. १२, के. १८, के. १९, सी. २५१
३. पश्चिमी क्षेत्र—सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलन्दशहर	के. १२, के. १४, के. १८, सी. २५१
४. मध्य-पश्चिमी क्षेत्र—बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर और पीलीभीत	सी. २५१, के. १२, के. १८
५. दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र—अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, तथा आगरा और मथुरा जिले का अधिकांश भाग	सी. ८४, के. १८, के. १२

६. मध्यवर्ती क्षेत्र—कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और इटावा	के.१२,के.१४,के.१८,के.१६
७. मध्य-पूर्वी क्षेत्र—बाराबंकी, रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद	के. १२, के. १८, के. १६
८. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र—बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों के तराई क्षेत्र के अतिरिक्त	बलिया, के. १२, के. १८
९. पूर्वी क्षेत्र—जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया	बलिया, सी.५०,के. १२,के.१८
१०. बुन्देलखन्ड क्षेत्र—झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा	सी.२५१,सी.८४,के.१४,के.१८
११. विन्ध्य क्षेत्र—मिर्जापुर, वाराणसी (चकिया तहसील) और इलाहाबाद (मेजा और करछना तहसीलें)	के. १२, सी. ८४, के. १८

नोटः—सी. २५१ एवं बलिया नामक जातियां सरलता पूर्वक आवृत कंडुवा से प्रभावित हो जाती हैं इसलिये इन जातियों के बीज एग्रोसन जी. एल. द्वारा उपचारित किये जा सकते हैं।

परिशिष्ट—ग

दलहनी फसलों में सुपरफास्फेट का महत्त्व

यह बात सिद्ध हो चुकी है कि दालदार फसलों में सुपरफास्फेट का प्रयोग करने से अधिकतम उपज प्राप्त होती है। गत् वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि रसायनज्ञ ने प्रदेश के १६ जिलों में १६५ स्थानों पर चना एवं मटर के ऊपर फास्फेटिक खादों का प्रयोग किसानों के खेतों में किया। इन सभी प्रयोगों में चने की उपज नियंत्रण की तुलना में ५०–१०० प्रतिशत अधिक हुई है। एक पौंड फास्फेटिक खाद का प्रयोग करने पर जिसकी कीमत ०·६६ रु० होती है, १०.८ पौंड से ११.२ पौंड मटर की पैदावार में वृद्धि हुई। प्रत्येक पौंड फास्फेटिक खाद के देने से चने की उपज ६·८ पौं० से ८·०० पौं० तक बढ़ी। इस प्रकार ०·६६ रु० सुपरफास्फेट के ऊपर खर्च करने पर १·५० रु० एवं १·७५ रु० की कीमत की अधिक वृद्धि, मटर एवं चने की पैदावार में क्रमशः हुई।

चने एवं मटर में फास्फेटिक खाद देने का आर्थिक विवरण

जिला	चने में ३० पौं० (पी. २ ओ ५) सुपरफास्फेट			मटर में ३० पौं. (पी २ ओ ५) सुपरफास्फेट		
	नियंत्रण की तुलना में अतिरिक्त उत्पादन (पौंड में)	अतिरिक्त उत्पादन का मूल्य (रुपयों में)	प्रति एकड़ कुल लाभ (रु० में)	नियंत्रण की तुलना में अतिरिक्त उत्पादन (पौंड में)	अतिरिक्त उत्पादन का मूल्य (रु० में)	प्रति एकड़ कुल लाभ (रु० में)
लखनऊ	२११	३५	१४	—	—	—
रायबरेली	३६७	६१	४०	१३२	२२	१
इलाहाबाद	—	—	—	४३१	७२	५१
फतेहपुर	१०१	१७	—	—	—	—
कानपुर	२५१	४२	२१	१२६	२२	१
फर्रुखाबाद	६३८	१०६	८५	७४०	१२३	१०२

जिला	चने में ३० पौं० (पी. २ प्रो ५) सुपरफास्फेट			मटर में ३० पौं. (पी २ ओ ५) सुपरफास्फेट		
	नियंत्रण की तुलना में अतिरिक्त उत्पादन (पौंड में)	अतिरिक्त उत्पादन का मूल्य (रुपयों में)	प्रति एकड़ कुल लाभ (रु० में)	नियंत्रण की तुलना में अतिरिक्त उत्पादन (पौंड में)	अतिरिक्त उत्पादन का मूल्य (रु० में)	प्रति एकड़ कुल लाभ (रु० में)
अलीगढ़	१२०	२०	—	२४०	४०	१६
बुलन्दशहर	—	—	—	४००	६७	४६
मेरठ	—	—	—	३६३	६१	४०
मुजफ्फर नगर	३६६	६६	४५	२२६	३०	१७
लखीमपुर खीरी	२६४	४४	२३	—	—	—
पीलीभीत	८७	१५	—	—	—	—
रामपुर	३४१	५७	३६	—	—	—
मुरादाबाद	३६७	६१	४०	२५२	४२	२१
वाराणसी	१६१	२७	६	३२३	५४	३३
जौनपुर	—	—	—	३२३	५४	३३
गोरखपुर	—	—	—	३०२	५०	२६
देवरिया	—	—	—	३०२	५०	२६

सुपरफास्फेट की उपस्थिति में जड़ें भली भाँति विकसित होती हैं, भूमि में गहराई तक जाकर फैलती हैं और पर्याप्त मात्रा में नत्रजन को एकत्रित करती हैं। इस प्रकार सुपरफास्फेट का प्रयोग करने से दालदार फसलों की उपज तो बढ़ती ही है साथ ही आगामी फसले की उपज तथा भूमि की उर्वरता भी बढ़ती है।

कृषि रसायनज्ञ द्वारा किये गये परीक्षणों के अनुसार प्रति एकड़ ३० पौंड पी२ ओ५ का प्रयोग करना अधिक लाभप्रद है।

रबी की महत्वपूर्ण दालदार फसलें—

१. बरसीम — चारे के लिये।
२. मटर — दाल एवं चारे के लिये।
३. चना — विभिन्न प्रयोगों के लिये।
४. मेथी एवं सैंजी पशुओं के चारे के लिये।
५. मसूर — दाल के लिये।

इन फसलों की बुवाई अक्तूबर के अन्त तक कर देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है, परन्तु मटर एवं मसूर को नवम्बर के अन्त तक बोया जा सकता है।

बरसीम की खेती

खरीफ की फसल कटने के पश्चात् पहिली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा तीन-चार जुताइयाँ देशी हल अथवा कल्टीवेटर से करके खेत तैयार कर लेना चाहिए। आखिरी जुताई के समय यदि संभव हो सके तो नाई द्वारा देशी हल के पीछे ६० पौंड सुपरफास्फेट का प्रयोग कूंड़ में कर देना चाहिये। अन्त में सिंचाई की सुविधा के लिये खेत को बोने से पहिले छोटी-छोटी क्यारियों में बाँट देना चाहिए तथा पानी के समान वितरण के लिये क्यारियों को करहा से समतल किया जा सकता है।

बरसीम कल्चर का प्रयोग

उन खेतों में बरसीम कल्चर का प्रयोग करना आवश्यक है जिनमें पहले पहल बरसीम बोई जा रही है। बरसीम कल्चर एक बनी हुई मिट्टी होती है जिसमें बरसीम की जड़ वाले कीटाणु रहते हैं। यह मिट्टी हर सहकारी, कृषि एवं गन्ना बीज भंडारों से बरसीम के बीज के साथ मुफ्त मिल सकती है।

बरसीम कल्चर मिलाने के लिये आधा सेर पानी में एक छटाँक गुड़ या शीरा घोलकर मिला लें। बीज को स्वच्छ बोरे के टुकड़े के ऊपर रखकर धीरे धीरे कल्चर को इस पर डालें। बीज को भली भाँति मिलाकर साये में सुखा लें। आधा पौंड कल्चर १० सेर बरसीम के बीज के लिये पर्याप्त होता है।

बोने की विधि

(१) ८ से १० सेर बरसीम का बीज क्यारियों में छिड़ककर बोना चाहिए और बाद में खेत में पानी भर देना चाहिये।

(२) क्यारियों में पहिले पानी भर कर भी खेत में बरसीम का बीज छिड़क कर बोया जा सकता है। यह तरीका नं० १ की अपेक्षा उत्तम सिद्ध हुआ है। बरसीम सितम्बर के अन्तिम सप्ताह से नवम्बर के अन्त तक बोयी जा सकती है परन्तु जल्द बोने से अधिक चारा मिलता है।

बरसीम की आवश्यकतानुसार ६-७ सिंचाई करनी चाहिए। हर कटाई के बाद सिंचाई करनी चाहिए। यदि फसल कमजोर हो तो पहली सिंचाई के साथ २०-२५ सेर अमोनियम सल्फेट प्रति एकड़ छिड़कना लाभकारी है। बरसीम की ४-५ कटाई संभव है जिससे ४००-५०० मन हरा चारा प्रति एकड़ मिल जाता है।

यदि बरसीम का बीज लेना हो तो फरवरी के बाद उसकी कटाई नहीं करनी चाहिये। कटाई से पहले बीज वाले खेतों से कासनी के पौधों को निकाल देना आवश्यक है। एक एकड़ से लगभग ३ से ५ मन तक बीज की पैदावार मिल सकती है।

धान की खड़ी फसल में बरसीम बोना

धान के उन खेतों में जहाँ पर कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, सितम्बर के अन्त तक धान की खड़ी फसल में बरसीम के बीज को छिड़क देना चाहिए। यदि खेत में काफी नमी नहीं है तो बीज की बुवाई गहरी सिंचाई करने के बाद कर देनी चाहिए। पक जाने पर धान को काट लिया जाय लेकिन बरसीम को बढ़ने दिया जाय। यह तरीका सहारनपुर में बहुत सफल पाया गया है तथा प्रदेश के धान उगाये जाने वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है।

मटर

मटर की बुआई दिसम्बर के मध्य तक की जा सकती है। इसलिये इसे उन खेतों में बोना चाहिए जो कि बाद में काटे जाते हैं। प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों के लिये टा० १६३ का बीज

सबसे उत्तम सिद्ध हुआ है। इसने मटर की सभी जातियों को मात कर दिया है। २५–३० प्रतिशत अधिक उपज देने के बावजूद भी इसको बाद में बोया जा सकता है। इसका मूल्य भी बाजार में स्थानीय जाति की मटर की अपेक्षा अधिक मिलता है।

धान काटने के बाद तीन या चार जुताइयां कर देनी चाहिए। आखिरी जुताई के समय हल के पीछे कूंड़ों में प्रति एकड़ २–३ मन सुपरफास्फेट बो देना चाहिए। २० से २५ सेर मटर दाने के लिये और ३० से ३५ सेर बीज प्रति एकड़ चारे के लिये कूंड़ों में बोना चाहिए। हैंड हो, खुरपी से एक बार निराई करने से उपज बढ़ जाती है। मटर को धान की खड़ी फसल वाले खेतों में भी जमने के लिये पर्याप्त नमी होने पर बोया जा सकता है।

चना

चने की बुआई अक्तूबर के अन्त तक की जा सकती है। २ या ३ जुताइयां करने के बाद प्रति एकड़ २–३ मन सुपरफास्फेट का प्रयोग करना चाहिए तथा नाई वाले देशी हल या बीज गिराने वाले चोंगा लगे कल्टीवेटर से प्रति एकड़ ३० सेर की मात्रा में बीज बोना चाहिए।

मेथी या सैंजी

बुवाई के लिये क्यारियां बनाने के लिये ३ या ४ जुताइयां करनी चाहिए। २ मन प्रति एकड़ के हिसाब से गहरे, कूंड़ों में सुपरफास्फेट का प्रयोग किया जाय तथा बरसीम की तरह बीज छोटी क्यारियों में बोया जाय। दोनों फसलें चारे की उपज के लिये उत्तम हैं।

मसूर

धान एवं अन्य खरीफ की फसलें काटने के बाद २–३ जुताइयां कर देनी चाहिए। कतारों में ९ इन्च की दूरी पर मसूर का बीज हल के पीछे बोया जा सकता है। आखिरी जुताई के समय प्रति एकड़ २ मन की दर से देशी हल के पीछे कूंड़ों में सुपरफास्फेट दिया जा सकता है। यह फसल दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तक बोयी जा सकती है। एक एकड़ मसूर के खेत से ७–८ मन दाना तथा उतना ही भूसा मिल जाता है।

में भी बोयी जा सकती है।

मसूर, बरसीम की तरह धान की खड़ी फसल

———

(

३१-११-

क्रमांक	कीड़ा या बीमारी	रोकथाम के लिये उपचार	उपचार का समय	कुल अनुमानित खर्च	लागू ... वसूली ...
१	२	३	४	५	६
७.	आलू का पछेता झुलसा	पेरेनाक्स या अन्य उपयुक्त फफूंदी नाशकों का छिड़काव	नवम्बर से मार्च तक (मैदान), मार्च से अगस्त तक (पहाड़ियां)	प्रति एकड़ ७ रु. से ६ रु. तक	प्रति एकड़
८.	आलू का अगेता झुलसा	पेरेनाक्स या अन्य उपयुक्त फफूंदी नाशकों का छिड़काव	नवम्बर एवं उसके बाद	प्रति एकड़ ७ रु. से ६ रु. तक	प्रति एकड़

5/2/63

नोट—विशिष्ट स्थान (लोकलिटी) का तात्पर्य उस

...१६ तक ...ल्य की ...ी दर	१-१२-१९५६ से लागू मूल्य वसूल करने योग्य दर	विशेष	राजकीय आदेश संख्या
	७	८	९
...ड़ ५ रु.	प्रति एकड़ ५ रु.	यदि उपचार किया जाने वाला क्षेत्र, ३ एकड़ से कम हो या उपचार के स्थान तक जाने के लिये रेल या बस सेवा का कोई प्रबन्ध न हो या बस या रेलवे स्टेशन से उपचार के स्थान तक जाने तथा वहां से आने का कोई साधन न हो तो समीपवर्त्ती कृषि रक्षा केन्द्र। उपकेन्द्र से उपचार के स्थान तक जाने तथा वहां से आने के लिये साधन एवं फफूंदी नाशकों के प्रयोग हेतु मुफ्त यातायात का प्रबन्ध किसानों को करना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसानों को पानी एवं मजदूर का भी मुफ्त प्रबन्ध करना पड़ेगा।	७४६।१२ बी- १०२५।१९५३ दि० २७ अप्रैल, १९५७
५ रु.	प्रति एकड़ ५ रु.	यदि उपचार किया जाने वाला क्षेत्र ३ एकड़ से कम हो या यदि उपचार के स्थान तक जाने के लिये रेल या बस सेवा का कोई प्रबन्ध न हो या बस या रेलवे स्टेशन से उपचार के स्थान तक जाने तथा वहां से आने का कोई साधन न हो, तो समीपवर्त्ती कृषि रक्षा केन्द्र। उपकेन्द्र से उपचार के स्थान तक जाने तथा वहां से आने के लिये साधन एवं फफूंदी नाशकों के प्रयोग हेतु किसानों द्वारा मुफ्त यातायात का प्रबन्ध करना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसानों द्वारा पानी तथा मजदूर का भी मुफ्त प्रबन्ध करना पड़ेगा।	७४६।१२ बी- १०२५।१९५३ दि० २७ अप्रैल, १९५७

...त्र से है जो कि लगभग १ मील अर्ध व्यास के अन्तर्गत हो।

परिशिष्ट—च

उत्तर प्रदेशीय ढंग से गेहूं की खेती

१—मुख्य बातें

१. खेत की अच्छी तैयारी।
२. बीज का उपचार।
३. ठीक समय पर बुआई।
४. उचित खाद देना।
५. उचित समय पर सिंचाई करना।
६. निराई गुड़ाई संबंधी क्रियायें।

२—आवश्यक साधन एवं सामग्री

१. हल—कोई भी मिट्टी पलटने वाला हल।
२. कल्टीवेटर—३ या ५ फलवाला कल्टीवेटर।
३. सिंह पटेला।
४. आस्टर सीडड्रिल, बीज गिराने वाले चोंगे सहित कल्टीवेटर, बक्खर सीडर, देशी हल के लिये नाई।
५. डिब्लर।
६. सिंह एण्ड शर्मा हैंड हो।
७. ओल्पैड थ्रेसर।
८. उन्नत जातियों का बीज।
९. उर्वरक—नत्रजन, फास्फेटिक, यू० पी० मिश्रण नं० १ या २, नाइट्रो फास्फेट, अमोनियम फास्फेट।
१०. बी० एच० सी० ५ प्रतिशत तथा १० प्रतिशत।

३—मिट्टी की किस्म

बलुई एवं राकर मिट्टी को छोड़कर गेहूँ, सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाता है। लेकिन गेहूँ की खेती के लिये सबसे उपयुक्त मिट्टी हल्की दूमट व छाब वाली है।

४—उत्तम खेत की तैयारियाँ

(१) उन्नत कृषि यंत्रों से :—

(अ) हरी खाद वाले खेतों में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ ३-४ बार कल्टीवेटर से जुताई कर देनी चाहिए।

(ब) यदि खेतों में हरी खाद नहीं दी गई है, बल्कि सिर्फ गर्मी की जुताई की गई है, पहली जुताई हल्के मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके बाद ४-५ बार कल्टीवेटर से जुताई करने पर खेत तैयार हो जायेगा।

(२) सिर्फ देशी हल का प्रयोग करने पर बिना हरी खाद वाले खेतों में १०-१२ जुताइयाँ आड़ी तिरछी तथा हरी खाद वाले खेतों में ६-८ जुताइयां अवश्य करनी चाहिये।

सभी परिस्थितियों में प्रत्येक जुताई के बाद पटेला का प्रयोग होना चाहिए। सिंह पटेला का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यह बहु-उद्देशीय यंत्र है जो कि पटेला, कल्टीवेटर तथा वीडरेक के उद्देश्यों को पूरा करता है।

५—बीज की बुआई

(१) बीज का महत्व

अच्छी पैदावार के लिये उन्नत जातियों (परिशिष्ट क, ख) के स्वस्थ बीज का होना आवश्यक है। खूब विकसित स्वस्थ बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। बोये जाने वाले बीज को ओसा देना चाहिए जिससे कि हल्के बीज अलग हो जाँय।

(२) बुआई का समय

जहाँ तक संभव हो २० अक्तूबर के बाद जितनी जल्दी हो बुआई शुरू कर देनी

चाहिए तथा नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक खत्म हो जानी चाहिए। गेहूँ की फसल के लिये बुआई का समय बहुत महत्त्वपूर्ण है तथा इस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। ५ नवम्बर के बाद बुआई करने पर प्रति दिन १ मन के हिसाब से उपज धीरे-धीरे कम होने लगती है।

(३) बीज दर

बुआई की पद्धतियों एवं भूमि उर्वरता के अनुसार बीज दर भिन्न-भिन्न होना चाहिए। चूंकि खेत की उचित तैयारी एवं अनुकूलतम खाद की मात्रा का प्रयोग करना इस ढंग से खेती करने के लिये आवश्यक होता है, इसलिये देशी हल के पीछे बुआई करने पर बीज की मात्रा प्रति एकड़ ३० सेर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि भूमि की तैयारी या खाद देने का स्तर तथा मिट्टी की नमी संतोषजनक नहीं है, तो बीज मात्रा प्रति एकड़ ४० सेर तक बढ़ायी जा सकती है। डिब्लर द्वारा बोआई करने पर बीज की मात्रा प्रति एकड़ ८ सेर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीड ड्रिल से बुआई करने पर २५-३० सेर बीज की मात्रा पर्याप्त होगी। देर से बुआई करने पर बीज की मात्रा कम नहीं की जानी चाहिए।

(४) बुआई की विधि

निम्नांकित किसी एक तरीके द्वारा बुआई की जा सकती है:—

(अ) डिब्लर

(ब) सीड ड्रिल

(स) बीज गिराने वाले चोंगा लगे कल्टीवेटर

(द) बक्खर एवं सीडिंग अटैंचमेंट (चिरगाँव टाइप)

(इ) नाई द्वारा देशी हल के पीछे

उपरोक्त किसी भी एक पद्धति द्वारा ६ इंच की दूरी पर सीधी कतार में बीज बोना चाहिए। डिब्लर द्वारा बुआई करने से कम बीज लगता है तथा उतने ही समय में बीज की बुआई समाप्त हो जाती है जितने समय में देशी हल से। सीड ड्रिल की मुख्य विशेषता यह है कि यह भूमि में नियमित मात्रा में बीज को रखता है तथा नाई या बिना नाई वाले देशी हल की अपेक्षा कम समय में बीज को बो देता है। बीज गिराने वाला चोंगा लगा कल्टीवेटर, यद्यपि सीड ड्रिल के समान बीज बोने में सक्षम नहीं है, फिर भी देशी हल की

अपेक्षा कम समय में बीज को बो देता है। सीड ड्रिल या कल्टीवेटर द्वारा बुआई करने से बुआई में लगभग दो तिहाई खर्च कम पड़ता है।

सामान्य बुआई के लिये डिब्लर का अधिक प्रचार हो रहा है, यद्यपि प्रारम्भ में इसका प्रथम श्रेणी के बीज-वृद्धि के लिये प्रयोग किया गया था। उन्नत बीजों की शीघ्र वृद्धि तथा उपलब्ध प्रथम श्रेणी के बीजों की सीमित मात्रा के सदुपयोग के लिये डिब्लर को आन्दोलन में महत्ता समझी जा सकती है।

स्थानीय रूप में तैयार किया गया डिब्लर २७ खूंटियों का यंत्र है जिसमें खूंटियों की तीन लाइनें होती हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी ६ इंच और एक खूंटी से दूसरी खूंटी की दूरी ४॥ इंच होती है। खूंटी की लम्बाई ३॥ इंच और व्यास २/३ इंच होता है।

डिब्लिंग द्वारा बोये जाने वाले खेतों में पर्याप्त नमी रहनी चाहिये तथा सफल परिणाम प्राप्त करने के लिये ५ परिस्थितियाँ आवश्यक हैं :—

१—प्रत्येक छेद में २ बीजों से ज्यादा नहीं बोना चाहिए तथा बीज को बोने से पूर्व प्रति मन २-२॥ सेर ५ प्रतिशत बी० एच० सी० से उपचारित कर लेना चाहिए।

२—जब डिब्लर से बुआई की जाय तब बुआई के लिये भूमि की अन्तिम तैयारी खेत के कुछ भागों में (एक समय एक बिस्वा से अधिक नहीं) करनी चाहिए। जैसे ही एक भाग में बुआई खतम हो जाय तथा उसमें पटेला दे दिया जाय, तब दूसरे भाग में बुआई के लिये तैयारी शुरू कर देनी चाहिये।

३—खेत अधिक उर्वर होना चाहिये तथा उसमें पर्याप्त खाद दी गई हो। डिब्लिंग सिर्फ सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत सफल हो सकता है।

४—अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह तक डिब्लर द्वारा बुआई खतम हो जानी चाहिए। ३१ अक्तूबर के बाद डिब्लर द्वारा हरगिज बोआई नहीं करनी चाहिए। जिन खेतों में अधिक नमी हो या नमी की मात्रा पर्याप्त न हो, उन खेतों में डिब्लिंग द्वारा बोआई नहीं करनी चाहिये।

६—खाद की मात्रा

लगभग ३० मन उपज देने वाली गेहूँ की फसल में प्रति एकड़ ४५-५० पौं. नत्रजन, २०-२५ पौं. पी२ ओ५ एवं २०-२५ पौं. के. २ ओ० की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतया

अभी तक पोटाश का प्रयोग लाभप्रद नहीं पाया गया है। वर्तमान स्थिति में नत्रजन एवं फास्फेट सम्बन्धी जरूरतों की पूर्ति हेतु पूरी कोशिश करनी है।

नत्रजन एवं पी२ ओ५ की कम से कम आधी आवश्यकतायें प्रांगारिक रूप में तथा शेष रासायनिक उर्वरकों के रूप में सप्लाई की जानी चाहिए। प्रांगारिक खादों का प्रयोग खेतों की पहली जुताई के समय या इसके बाद भिन्न-भिन्न रूप में करना चाहिए। यदि खेत में हरी खाद बोयी जाय तो उसे मध्य अगस्त के पहले भूमि में पलट देना चाहिए। हरी खादें लगभग उर्वरकों की तरह कार्य करती हैं तथा प्रांगारिक खादों के विपरीत स्थानीय भूमि में अवशेषात्मक प्रभाव नहीं डालतीं।

सभी फास्फेट एवं रासायनिक उर्वरकों के रूप में नत्रजन की आधी आवश्यक मात्रा को बोने के पूर्व (बेसल ड्रेसिंग) प्रयोग करना चाहिए। खेत की आखिरी जुताई करते समय सुपरफास्फेट, हड्डी की खाद या मिश्रण का प्रयोग नाई के द्वारा बीज की तरह उसी कतार में ४ इन्च की गहराई में करना चाहिए तथा नत्रजनीय उर्वरकों का समान रूप से छिटकवाँ प्रयोग किया जाना चाहिए। सुपरफास्फेट, हड्डी की खाद या उर्वरक मिश्रण का प्रयोग एक अलग कतार में जो कि बीज की कतार से २ इन्च की दूरी पर हो, किया जा सकता है। सामान्यतया उन खेतों को छोड़कर जिनमें हरी खाद दी गई है, उत्तर प्रदेशीय ढंग से गेहूँ की खेती किये जाने वाले सभी खेतों में उर्वरक मिश्रण नं० १ की एक बोरी का प्रयोग एक एकड़ में करना चाहिये। जिन खेतों में हरी खाद दी गई है केवल आधी बोरी का प्रयोग किया जा सकता है।

(अ) बुआई के पूर्व खाद देना (बेसल मैन्योरिंग)

गेहूँ बोये जाने वाले खेतों में उचित ढंग से हरी खाद दी जानी चाहिए। हरी खाद की अनुपस्थिति में ८०–१०० मन खूब सड़ी हुई गोबर की खाद प्रयोग करनी चाहिए तथा बुआई के एक माह पहले उसे मिट्टी में भली प्रकार मिला देना चाहिए। इसके साथ-साथ प्रति एकड़ एक बोरी (५० किलो ग्राम) उर्वरक मिश्रण नं० १ या १॥ बोरी उर्वरक मिश्रण नं० २ का प्रयोग करना चाहिए। फिर भी गोबर की खाद या कम्पोस्ट की कमी होने के कारण यू० पी० मिश्रण नं० १ जो कि खासतौर से अलडरीन युक्त है तथा सुपरफास्फेट का प्रयोग किया जा सकता है। एक बोरी उर्वरक मिश्रण नं० १, प्रत्येक ५० मन कम्पोस्ट की खाद के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है।

(ब) टापड्रेसिंग

सामान्यतया खाद देने की उपरोक्त प्रणाली के अन्तर्गत उपजाऊ भूमि में टापड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं होगी। नम मौसम में तथा विशेषकर हल्की भूमियों में जहाँ पर फसल कुछ-कुछ पीली दिखाई दे, प्रति एकड़ २०–३० पौंड अमोनियम सल्फेट से टापड्रेसिंग की जा सकती है। इसे पहली सिंचाई के साथ या दिसम्बर के प्रथम पखवारे में प्रयोग करना चाहिए।

अमोनियम सल्फेट के स्थान पर यूरिया, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जैसे नत्रजन के अन्य वाहकों को नत्रजन के हिसाब से प्रयोग किया जा सकता है।

विभिन्न उर्वरकों की प्रति एकड़ मात्रायें

उर्वरकों के नाम	जब खेतों में हरी खाद बोई गई हो या कम्पोस्ट का प्रयोग किया गया हो	बिना खाद वाले खेत
(अ) नत्रजनिक		
१. अमोनियम सल्फेट	५० पौंड	१०० पौंड
२. यूरिया	२२ ,,	४५ ,,
३. कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	५० ,,	१०० ,,
४. अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	४० ,,	८० ,,
५. अमोनियम क्लोराइड	४० ,,	८० ,,
६. अमोनियम नाइट्रेट	३० ,,	६० ,,
७. चिलियन नाइट्रेट	६२ ,,	१२५ ,,
(ब) फास्फेटिक उर्वरक		
१. सुपर-फास्फेट	३७ ,,	७५ ,,
२. हड्डी की खाद	३० ,,	६० ,,
(स) मिश्रित उर्वरक		
१. उर्वरक मिश्रण नं० १	५६ ,,	११२ ,,

२. अमोनियम फास्फेट एवं	२१ ,,	४२ ,,
अमोनियम सल्फेट	३६ ,,	७८ ,,
३. नाइट्रोफास्फेट एवं	५० ,,	१०० ,,
अमोनियम सल्फेट	२५ ,,	२५ ,,

७—सिंचाई

नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में पहली सिंचाई बुआई के २१-२५ दिनों बाद अवश्य कर देनी चाहिए। यदि आवश्यकतानुसार सिंचाई उपलब्ध हो तो पहली सिंचाई उस समय करनी चाहिए जबकि पौधे दोपहर के बाद मुरझाने लगें। यदि इस बीच वर्षा न हुई हो तो दूसरी सिंचाई दिसम्बर के चौथे सप्ताह में या जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में फसल की दूधिया अवस्था के समय करनी चाहिए। यह सिंचाई दिन में उस समय करनी चाहिए जबकि तेज हवा न बहती हो अन्यथा फसल नीचे जमीन पर गिर सकती है। सामान्यतया इस अवस्था में सिंचाई दोपहर के बाद करनी चाहिए। जाड़े में वर्षा न होने पर फसल की दूधिया अवस्था के समय एक सिंचाई आवश्यक है अन्यथा उपज कम हो जायगी।

८—निराई गुड़ाई

निराई गुड़ाई से पौधों द्वारा पानी एवं खादों का सदुपयोग हो जाता है तथा इस प्रकार फसल की उपज बढ़ जाती है। इस पद्धति के प्रचार की जरूरत है। पहली सिंचाई के बाद खेतों में सिंह या शर्मा हैंड हो या दूथ तीन हैरो चला देना चाहिए। बीज बोने के बाद ७ सप्ताह तक गुड़ाई खत्म कर देनी चाहिए।

९—छंटाई

कटाई के पहले समय-समय पर कंडुआ ग्रस्त बालियों एवं अन्य जातियों की छंटाई कर देनी चाहिए।

१०—मड़ाई

कम से कम ५ एकड़ से अधिक जोत वाले किसानों को आल्पेड थ्रेशर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। थ्रेशर का प्रयोग करने से लगभग ४० प्रतिशत तक मड़ाई के खर्चे में कमी हो जाती है तथा समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है।

परिशिष्ट—छ

उत्तर प्रदेशीय ढंग से जौ की खेती

(१) खेत की अच्छी तैयारी

(अ) उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग।

(ब) खेत की पहली जुताई के लिये भूमि पलटने वाले हल का प्रयोग।

(स) कल्टीवेटर, स्प्रिंग टूथ हैरो एवं सिंह पटेला के प्रयोग से खेती में कम खर्च पड़ता है। इसलिये खेतों की तैयारी में इन यंत्रों का प्रचलन अवश्य ही होना चाहिए। हरी खाद की फसलों को भूमि के अन्दर पलटने के लिये हमेशा मिट्टी पलटने वाले हल का प्रयोग करना चाहिए।

(२) स्थान विशेष के लिये समर्थित उन्नत जाति के उत्तम स्वस्थ बीज का प्रयोग कीजिये (परिशिष्ट ख)

(अ) दीमक के आक्रमण की संभावना होने पर बुआई के पहले १ मन बीज में २–२॥ सेर बी० एच० सी० का चूर्ण मिलाइए। बुआई के बाद आक्रमण होने पर बी० एच० सी० चूर्ण को भूमि में भली प्रकार मिला दीजिये।

(ब) कंडुआ की रोकथाम के लिये २ छटांक प्रति मन बीज की दर से अग्रोसन जी० एन० द्वारा बीज का उपचार कीजिये।

(३) बीज की मात्रा

बिना ड्रिलिंग द्वारा बोयी गयी फसलों के लिये प्रति एकड़ ३०–४० सेर बीज।

(४) बुआई का समय

अक्तूबर के तीसरे सप्ताह से नवम्बर के पहले सप्ताह तक बुआई करना सर्वोत्तम माना जाता है।

(५) बुआई

बुआई निम्नांकित विधियों द्वारा की जा सकती है—

(अ) नाई या बिना नाई वाले देशी हल के पीछे।

(ब) सीड ड्रिल।

(स) कल्टीवेटर द्वारा जिसमें बीज गिराने वाले चोंगे लगे हों।

सीड ड्रिल या कल्टीवेटर द्वारा बुआई करने से बुआई में लगभग दो तिहाई खर्च कम पड़ता है।

यद्यपि देशी हल द्वारा जौ की बुआई की जा सकती है, फिर भी सीडड्रिल चोंगा वाले कल्टीवेटर या चिरगाँव में विकसित नक्खर सीडर द्वारा ही अधिक से अधिक बुआई करने की कोशिश की जानी चाहिए। ५ एकड़ से अधिक जोत वाले इन उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं।

(६) खाद की मात्रा

प्रति एकड़ ४० पौंड नत्रजन और २० पौंड पी २ ओ ५ की सिफारिश की जाती है। ४० पौंड नत्रजन में से, एक तिहाई नत्रजन का प्रयोग अप्रांगारिक रूप में एवं बाकी का प्रांगारिक रूप में हरी खाद, खली, गोबर की खाद, कम्पोस्ट आदि के तौर पर करना चाहिए।

(७) उर्वरकों एवं खादों के प्रयोग की विधि

बुआई से कम से कम एक माह पहले जैविक खादों का प्रयोग किया जाना चाहिए। हरी खाद देने की पद्धति अपनाने पर उसे मध्य अगस्त के पहले भूमि के अन्दर पलट देना चाहिए।

सुपरफास्फेट एवं मिश्रण का प्रयोग हमेशा नाई या बिना नाई वाले हल के पीछे चोंगा लगे तीन फल वाले कल्टीवेटर द्वारा कूंड़ों में करना चाहिए।

बनावटी उर्वरकों द्वारा नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग सुपरफास्फेट के साथ एवं आधी मात्रा का टापड्रेसिंग के तौर पर पहली सिंचाई के साथ साथ करना चाहिए।

(८) सिंचाई

मौसम के अनुसार १-३ बार सिंचाई करनी चाहिए। जाड़े की वर्षा न होने पर फसल की दूधिया अवस्था में एक बार सिंचाई आवश्यक है। ऐसा न करने से उपज कम हो जाती है।

(९) निराई गुड़ाई

जोरदार फसल उगाने के लिये निराई गुड़ाई जरूरी है तथा इस पद्धति का प्रचार किया जाना चाहिए। निराई गुड़ाई या तो खुर्पी, सिंह एण्ड शर्मा हैंड हो या हील हो जैसे हस्त यंत्रों द्वारा या स्पाइक टूथ हैरो जैसे बैलों द्वारा खींचे जाने वाले यंत्रों द्वारा की जा सकती है।

(१०) छंटाई

स्थानीय जातियों के सभी पौधों, कण्डुआ ग्रस्त बालियों एवं अन्य पौधों को समय समय पर निकालते रहना चाहिये।

(११) मड़ाई

मड़ाई के लिये आल्पैड थ्रेशर का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करने से लगभग ४० प्रतिशत तक मड़ाई के खर्चे में कमी हो जाती है तथा समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है।

(१२) कीड़े एवं बीमारियां

(अ) दीमक — — बुआई के पहले २-२॥ सेर ५ प्रतिशत बी० एच० सी० चूर्ण को १ मन बीज के साथ मिलाइए।

(ब) गुजिया — — अंकुरण के बाद २०-३० पौं०, १० प्रतिशत बी० एच० सी० चूर्ण या ५ प्रतिशत एल्ड्रिन को भूमि में भली-भाँति मिला दीजिये।

(स) चूहे — — चारे को जिंक फारफाइड से जहरीला कर दीजिये (चारे की सामग्री के २० भागों में विष का १ भाग)

(द) गेरुई — — (१) फसल की शीघ्र बुआई कीजिये।
(२) शीघ्र पकने वाली जातियाँ बोइए।
(३) अधिक सिंचाई मत कीजिये।

(ध) अनावृत्त कंडुआ — (१) तीन बार कंडुआग्रस्त बालियों की छटाई कीजिये तथा उन्हें जला दीजिये।
(२) रोग ग्रस्त खेतों से बीज का प्रयोग मत कीजिये।
(३) रोग के आक्रमण को बर्दाश्त करने वाली जातियां बोइए।

(न) आवृत कंडुआ — (१) रोग ग्रस्त खेतों वाले बीज को मत बोइए।
(२) मौसम में तीन बार कंडुआग्रस्त बालियों की छंटाई कीजिये।
(३) २ छटाँक प्रति मन बीज की दर से अग्रोसन जी० एन० से बीज का उपचार कीजिये।

परिशिष्ट—ज

गेहूँ व जौ की डिब्लर द्वारा बुआई

चार एकड़ या उससे कम जोत वाले किसानों के गेहूं और जौ वाले सभी सिंचित क्षेत्रों में डिब्लर द्वारा बुआई करने का लक्ष्य है। अधिक जोत वाले किसानों को चाहिए कि वे पूरे सिंचित क्षेत्र में डिब्लिंग करें या यदि सिंचित क्षेत्र ४ एकड़ से अधिक है तो कम से कम ४ एकड़ में तो अवश्य ही डिब्लिंग पद्धति अपनायें।

डिब्लर से बुआई करने में प्रति एकड़ १२ आदमियों की जरूरत पड़ती है। इससे पश्चिमी और मध्यवर्ती जिलों में लगभग १७-३२ सेर बीज तथा पूर्वी जिलों में प्रति एकड़ ३२-७२ सेर तक बीज की मात्रा की बचत की जा सकती है।

डिब्लर द्वारा बोने के लिये कृषि पद्धतियां वही होंगी जो कि उत्तर प्रदेशीय ढंग से गेहूं की खेती या जौ की खेती में क्रमशः अपनायी जाती हैं।

डिब्लिंग या तो डिब्लर, खुर्पी या सीड ड्रिल द्वारा प्रति एकड़ ६-८ सेर बीज की मात्रा के हिसाब से की जा सकती है।

सिंचाई की सुविधाओं से सम्पन्न खेतों में ही डिब्लिंग करनी चाहिए। जो खेत भली प्रकार तैयार किये गये हैं तथा जिनमें उत्तर प्रदेशीय ढंग से गेहूँ और जौ की खेती के अन्तर्गत समर्थित मात्रा के अनुसार खाद दी गयी है, उनमें डिब्लिंग द्वारा बुआई की जानी चाहिए।

इस ढंग द्वारा बुआई करने से लाइनों के निशान बनाने में अधिक समय लगता है। श्रम की बचत के लिये निम्नांकित तरीका अपनाइए—

लगभग १०—१२ फीट लंबी, ३-४ इंच चौड़ी और २ इंच मोटी लकड़ी का टुकड़ा अथवा गोल बाँस ले लीजिये। ६-६ इंच की दूरी पर उसमें लम्बी कीलें लगा दें। खेत में खींचने के लिये एक तरफ एक लम्बा हैंडिल (मुठिया) लगा दें। खेत में एक लाइन का निशान रस्सी

से बना लें। अब उक्त यंत्र को एक आदमी रस्सी वाले निशान पर खेत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींच कर ले जाय। कतारों में पौधों के बीच की दूरी ४॥ इंच होनी चाहिए। इस प्रकार एक बार में ही कई लाइनों के निशान आसानी से बन जायेंगे। इस यंत्र का व्यवहार तब तक करें जब तक कि पूरे खेत में निशान न लग जावें।

यह निशान लगाने वाला यंत्र स्थानीय साधनों द्वारा हर गाँव में आसानी से बनाया जा सकता है।

परिशिष्ट--क्ष

असिंचित क्षेत्रों में फसलों की कतारों में बुआई तथा निराई गुड़ाई

प्रदेश के अधिकांश भागों में रबी की फसलों को कतार में बोने की सामान्य प्रथा है। जहां पर इसकी फसलें कतारों में नहीं बोयी जातीं, वहां इस पद्धति के प्रचार की आवश्यकता है।

असिंचित क्षेत्रों में रबी की फसलों की निराई गुड़ाई बहुत आवश्यक है। इससे खर-पतवार निकल आते हैं तथा भूमि में नमी बनी रहती है। इसलिये उपज बढ़ाने के लिये इस पद्धति का प्रचार होना चाहिए।

किसी भी सुविधा जनक यंत्र से निराई गुड़ाई की जा सकती है। सिंह तथा शर्मा हैंड हो तथा व्हील हो द्वारा निराई गुड़ाई सरलता पूर्वक की जा सकती है।

आंकड़े तथा रिकार्ड रखना

परिशिष्ट—ट (१)

प्रारूप सं० १

१—प्रदर्शन की किस्म .... प्रदर्शनकर्त्ता का नं० ....

२—गाँव का नाम .... पत्रालय .... क्षेत्र .... जिला ....

३—किसान का नाम .... पिता का नाम ....

४—खेत का नम्बर ....

५—खेत का कुल क्षेत्रफल वर्ग फीटों में (लम्बाई X चौड़ाई) ....

६—प्रति प्लाट की नाप लम्बाई X चौड़ाई वर्गफुट ....

७—मिट्टी की किस्म ....

८—सिंचाई की सुविधा ....

९—खेत में पहले की गई फसल ....

१०—फसल बोने से पहले (बेसल ड्रेसिंग) दी गयी खाद ....

११—उपचार—

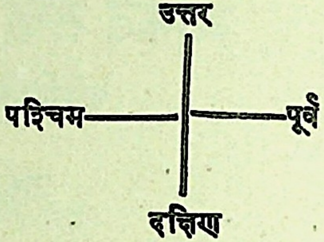
(अ) ....

(ब) ....

(स) ....

(द) ....

१२—प्रदर्शन का रेखा चित्र



नोट—प्रदर्शन को लिये गये खेत के चारों तरफ कोई विशेष चिन्ह जैसे इमारत, पेड़, सड़क इत्यादि और रेखा-चित्र के अन्दर उपचार का नम्बर देना चाहिए। (अ, ब, स, द इत्यादि)

१३—खाद—

खाद का नाम	खाद डालने की तारीख	मात्रा प्रति प्लाट	मात्रा प्रति एकड़

१४—बुआई की तारीख ....

१५—निराई गुड़ाई

तारीख	कार्य	तरीका

१६—सिंचाई की तारीख ....

१७—कीड़े तथा बीमारियां—

कीड़े या बीमारी का नाम	लगने की तारीख	तीव्रता	उपचार तारीख सहित

१८—कटाई की तारीख ....

उपचार	पैदावार के आंकड़े			
	प्रति प्लाट		प्रति एकड़	
	दाना	भूसा	दाना	भूसा
अ				
ब				
स				
द				

१६—प्रदर्शन फल—

उपचार	प्रति एकड़ उपज	प्रति एकड़ उपज की कीमत	उपचार की वजह से प्रति एकड़ अधिक खर्च	प्रति एकड़ कन्ट्रोल की अपेक्षा उपज में वृद्धि तथा कमी	उपचार की वजह से प्रति एकड़ उपज में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी	प्रति एकड़ बढ़ी या कम हुई उपज की कीमत	उपचार के कारण प्रति एकड़ फायदा या नुकसान	अन्य विवरण
अ—								
ब—								
स—								
द—								
य—								

टिप्पणी—(१) कन्ट्रोल में अतिरिक्त खर्च कुछ नहीं होगा।

(२) प्रदर्शन कर्त्ता प्रदर्शन की बावत अपने विचार तथा उस प्रदर्शन की बाबत गांव वालों की क्या प्रतिक्रियायें रहीं और क्यों? अगर प्रदर्शन किन्हीं कारणों से असफल हो गया है तो उसकी असफलता के कारण भी दिये जावें। प्रदर्शन के कार्यों का भी उल्लेख उनके सुधारों के सुझावों के साथ करना चाहिये।

२०. उपरोक्त प्रदर्शनों की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

इसके बाद दो पेज खाली छोड़ दिये जायें जिन पर निम्नलिखित होगा।

क्रम० सं०	प्रदर्शन देखने की तारीख	देखने वाले अधिकारी का पद	फसल के उपचारों के अनुसार हालत अन्य विशेष बातें जैसे रेखा-चित्र तथा अन्य आवश्यक सुझाव

प्रदर्शन के नतीजे लिखने वाले
वाले के हस्ताक्षर मय पद के।

प्रादेशिक उपसंचालक कृषि द्वा

क्र० संख्या	प्रदर्शन का प्रकार	हरेक समूह के कुल प्रदर्शन	प्रत्येक प्रक
			स० विका अधिका
१	२	३	४

सं

१
१-
२-
३-
४-
५-

विषय
अनुदान
यहाँ

बीजों
द्वारा
। इन
यों व
ों पर

थानों

प्रति

तौड़ी-
राता
अन्य
खाद

परिशिष्ट—ट (५)

प्रारूप सं० ५

रा भेजी जाने वाली प्रदर्शन की मासिक रिपोर्ट का फार्म

र के प्रदर्शनों की संख्या जिनका महीने भर में निरीक्षण किया गया					हरेक प्रकार के प्रदर्शन के बारे में विचार
स ी	खण्ड विकास अधिकारी	अतिरिक्त जि० कृ० अधिकारी	जि० कृ० अधिकारी	उपसंचालक कृषि	
	५	६	७	८	९

प्रा० उप०सं० कृषि के हस्ताक्षर

कृषि संचालक, उप विकास आयुक्त (कृषि) को प्रस्तुत करने के लिये।

क्र० सं०	कृषक का नाम

संक्षिप्त विश्लेषण रि

नोट:—१. उपचारों वे
या यंत्र इत्
२. विवरण व
उपचार से
दो खाने
३. संक्षिप्त वि
बावत सं
प्रदर्शन प
प्रकार से

विषय
अनुदान
यहाँ

बीजों
द्वारा
। इन
यों व
ों पर

थानों

प्रति

तोड़ी-
राता
अन्य
खाद

परिशिष्ट—ठ

सरकार द्वारा प्राप्त सुविधायें

१—कृषि सम्बन्धी

राज्य की विकास योजनाओं में कृषि कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है। इस विषय के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार तथा प्रसार के लिए सरकार की तरफ से ऋण तथा अनुदान की सुविधायें प्रदान की गई हैं। आम जनता की जानकारी के लिये इनका विवरण यहाँ दिया जा रहा है।

(अ) कृषि विभाग की ओर से दी जाने वाली सुविधायें—

१. समस्त राज्य में सरकारी फार्मों तथा कृषकों के निजी खेतों में उन्नतिशील बीजों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिये राजकीय बीज गोदामों और सहकारी बीज भंडारों द्वारा व्यक्तिगत कृषकों के लिये उन्नतिशील बीज का इन्तजाम कृषि विभाग करता है। इन बीज गोदामों में बीज के अतिरिक्त कृषि यंत्र, खाद तथा फसल सुरक्षा की दवाइयाँ व औजार भी मिलते हैं। कामदार तथा सहायक कृषि निरीक्षक कृषकों के खेतों पर उन्नतिशील तरीके से खेती करने का प्रदर्शन भी करते हैं।

२. बीज, पौधे, कृषि यन्त्रों, खाद के उपयोगों तथा फसल सुरक्षा के नये अनुसंधानों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा काश्तकारों तक पहुँचाना।

३. कस्बों में कम्पोस्ट योजना—नये केन्द्रों को आठ आने से एक रुपया प्रति टन की सहायता कस्बों के कूड़े-कचड़े आदि से बनाये गये कम्पोस्ट पर दी जाती है।

४. खाद की ढुलाई में सहायता—नैनीताल (पहाड़ी भाग), अल्मोड़ा, पौड़ी-गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी तथा देहरादून जिले की चकराता तहसील में खाद को बिक्री केन्द्र तक पहुँचाने में अधिक खर्च पड़ता है जिससे सूबे के अन्य हिस्सों की अपेक्षा वहां उसका भाव अधिक हो जाता है। इसलिये मुनासिब भाव से खाद

कास्तकारों को दिलाने के लिये ढुलाई के खर्च में १३६ रुपया प्रति टन सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

५. गाँव की स्थानीय खाद तथा हरी खाद की बढ़ोत्तरी—गाँव में स्थानीय खाद तथा हरी खाद तैयार करने के लिये दो हजार रुपये के कृषि यंत्र प्रत्येक जिले को दिये जाते हैं। इनमें स्थानीय खाद तथा हरी खाद की बढ़ोतरी के लिये ५०० रु०, ३०० रु० और २०० रु० के यंत्र क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाली ग्राम सभाओं को इनाम के रूप में दिये जाते हैं। इसी प्रकार केवल हरी खाद के क्षेत्रफल में जिस ब्लाक में अधिक बढ़ोतरी होती है, वहां की ग्राम सभाओं को भी क्रमशः ५०० रुपये, ३०० रुपये तथा २०० रुपये का प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनाम दिया जाता है।

६. तकावी की सुविधायें—कृषि यंत्रों, रासायनिक खाद तथा बीज आदि खरीदने के लिये तकावी की सुविधा दी जाती है।

७. पिछड़े हुये पन्द्रह पूर्वीय जिलों में (गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच) उद्यान तथा कृषि आदि के लिये विशेष रियायतें व सुविधायें दी गई हैं जो इस प्रकार हैं—

खाद सम्बन्धी

(अ) जलकुम्भी की कम्पोस्ट योजना—पूर्वीय जिलों में जलकुम्भी काफी मात्रा में पाई जाती है। इसका कम्पोस्ट आसानी से बनाया जा सकता है। इसके प्रोत्साहन के लिये कृषि विभाग द्वारा ग्राम सभा, सहकारी समिति या संस्था को प्रति टन कम्पोस्ट पर आठ रुपया की सहायता दी जाती है।

(ब) तालाब की मिट्टी खेत में डालना—पोखरे व तालाबों की बहकर आई मिट्टी में खाद रहती है। इसको खेत में डालने से उपज बढ़ जाती है। इसके प्रोत्साहन के लिये ढुलाई के खर्चे में प्रति १०० घनफुट मिट्टी डालने पर दो रुपया की सहायता ग्राम सभा को मिलती है।

(स) हड्डी का चूरा केन्द्र—ऐसे केन्द्र को स्थापित करने के लिये ग्राम सभा, सहकारी समिति तथा अन्य उत्साही व्यक्ति को ४,००० रुपये का ऋण "बोन डाइजेस्टर" की शक्ल में और २,५०० रुपया की सहायता गोदाम तथा अन्य सामान ठीक करने के लिये मिलेगा।

(द) (१) सुपरफास्फेट की बिक्री कीमत में २५ प्रतिशत की छूट, (२) मिक्सचर की एक हन्डरवेट की बोरी पर दो रुपये प्रति बोरी कम कीमत ली जाती है। इन दोनों खादों का प्रयोग पूर्वी जिलों में बहुत उपयोगी होगा। वहां इनका प्रचलन कम है अतः उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये ये सुविधायें दी जाती हैं।

उद्यान तथा कृषि सम्बन्धी

(क) पपीते के पौधे—१० पैसे कीमत के बजाय ५ पैसा प्रति पौधा कीमत ली जाती है जिससे अधिक से अधिक लोग इस पौधे को लगायें।

(ख) केला—केले की पुतियां ५० प्रतिशत कम दाम पर दी जाती हैं जिससे इसका प्रसार अधिक से अधिक हो।

(ग) अनन्नास की खेती—केवल गोरखपुर, देवरिया और बस्ती जिलों में ४०० एकड़ अनन्नास लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी खेती के खर्चे में २५ प्रतिशत सहायता और अनन्नास के पौधों की कीमत में २५ प्रतिशत छूट दी जाती है।

(घ) बाग लगाना—बाग लगाने के लिये ३०० रुपया प्रति एकड़ तकावी की व्यवस्था की गई है। एक काश्तकार को ३,००० रुपया से अधिक की तकावी नहीं दी जायगी। कम से कम आधा एकड़ का बाग अवश्य होना चाहिये।

(ङ) सिंघाड़ा की खेती—राज्य के १५ पूर्वी जिलों में से हर एक में ५० एकड़ रकबे पर सिंघाड़े की खेती कराने का लक्ष्य रखा गया है। सम्बन्धित ग्राम सभा को ५० रुपया प्रति एकड़ सहायता दी जायगी।

(च) शकरकन्द की खेती—इसकी काश्त भी फुटकर खेती में बड़ा महत्व रखती है। इसको प्रोत्साहन देने के लिये उपरोक्त पन्द्रह जिलों के सरकारी फार्मों पर आधे (डेढ़ रुपया प्रति मन) पर शकरकन्द की बेल की बिक्री का प्रबन्ध किया गया है।

(छ) आलू की खेती—एक ही खेत से आलू की दो अच्छी फसलें थोड़ा सा परिश्रम करने से आसानी से ली जा सकती हैं। इन जिलों में प्रति परिवार बहुत थोड़ी जमीन है इसलिये आवश्यक है कि सघन खेती की जाय। वर्ष में एक खेत से उत्तम आलू की दो फसल लेने के लिये २५ फीसदी या १५ रुपया प्रति एकड़ जो भी कम हो, सहायता काश्तकार को दी जायगी।

(ज) जिप्सम पर सहायता—ऊसर भूमि ठीक करने के लिये जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसकी कीमत में ५० प्रतिशत सहायता की व्यवस्था की गई है जिससे इसका प्रयोग अधिक हो सके।

फसल सुरक्षा

बहुत से लोग फसल सुरक्षा की कुछ सेवाओं से परिचित होंगे। विकास खंडों में ग्राम सेवक के पास मशीनें आदि हैं और गंधी, चूहों आदि की रोकथाम के लिये पर्याप्त काम किया गया है। कीट विशेषज्ञ तथा पौधे व्याधिविज्ञ, उत्तर प्रदेश की देख-रेख में पौध सुरक्षा सेवा का प्रबन्ध प्रत्येक जिले में है। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न फसल सुरक्षा के कामों के लिये विभाग द्वारा उपचार करने की दरें व शर्तें निश्चित की गई हैं जिनका विवरण नीचे दिये जा रहा है—

१—आम की लस्सी वाला कीड़ा (मैंगो हापर)

आम की लस्सी वाला कीड़ा (मैंगो हापर)—आम की लस्सी वाले कीड़े की रोकथाम के लिये डी० डी० टी० या अन्य उपयुक्त दवाओं का छिड़काव होता है। इस काम को फरवरी और आगे आम में फूल आने वाले समय में करना चाहिये। प्रति पेड़ ७५ नये पैसे का खर्च पड़ता है। लेकिन विभाग द्वारा ५० नये पैसों में प्रति पेड़ छिड़काव किया

जाता है। शर्त यह है कि जहां कार्य प्रारम्भ किया जाय उसके पास कम से कम ३० रुपये का प्रबन्ध जरूर हो, अर्थात् उस स्थान पर कम से कम ६० पेड़ों पर छिड़काव हो। फसल सुरक्षा केन्द्र, उपकेन्द्र अथवा रेलवे या बस स्टेशन तक सामान आदि ले जाने और वापस भेजने का प्रबन्ध भी काश्तकारों को करना पड़ेगा।

२—धान की गंधी

इसकी रोकथाम के लिये ५ प्रतिशत बी० एच० सी० या अन्य उपयुक्त दवायें छिड़की जाती हैं। जुलाई से आगे के महीनों में धान फूलने पर इसका प्रकोप होता है। प्रति एकड़ खर्च ४ रुपया आता है लेकिन विभाग से तीन रुपया प्रति एकड़ में रोकथाम की जाती है। कम से कम १५ रुपये का काम एक स्थान पर या आसपास होना चाहिये। काम लगातार चलता रहना चाहिये। सामान आदि ले जाने और वापस पहुँचाने का इन्तजाम काश्तकार को ही करना पड़ता है।

३—सिंघाड़ा का कीड़ा (बीटिल)

सिंघाड़े के कीड़े की रोकथाम के लिये ५ प्रतिशत बी० एच० सी० या अन्य कोई उपयुक्त दवा काम में लायी जाती है। मई माह से आगे के महीनों में इसका प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम का असल खर्च ५ रुपया प्रति एकड़ पड़ता है लेकिन विभाग द्वारा ४ रुपया ५० नये पैसे ही लिये जाते हैं। एक स्थान या पड़ोस में कम से कम साढ़े चार रुपये का काम मिलना चाहिये। सामान आदि ले जाने तथा वापस पहुँचाने की शर्तें ऊपर की ही भाँति हैं।

४—टिड्डे (ग्रासहापर)

उपयुक्त दवाई के छिड़काव करने से टिड्डों की रोकथाम होती है। साल भर तक इनके प्रकोप का भय रहता है। इनकी रोकथाम की दवाई का प्रति एकड़ खर्च साढ़े चार से साढ़े पाँच रुपये तक पड़ता है लेकिन विभाग चार रुपये प्रति एकड़ ही लेता है। कम से कम २० रुपये का काम एक स्थान पर अथवा उसके पास-पड़ोस में मिलना चाहिये जिससे काम लगातार चलता रहे। सामान की ढुलाई आदि की शर्तें ऊपर की भाँति ही रहेंगी।

५—सरसों का माहू (अफिड्स)

सरसों के माहू की रोकथाम के लिये तम्बाकू का घोल अथवा अन्य उपयुक्त दवा प्रयोग में लाई जाती है। नवम्बर से मार्च तक उसके प्रकोप का भय रहता है। रोकथाम के काम में प्रति एकड़ खर्च पन्द्रह रुपये से उन्नीस रुपये तक पड़ता है लेकिन विभाग साढ़े तीन रुपये प्रति एकड़ लेकर ही रोकथाम की दवा छिड़कता है। एक स्थान अथवा उसके पड़ोस में कम से कम पांच एकड़ के लिये रुपये जमा करने पड़ते हैं। सामान की ढुलाई आदि का प्रबन्ध किसानों को ही करना पड़ता है।

६—पाइरिला

पाइरिला कीड़े से गन्ने को बहुत नुकसान होता है। ५ प्रतिशत बी० एच० सी० का छिड़काव अथवा पानी में घुलने वाली ०·२५ प्रतिशत बी० एच० सी० का छिड़काव करके इसको रोका जाता है। साल भर इसके प्रकोप का भय रहता है। रोकथाम का असल खर्च छः रुपये से आठ रुपये प्रति एकड़ पड़ता है लेकिन विभाग द्वारा वर्षा से पहले पांच रुपया प्रति एकड़ लेकर ही यह काम कर दिया जाता है। शर्त यह है कि कम से कम एक स्थान पर अथवा पास-पड़ोस में २५ रुपये का काम हो जो लगातार चले। अन्य शर्तें ऊपर की भाँति हैं।

७—बालदार मक्खी (वूली अफिस)

बालदार मक्खी सेब के पेड़ों को बहुत हानि पहुँचाती है। इसकी रोकथाम के लिये मछली का तेल, रोजिन तेल तथा तम्बाकू का घोल अथवा अन्य कोई उपयुक्त कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जाता है। साल भर इसके लगने का डर रहता है। ढाई आने प्रति पेड़ इसका असल खर्च होता है लेकिन विभाग केवल दो आना प्रति पेड़ खर्च लेता है। एक स्थान अथवा पड़ोस में लगातार दस रुपये का काम मिलना चाहिये। अन्य शर्तें पहले की भाँति हैं।

८—बीज से फैलने वाले फसलों के रोग

कंडुवा रोग बीज से फैलता है। इसकी रोकथाम उपयुक्त दवा से की जाती है जिसका खर्च चार आने से पाँच आने प्रति मन पड़ता है। खरीफ व रबी की बुआई के पहले बीज

का उपचार हो जाना चाहिये। देहरादून की चकराता तहसील और देहरादून तहसील के उत्तर पूर्व गंगा यमुना के बीच मंसूरी पहाड़ी क्षेत्र में बहुत गरीब लोग हैं और कृषि का क्षेत्रफल भी छोटा है। वहां के किसानों को इसके लियेकुछ नहीं देना पड़ता है। राज्य के अन्य हिस्सों में एक स्थान पर कम से कम पचास मन गल्ला दवा डालने के लिये मिलना चाहिये। ढुलाई आदि की शर्तें पहले की भांति हैं।

९—आलू पर 'लेट ब्लाइट' तथा 'अर्ली ब्लाइट' रोग

'लेट ब्लाइट' और 'अर्ली ब्लाइट' आलू के बहुत खतरनाक रोग हैं। इनकी रोकथाम के लिये पेरनोक्स या अन्य उपयुक्त दवा का प्रयोग किया जाता है। नवम्बर से मार्च तक मैदानों में और मार्च से अगस्त तक पहाड़ों पर इनका भय रहता है। एक एकड़ की रोकथाम का असल खर्च सात से नौ रुपया पड़ता है। लेकिन विभाग पाँच रुपया प्रति एकड़ लेकर काम कर देता है।

१०—पान की जड़ सड़न (फूट राट)

पान की जड़ सड़ने का रोग पौधे के लिये खतरनाक होता है। जून के बाद के महीनों में इसका प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम का असली खर्च आठ से दस रुपये तक पड़ता है लेकिन विभाग केवल पांच रुपया लेकर काम कर देता है। कम से कम एक एकड़ का क्षेत्रफल एक स्थान या उसके पड़ोस में होना चाहिये जहां लगातार काम चले। इससे कम क्षेत्रफल के स्थान के काश्तकार या काश्तकारों को क्रम संख्या एक के अनुसार दोनों तरफ की ढुलाई तथा अन्य मजदूरी व पानी लाने का खर्च देना पड़ेगा।

जूट की खेती के लिए मिलने वाली सुविधाएं

जूट की खेती पहले अन्य राज्यों तक सीमित थी, लेकिन पाकिस्तान बनने पर भारत के सामने जूट की समस्या आयी क्योंकि जूट उत्पादन का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में पड़ गया। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती का प्रचलन किया गया और अब कई जिलों में जूट की खेती होने लगी है। नीची तथा धान वाली भूमि में इसकी खेती होती है। जूट की एक किस्म, जो फाल्गुन, चैत तक बोई जाती है, अगहनी धान लगने के पहले कट जाती है। इस प्रकार धान की फसल भी उसी खेत में से ली जाती है। अभी इसकी

उन्नति और प्रसार की काफी संभावना है जिसके बढ़ाने के लिये कृषि विभाग की ओर से निम्नलिखित सुविधाएं दी जा रही हैं—

१—नकद कीमत पर उन्नतिशील बीज खरीदने वाले को आधी कीमत पर बीज मिलता है।

२—जूट सड़ाने की पोखरी खोदने तथा जूट के सन को निकालने के खर्चे के लिये ऋण की व्यवस्था है।

३—जूट की फसल पर लगे कीड़े आदि के मारने के लिये दवाई का मुफ्त प्रबंध है।

४—जूट की फसल प्रतियोगिता में हजारों रुपए इनाम में बांटे जाते हैं। यह प्रतियोगिता केन्द्र, जोन तथा राज्य स्तर पर होती है। सबके लिये प्रवेश शुल्क केवल एक रुपया है।

५—उन्नतिशील खेती के प्रदर्शन कार्यकर्त्ताओं द्वारा कृषकों के खेतों पर कराये जाते हैं।

६—जूट बोने की मशीन तथा निराई-गुड़ाई के उपयुक्त कृषि यंत्र नकद दाम पर तथा तकावी के जरिये प्राप्त किये जा सकते हैं।

७—बिक्री तथा यातायात की कठिनाइयों को विभाग दूर करता है।

८—मेस्टा और सनई का बीज भी नकद दाम पर दिया जाता है।

९—जूट के उन्नतिशील बीजों की बढ़ोत्तरी काश्तकारों के खेत पर की जाती है और जहां तक संभव होता है पूरा बीज विभाग द्वारा खरीद लिया जाता है।

भूमि संरक्षण के लिए किसान को मिलने वाली सहायता (भूमि-संरक्षण विभाग द्वारा)

भूमि संरक्षण कानून, १९५४ के मुताबिक जहां यह योजना लागू की जायगी वहां के कृषकों को ऋण तथा अनुदान की निम्नलिखित सरकारी सुविधाएं प्राप्त हैं:—

(अ) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी की देख-रेख में आगरा, झाँसी, जालौन, मथुरा,

सुल्तानपुर, मिर्जापुर, लखनऊ तथा टेहरी-गढ़वाल में भूमि संरक्षण के चालू विभिन्न कार्यों के लिये ऋण की सुविधा उपलब्ध है।

(आ) प्रत्येक वर्ष जिले में होने वाले भूमि संरक्षण कार्यों में तखमीने के आधार पर सरकार से तकावी "ऋण ऐक्ट १६,१८८३" के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति ले ली जाती है। यह धनराशि राज्य-भूमि संरक्षण समिति की सिफारिश के बाद जिलाधीश द्वारा विभिन्न काश्तकारों को बांटी जाती है।

(इ) ऋण निम्न प्रकार से दिया जाता है:—

१—कन्टूर बन्धी आदि के तखमीने की कुल धनराशि तक।

२—पक्के कामों के तखमीने की कुल धनराशि तक।

३—भूमि समतल करने के काम में तखमीने के २५ प्रतिशत तक यदि काश्तकार स्वयं इस काम को करता है और १०० प्रतिशत तक यदि काश्तकार सरकारी ट्रैक्टर आदि लेकर काम करता है।

ऋण छःमाही किस्तों में साढ़े चार प्रतिशत ब्याज की दर से १५ वर्ष में माल महकमे द्वारा वसूल किया जायगा।

अनुदान :—

निम्नलिखित कामों पर निश्चित दर और समय के अन्दर उनके पूरे हो जाने पर अनुदान मिलता है जो ऋण की धनराशि वसूली में जमा हो जाती है। वे कृषक जो बगैर ऋण के काम को पूरा करते हैं उन्हें उचित अनुदान नकद रूप में दिया जाता है।

अनुदान की दरें निम्नलिखित हैं :—

१—भूमि संरक्षण के पक्के कामों पर ५० प्रतिशत।

२—सामुदायिक कन्टूर तथा अन्य किस्म की बंधियों पर २५ प्रतिशत सहायता।

३—सामूहिक रूप से जमीन समतल करने के लिये २५ प्रतिशत।

नियोजन विभाग द्वारा मिलने वाली सुविधाएं

विकास कार्यक्रम में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि विभाग के अतिरिक्त कृषि तथा

इससे सम्बन्धित विकास कामों को आगे बढ़ाने एवं प्रोत्साहन देने के लिये ऋण तथा अनुदान की व्यवस्था, विकास खण्डों के जरिये की जाती है, जो निम्नलिखित है :—

१—कृषि प्रदर्शन

कृषि प्रदर्शन के अन्तर्गत नवीन तरीके खाद तथा यंत्र आदि के प्रयोग के प्रदर्शन यह जानने के लिये किये जाते हैं कि विशेष परिस्थितियों में इनका क्या परिणाम निकलता है। यदि इन प्रदर्शनों में काश्तकार को हानि हो तो एक प्रदर्शन के लिये २५ रुपया तक क्षति पूर्ति दी जाती है। एक ग्राम सेवक क्षेत्र में इस प्रकार के अधिक से अधिक चार प्रदर्शन प्रति वर्ष किये जा सकते हैं।

२—पौध गृह (नर्सरी)

पौध गृह (नर्सरी) की स्थापना के लिये ग्राम सभा, सहकारी समिति अथवा व्यक्ति विशेष को ५० प्रतिशत या ५०० रुपया तक की आर्थिक सहायता जो भी कम हो, दी जाती है। पुराने पौध गृह को व्यवस्थित करने के लिये ५० प्रतिशत सहायता दी जाती है लेकिन अधिक से अधिक ३०० रुपया तक ही सहायता दी जा सकती है।

३—सामुदायिक बाग या जंगल

सामुदायिक बाग अथवा जंगल लगाने के लिये ग्राम सभा तथा स्कूलों को ५० प्रतिशत या १२५ रु० प्रति एकड़ जो भी कम हो, की सहायता दी जाती है। इसका हिसाब करते हुए जमीन की कीमत नहीं लगाई जायगी।

४—साग-सब्जी के बीज तथा बागवानी के सामान

साग-सब्जी के बीज तथा बागवानी के सामान के रूप में २० रुपये तक की सहायता प्रति नवयुवक दल को मिलती है। एक बार जब साग-सब्जी के बीज दिये जाते हैं तो अगले वर्ष उन दलों से यह आशा की जाती है कि वे पिछले साल की फसल से कुछ बीज बचा लें। उन्हें दुबारा यह सहायता नहीं दी जायगी।

५—पक्का कम्पोस्ट गड्ढा

अच्छी खाद बनाने व हर साल मरम्मत की परेशानी खत्म करने की दृष्टि से पक्के कम्पोस्ट के गड्ढे उपयोगी हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये ग्राम सभाओं को अथवा सामुदायिक रूप से व्यक्तियों को १०-२० गड्ढे एक जगह बनाने पर ५० प्रतिशत या ३० रुपया प्रति गड्ढा जो भी कम हो, सहायता दी जाती है।

६—कृषि यंत्र

उन्नतिशील कृषि को अपनाने के लिये कृषि यंत्रों का खास महत्व है। इनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये ग्राम सभाओं तथा किसी व्यक्ति को ३३ प्रतिशत सहायता मिल सकती है। कृषि यंत्रों की कीमत दस रुपया से कम और दो सौ रुपये से अधिक न होनी चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में उप विकास आयुक्त (कृषि) की मंजूरी से यह सहायता ५० प्रतिशत भी की जा सकती है।

७—गोबर गैस प्लांट

गोबर गैस प्लांट बहुत उपयोगी चीज है। गोबर से गैस निकालकर खाना बनाने का काम चलता है और खाद के लिये भी उसका पूरा उपयोग किया जा सकता है। इसको प्रोत्साहन देने के लिये ५० प्रतिशत या २०० रुपया जो कम हो, की सहायता मिलती है। यह सहायता व्यक्ति विशेष को दी जाती है।

८—पौधों की ढुलाई

पहाड़ी जिलों में यातायात की असुविधा के कारण पौधे की ढुलाई जो आदमियों द्वारा की जाती है, काफी खर्चीली पड़ती है जिससे पौधों का दाम अधिक पड़ जाता है और साधारण किसान खरीदने में हिचकिचाता है। कीमत को ठीक रखने तथा प्रोत्साहन की दृष्टि से ब्लाक के मुख्य कार्यालय से ग्राम सेवक केन्द्र तक की ढुलाई, जो जिला नियोजन अधिकारी अथवा जिला कृषि अधिकारी द्वारा तय कर दी जाय, सहायता के रूप में मिल जाती है।

आशा है कि ऊपर बताये गये विवरण से सर्वसाधारण की जानकारी बढ़ेगी और जो कोई इसे पढ़ेगा वह अपने अन्य साथियों को भी बतलायेगा। प्रत्येक किसान को इन सुविधाओं की जानकारी रहनी चाहिए जिससे मौके पर इसका सदुपयोग हो सके।

विकास खण्डों में नवयुवक दल के लिए कृषि तथा पशु-पालन बजट से सहायता

कार्यक्रम	सहायता की शर्तें
१—बीज, पौधे तथा कलमों के लिये	पूरे खर्चे का ५० प्रतिशत लेकिन एक दल को ५० रु० से अधिक नहीं।
२—कृषि यंत्रों का देना	कुल कीमत का ५० प्रतिशत या १०० रु० जो भी कम हो।
३—रेशम के कीड़े पालना, फल संरक्षण तथा मधुमक्खी पालन	कुल कीमत का ५० प्रतिशत लेकिन एक दल को रेशम के कीड़े के लिये ५० रु०, फल संरक्षण तथा मधुमक्खी पालन के लिये १०० रु० से अधिक नहीं।
४—कृषि प्रदर्शन हेतु	कुल कीमत का ५० प्रतिशत लेकिन एक दल को ४० रु० से अधिक नहीं।
५—किताबें तथा साहित्य	एक वर्ष में प्रति दल २५ रु० से अधिक नहीं।
६—(अ) उन्नतिशील मुर्गी-पालन की इकाई स्थापित करने के लिये	कुल कीमत का ५० प्रतिशत लेकिन एक दल को १०० रु० से अधिक नहीं। इसमें दरबा, घेरा बनाने आदि के काम शामिल हैं।
(ब)—मुर्गी-पालन के लिये उन्नतिशील साज-सामान	कुल कीमत का ५० प्रतिशत लेकिन एक दल के लिये १०० रु० से अधिक नहीं।

कार्यक्रम	सहायता की शर्तें
७—बछिया, पड़िया की खरीद (एक वर्ष में एक ब्लाक में ५ से अधिक नहीं)	कुल कीमत का ५० प्रतिशत लेकिन प्रत्येक जानवर पर ३० रु० से अधिक नहीं।

यह सहायता केवल मान्यता प्राप्त नवयुवक दलों को ही मिलेगी। सहायता के लिये दल का प्रस्ताव आवेदन-पत्र के साथ रहे। सहायता प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर काम पूरा होने की रिपोर्ट लगा देनी चाहिए। प्रत्येक दल में इन कामों का विस्तृत विवरण रखना आवश्यक है।

परिशिष्ट—ड

रबी में बुन्देलखंड क्षेत्रों में तेलहन-फसलों की उन्नतिशील खेती

बुन्देलखंड क्षेत्र की प्रमुख तेलहन की फसलें निम्नलिखित हैं:—

(अ) अलसी

(ब) राई तथा सरसों

(अ) अलसी

बुन्देलखंड एक ऐसा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर अलसी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है।

भूमि—इसकी खेती के लिये मटियार चिकनी एवं काली कपास वाली भूमि बहुत उपयुक्त है। क्षारीय एवं बलुई भूमि को छोड़कर साधारणतया यह सभी प्रकार की भूमियों में बोयी जा सकती है।

भूमि की तैयारी—सामान्यतया २-३ जुताइयाँ साधारण मिट्टी पलटने वाले हल से करने के साथ साथ २-३ बार पटेला चला दिया जाता है। देशी हल से भी जुताई की जा सकती है।

बीज-दर—बोने के लिये प्रति एकड़ लगभग ८-१० सेर बीज की जरूरत पड़ती है लेकिन की सिफारिश की जाती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर प्रति एकड़ १ मन की दर से अमोनियम सल्फेट का प्रयोग टापड्रेसिंग के तौर पर किया जा सकता है।

बीज-दर—बोने के लिये प्रति एकड़ लगभग ८-१० सेर की जरूरत पड़ती है लेकिन उत्तम स्वस्थ जातियों की हालत में बीज की मात्रा प्रति एकड़ १५-१७ सेर तक हो सकती है। कमजोर मिट्टी में बीज की मात्रा कुछ बढ़ा देनी चाहिए।

बुवाई—शुद्ध फसल के लिये बीज को कतारों में १२ इंच की दूरी पर १॥-२ इंच की गहराई में बोना चाहिए। यह चने के साथ-साथ ५-१० फीट की पट्टियों में बोयी जा सकती है। यह गेहूँ एवं जौ के खेतों में सीमा पर भी बोयी जाती है। २ लाइन अलसी के बाद २ लाइन चना बोने का क्रम अच्छा रहता है।

उन्नत जातियां—उत्तर प्रदेशीय कृषि विभाग द्वारा विकसित अलसी टी० १ शीघ्र पकने वाली (१३५-१४० दिन) बड़े बीज वाली जाति है। यह गेरुई प्रतिरोधक, अधिक उपज देने वाली (प्रति एकड़ १५-१७ मन) है। इससे अधिक तेल की मात्रा (४१ प्रतिशत) प्राप्त होती है तथा यह विशेषतया बुंदेलखंड के क्षेत्रों के लिये उपयुक्त है। इस साल एन ३९७ एवं ६०३ जातियाँ विकसित की गयी हैं जो कि अच्छी उपज देती हैं।

निराई गुड़ाई—उपज बढ़ाने के लिये खरपतवार निकालने हेतु-कल्टीवेटर या हैंड हो से एक निराई गुड़ाई आवश्यक है।

सिंचाई—उपज बढ़ाने के लिये फल निकलते समय एक सिंचाई बहुत लाभप्रद होती है।

कटाई—फरवरी के मध्य से मार्च तक कटाई की जाती है।

फसल सुरक्षा क्रियायें

सेमीलूपर—प्रति एकड़ १५ पौंड की दर से ५ प्रतिशत बी० एच० सी० की फसल पर भुरकनी करने या प्रति एकड़ ६०-८० गैलन की दर से ०.२५ प्रतिशत डी० डी० टी० इमल्शन का छिड़काव करने से सेमीलूपर पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

(ब) राई तथा सरसों

भूमि की तैयारी—अन्य फसलों के साथ मिश्रित बुआई करने पर खेत अन्य फसलों की आवश्यकताओं को देखते हुए तैयार किया जाता है। शुद्ध फसल के लिये खेत की जुताई द्वारा एवं ४-६ बार पटेला चलाकर तैयार किया जाता है। खेत में खरपतवार नहीं रहना चाहिए तथा पर्याप्त मात्रा में नमी रहनी चाहिए। यद्यपि बहुत अधिक नमी फसल के लिये हानिप्रद सिद्ध होती है।

खाद देना—फसल के लिये प्रति एकड़ ४० पौंड नत्रजन की जरूरत पड़ती है एवं इस कारण प्रति एकड़ १०० से १५० मन गोबर की खाद प्रयोग की जानी चाहिए।

बीज-मात्रा—शुद्ध फसल के लिये प्रति एकड़ लगभग २ सेर बीज की जरूरत पड़ती है एवं अन्य फसलों के साथ मिश्रित रूप में बोआई करने पर प्रति एकड़ ४-१२ छटांक बीज की मात्रा पर्याप्त है।

उन्नत जातियाँ—हाल ही में शीघ्र पकने वाली पीली सरसों टी. ४२ और राई टी. १६ विकसित की गयी है जो कि बुन्देलखंड के क्षेत्रों में उगाने के लिये उपयुक्त है।

बुवाई—मिश्रित या शुद्ध रूप (अकेले) में १॥ फीट की दूरी पर हमेशा कतारों में बुआई अच्छी रहती है। पौधों को विरल करके पौधे से पौधे की दूरी ६ इंच रखनी चाहिए। मिश्रित फसल में ६ फीट की दूरी पर यह कतारों में बोयी जा सकती है।

निराई गुड़ाई—पौधों के ८ इंच ऊँचा हो जाने पर हैंड हो से एक गुड़ाई लाभप्रद सिद्ध होगी।

फसल सुरक्षा क्रियायें—

(१) सरसों का माहू (मस्टर्डएफिस)—इसका आक्रमण दिसम्बर से जनवरी तक होता है। इसे ४:१:६०० के अनुपात में (साबुन : निकोटिनसल्फेट : पानी) प्रति एकड़ ६०-८० गैलन की दर से निकोटीन सल्फेट का या ६००-८०० औंस पानी में १ औंस की दर से वासुडिन का छिड़काव कर रोका जा सकता है।

(२) मस्टर्ड साफ्लाई—यह अक्टूबर में प्रकट होती है तथा मार्च तक रहती है। ०.२५ प्रतिशत डी० डी० टी० इमल्शन का या ४ प्रतिशत फिशआयल (मत्स्यतैल) एवं रोजिन-सोपइमल्शन का छिड़काव कर इसे रोका जा सकता है।

(३) पेन्टेडबग—अग्रिम अवस्थाओं में इसका आक्रमण होने से फसल की पर्याप्त क्षति होती है। प्रति एकड़ ५०-६० गैलन की दर से ०.२५ प्रतिशत डी० डी० टी० का छिड़काव कर इसे रोका जा सकता है। हाथ से उठाना तथा कीड़ों का नाश करना भी लाभकारी होता है।

लाही तराई क्षेत्रों की महत्त्व पूर्ण पैसे वाली फसल है। इसलिये इस फसल के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि करना विशेषतया उन क्षेत्रों में जहां की भूमि गन्ने की फसल की बुआई के लिये छोड़ी गयी है, महत्त्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है।

भूमि—भलीभांति निकास वाली हल्की से भारी मिट्टी।

भूमि की तैयारी—भूमि तैयार करने के लिये सामान्यतया ४-६ जुताइयों की जरूरत पड़ती है। अंकुरण के लिये फसल को काफी नमी की जरूरत पड़ती है जिसे बुआई के समय पता लगा लेना चाहिए।

बीज मात्रा एवं बुआई का समय—बुआई के लिये प्रति एकड़ २-३ सेर बीज काफी है। बुआई का सर्वोत्तम समय सितम्बर का दूसरा या तीसरा सप्ताह होता है। देर से बुआई करने पर प्रायः पाले का आक्रमण हो जाता है जिससे फसल जल्दी प्रभावित हो जाती है।

बोने का ढंग—फसल सामान्यतया छिटकवां बोयी जाती है लेकिन निराई गुड़ाई में सुविधा हेतु इसे विशेषकर कतारों में बोना चाहिए। कतारों के बीच की दूरी १॥ फीट होनी चाहिए तथा अंकुरण के बाद फसल को विरल करके पौधों के बीच की दूरी ४-६ इन्च कर देनी चाहिए।

खाद देना—हरी खाद देने पर तोरिया की फसल अच्छी होती है। फसल पर सुपर-फास्फेट का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। सुपरफास्फेट को हरी खाद की फसलों में बेसल ड्रेसिंग के तौर पर प्रति एकड़ एक मन की दर से देना चाहिए। यदि हरी खाद देना संभव न हो सके तो बुआई के पहले प्रति एकड़ एक मन उर्वरक मिश्रण का कूंड़ों में प्रयोग किया जाय।

सिंचाई—इस फसल के लिये तराई क्षेत्रों में सामान्यतया सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती।

निराई गुड़ाई—कम से कम एक बार निराई गुड़ाई करके फसल को खर-पतवार से मुक्त कर देना चाहिए।

कटाई—बुआई के ८०-१०० दिनों के बाद जैसे ही फलियां पीले रंग की हो जाती हैं, फसल की कटाई की जाती है। दिसम्बर के दूसरे सप्ताह से जनवरी के पहले हफ्ते

तक साधारणतया कटाई की जाती है।

उपज—मिट्टी के प्रकार एवं खादों की मात्रा आदि पर निर्भर रहने के कारण उपज प्रति एकड़ १० से २० मन तक होती है।

कीड़े मकोड़े—(१) चुयका (एफिड्स) सामान्यतया नवम्बर में प्रकट होता है तथा बादल घिरे रहने पर शीघ्रता से बढ़ता है। यह निम्नांकित ढंगों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है:—

१:—इमल्शन का एक भाग तम्बाकू: १।। भाग साबुन एवं १० भाग पानी के अनुपात से साबुन, तम्बाकू के घोल का छिड़काव कर इसे रोका जा सकता है।

२—१ औंस बासुडिन को ६००-८०० औंस पानी में मिलाकर तथा उसका छिड़काव कर इसे रोका जा सकता है।

३— मस्टर्ड सा फलाई सामान्यतया अक्टूबर के माह में दिखाई देती है। यह मक्खी केवल शिराओं को छोड़कर पत्तियों को खा जाती है। ०. २५ प्रतिशत डी० डी० टी० इमलशन घोल का या ४ प्रतिशत फिश आयल एवं रोजीन सोप के घोल (इमल्शन) का छिड़काव कर इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

———

परिशिष्ट—ढ

रबी के लिये पुरस्कार प्रतियोगिता योजना का विवरण

इस योजना का ध्येय प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों, ग्राम सभाओं तथा कर्मचारियों में स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता की भावना को प्रोत्साहित करना है।

योजना में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :

१— किसानों में प्रतियोगिता,

२— हर एक ग्राम सेवक तथा विकास खंड की ग्राम सभाओं में प्रतियोगिता,

३— राज्य तथा क्षेत्र स्तर पर ग्राम सभाओं में चुनौती,

४— प्रत्येक जिले के सक्रिय विकास खंडों में प्रतियोगिता,

५— जिलों में प्रतियोगिता,

६— क्षेत्रों में प्रतियोगिता,

७— मूंगफली में प्रतियोगिता तथा

८— दृश्य दर्शन एवं किसानों की गोष्ठियां।

१. किसानों में प्रतियोगिता—रबी में गेहूँ, जौ और आलू की फसलें प्रतियोगिता के लिए चुनी गई हैं। प्रतियोगिता राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर पर संगठित की जाएगी। प्रतियोगिता में केवल वही किसान भाग ले सकेंगे जोकि गत वर्षों में क्षेत्र या राज्य में किसानों द्वारा पैदा की गई अधिकतम उपज से अधिक उत्पादन कर सकेंगे। कृषि निदेशक प्रति वर्ष पैदावार के पिछले वर्ष के आंकड़ों की घोषणा किया करेंगे। प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय विभाजन किया गया है :—

१. लखनऊ क्षेत्र—लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, खीरी, उन्नाव तथा रायबरेली।

२. इलाहाबाद क्षेत्र—इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद तथा इटावा।

३. मेरठ क्षेत्र---देहरादून (मैदानी क्षेत्र), सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, मेरठ तथा बुलन्दशहर।

४. बरेली क्षेत्र---मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बुदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बरेली तथा नैनीताल के तराई।

५. आगरा क्षेत्र---आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा तथा मैनपुरी।

६. गोरखपुर क्षेत्र---गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बस्ती।

७. वाराणसी क्षेत्र---वाराणसी, मिर्ज़ापुर, बलिया, जौनपुर तथा गाज़ीपुर।

८. फैजाबाद क्षेत्र---फैजाबाद, गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बहराइच तथा प्रतापगढ़।

९. झांसी क्षेत्र---झांसी, हमीरपुर, जालौन तथा बांदा।

१०. पहाड़ी क्षेत्र---अल्मोड़ा, नैनीताल (तराई क्षेत्र को छोड़कर), टेहरीगढ़वाल, पौरी गढ़वाल, उत्तर काशी, चमोली, पिथौरागढ़ तथा देहरादून (पहाड़ी भाग)।

निर्णय---

प्रतियोगिता के परिणामों का निर्णय सम्बन्धित क्षेत्र के उपकृषि निदेशक या सहायक कृषि निदेशक द्वारा किया जायगा। राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं का निर्णय कृषि निदेशक द्वारा किया जायगा। प्रतियोगिताओं के परिणाम फसल कटाई के प्रयोगों पर आधारित होंगे।

प्रवेश शुल्क---

क्षेत्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये प्रत्येक फसल का प्रवेश शुल्क १५ रु० होगा। प्रत्येक जिले का जिला कृषि अधिकारी प्रवेश शुल्क के एकत्र करने तथा उसका हिसाब किताब रखने के लिए जिम्मेदार होगा। क्षेत्रीय प्रतियोगी उसी खेत पर २५ रु० अतिरिक्त शुल्क देकर राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भी भाग ले सकता है।

पुरस्कार—

प्रत्येक चुनी हुई फसल के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिये जायेंगे:—

(अ) क्षेत्रीय स्तर—

पुरस्कार १५०० रु० तथा प्रमाण पत्र।

(ब) राज्य स्तर—

पुरस्कार ५००० रु० तथा प्रमाण पत्र।

राज्य स्तर के विजेताओं को केवल राज्य पुरस्कार प्राप्त होगा, क्षेत्रीय नहीं।

प्रवेश पत्र दाखिल करने की तारीख

प्रवेश पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि निम्न प्रकार होगी:—

रबी —— ३१ दिसम्बर

प्रवेश पत्र जिला नियोजन अधिकारी तथा जिला कृषि अधिकारी से प्राप्त हो सकेंगे।

प्रतियोगिता के लिए क्षेत्रफल

प्रतियोगिता के लिए कम से कम क्षेत्र का मैदानी भागों में १।२ एकड़ तथा पहाड़ी भागों में १।१० एकड़ के दो प्लाट या १।५ एकड़ का १ प्लाट होगा। प्रतियोगिता में सम्मिलित खेतों का रेखा चित्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए।

प्रतियोगिता में केवल वे ही व्यक्ति भाग ले सकेंगे जो वास्तव में स्वयं अपने हाथों से कृषि कार्य करते हों और उस भूमि के मालिक हों। इसका यह मतलब हुआ कि जिस खेत को प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाय वह स्वयं प्रतियोगी के नाम से होना चाहिए।

प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रतियोगिता वाले खेत में अपनाई गई कृषि विधियों के बारे में कृषि विभाग को पूरी जानकारी देनी होगी।

राजकीय फार्म बिना प्रवेश शुल्क दिए ही प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यदि राजकीय फार्म पुरस्कार जीतता है तो फार्म अधीक्षक को केवल एक प्रमाण पत्र दिया जायगा तथा उसकी चरित्र पंजी में एक उल्लेख कर दिया जायगा।

यदि कोई प्रतियोगी अवांछित साधनों का प्रयोग करेगा जिसमें कि पुरस्कार पाने के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोशिश भी सम्मिलित है तो वह प्रतियोगी प्रतियोगिता के लिए अयोग्य समझा जायगा और वह किसी भी प्रतियोगिता में तीन वर्षों तक भाग न ले पाएगा।

प्रतियोगिता वाले खेतों की फसलों में अन्य खाद्यान्नों का ५ प्रतिशत से अधिक मिश्रण नहीं आना चाहिए।

खेतों की कटाई के लिए व्यक्तियों का निर्णय कृषि निदेशक द्वारा किया जायगा जोकि अन्तिम होगा।

२—हर एक ग्राम सेवक तथा ग्राम सभा में प्रतियोगिता

ग्राम सभाओं के मध्य प्रतियोगिता होगी:—

(अ) प्रत्येक ग्राम सेवक के क्षेत्र की ग्राम सभाओं के मध्य।

(ब) प्रत्येक विकास खंड की ग्राम सभाओं के मध्य।

(अ) सक्रिय विकास खण्ड में प्रत्येक ग्राम सेवक क्षेत्र की ग्रामसभाओं के मध्य:—

प्रत्येक ग्राम सेवक क्षेत्र की सबसे अच्छी ग्राम सभा को ५० रु० का पुरस्कार होगा जो कि रबी के कृषि-उत्पादन में प्रथम आवेगा। इस प्रतियोगिता का निर्णय ग्राम सेवक स्तर पर निम्नलिखित कमेटी द्वारा होगा—

विकास खण्ड की कृषि एवं उत्पादन समिति का अध्यक्ष—	अध्यक्ष
विकास खण्ड के मेम्बर जो कि कृषि एवं उत्पादन समिति ने नियुक्त किये हैं (ये सदस्य 'प्रतियोगी' ग्राम सेवक क्षेत्र के बाहर के होने चाहिये)—	सदस्य
सहायक विकास अधिकारी (कृषि) —	सलाहकार
ग्राम सेवक — — —	सलाहकार

प्रतियोगिता का निर्णय खड़ी फसल के स्थानीय निरीक्षण और वास्तविक सफलता पर निर्भर होगी। कमेटी इसके परिणाम खरीफ के लिये दिसम्बर तक और रबी के लिये अप्रैल तक विकास खण्ड अधिकारी के पास भेज देगी।

(आ) प्रत्येक सक्रिय विकास खण्ड की ग्राम सभाओं के मध्यः—

ग्राम सेवकों द्वारा सूचित किये हुए रबी की उत्तम ग्राम सभाओं में से ही विकास खण्ड की सर्वश्रेष्ठ ग्राम सभा का निर्णय किया जायगा। इस प्रतियोगिता का निर्णय एक निम्नलिखित कमेटी करेगी :—

१—विकास खण्ड कमेटी का अध्यक्ष या उसके द्वारा नियुक्त-अध्यक्ष
२—विकास खण्ड अधिकारी — — सचिव
३—सहायक विकास अधिकारी (कृषि) — — सदस्य

प्रतियोगिता का निर्णय खड़ी फसल के स्थानीय निरीक्षण और वास्तविक सफलता के आधार पर होगा।

विकास खण्ड की सबसे अच्छी गांव सभा को २०० रुपये का पुरस्कार मिलेगा।

३—प्रत्येक क्षेत्र तथा राज्य की ग्राम सभाओं में रबी में गेहूँ और जौ की फसलों में चुनौती

क्षेत्र तथा राज्य की सर्वोत्तम ग्राम सभाओं का निर्णय अलग अलग फसलों के लिए अलग-अलग रूप से किया जायगा। इस प्रतियोगिता की प्रतियोगी ग्राम सभाओं को उपरोक्त स्तरों की किसी प्रतियोगिता में प्रथम आने की चुनौती देनी होगी अथवा किसी अन्य ग्राम सभा द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार करना होगा। इसके लिए किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं होगा। चुनौती के लिए रबी में गेहूं और जौ की फसलें होंगी। एक ग्राम सभा प्रत्येक ऋतु में अपनी एक विशेष फसल के लिए ही प्रतियोगिता कर सकती है। इसका निर्णय फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित होगा जिसका संगठन कृषि विभाग के मुख्य सांख्यिक, निदेशक, अर्थ संख्या विभाग के सहयोग से करेंगे। चुनौती प्रतियोगिता में भाग लेने वाली ग्राम सभाओं की सूची रबी की फसलों के लिए ३१ दिसम्बर तक मुख्य सांख्यिक, कृषि विभाग के पास भेज दी जायगी।

सर्वोत्तम ग्राम सभाओं के लिए पुरस्कार निम्न प्रकार के होंगेः-

क्षेत्र—— ४००० रुपया
राज्य—— ६००० रुपया

इनका निर्णय सम्बन्धित क्षेत्र के उप कृषि निदेशक या सहायक कृषि निदेशक द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जायगा।

४—प्रत्येक जिले के सक्रिय विकास खंडों में प्रतियोगिता :

इस प्रतियोगिता का निर्णय जन सहयोग को ध्यान में रखते हुए मौके पर निरीक्षण एवं प्रभाव पर आधारित होगा। इसके लिए कोई विशेष नियम एवं सिद्धान्त निश्चित नहीं किए जाएंगे बल्कि प्रत्येक समिति को अपना निजी मापदंड बनाना होगा। निम्नलिखित निर्णय समिति, इस प्रतियोगिता के परिणामों का मूल्यांकन करेगी:—

१—जिलाधीश—	अध्यक्ष
२—अन्तरिम जिला परिषद् के दो प्रतिनिधि—	सदस्य
३—जिला नियोजन अधिकारी, अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन), जिला कृषि अधिकारी—	परामर्शदाता

खरीफ तथा रबी की फसलों के अलग-अलग निर्णय किए जायेंगे। निर्णय की अंतिम तिथि इस प्रकार होगी:— खरीफ—२० सितम्बर, रबी—१५ फरवरी

खरीफ तथा रबी की फसलों के लिए जिले के सर्वोत्तम विकास खंड को एक सचल शील्ड प्रदान की जायगी।

५—जिलों में प्रतियोगिता :

जिलों में प्रतियोगिता मुख्य सांख्यिक, कृषि विभाग द्वारा किए गए फसल कटाई प्रयोगों की सहायता से उत्पादन के अनुमानित आंकड़ों पर आधारित होगी।

उन जिलों को जिनकी पैदावार गत तीन वर्षों के औसत उत्पादन से १५ प्रतिशत या इससे अधिक होगी १०,००० रुपया का पुरस्कार दिया जावेगा। यह प्रतियोगिता खरीफ तथा रबी में अलग-अलग होगी।

उपरोक्त आधार पर निर्णय किये गये राज्य के सर्वोत्तम जिले को १०,००० रुपया नकद पुरस्कार के अतिरिक्त "राज्य कलश" प्राप्त होगा।

ये पुरस्कार राज्य सरकार के सहयोग से भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जायेंगे। यह योजना यद्यपि भारत सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है किन्तु आशा है कि यह इस वर्ष भी चालू रहेगी।

६—क्षेत्रों में प्रतियोगिता :

क्षेत्रों में प्रतियोगिता कृषि विभाग के मुख्य सांख्यिक द्वारा किए जाने वाले फसल कटाई के प्रयोगों की सहायता से प्राप्त उत्पादन के अनुमानित आंकड़ों पर आधारित होगी। जो क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि करेगा उसे मचल शील्ड प्रदान की जायगी। यह प्रतियोगिता खरीफ तथा रबी की फसलों के लिए अलग-अलग होगी।

७—दृश्य दर्शन एवं किसान गोष्ठियां—

प्रत्येक जिले के सर्वोत्तम विकास खडों के कृषि एवं उत्पादन समिति के अध्यक्षों तथा सफल ग्राम सभाओं के प्रधानों की गोष्ठी क्षेत्रीय मुख्यालय पर खरीफ तथा रबी की फसलों की कटाई मड़ाई के बाद अलग-अलग आयोजित की जायगी। इन गोष्ठियों का पुरस्कार वितरण के लिए भी सदुपयोग किया जायगा।

इन गोष्ठियों के अतिरिक्त इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को सबसे नजदीक के अनुसंधान स्टेशन पर नवीन कृषि विधियों में तीन दिन का प्रशिक्षण भी दिया जायगा। गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को आवश्यक यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते दिये जायेंगे।

नियम एवं सिद्धान्त

प्रत्येक ग्राम सेवक क्षेत्र की सर्वोत्तम ग्राम सभा, विकास खंड की सर्वोत्तम ग्राम सभा तथा प्रत्येक जिले के सर्वोत्तम सक्रिय विकास खंड के निर्णय के नियम एवं सिद्धान्त निम्नांकित हैं। इनमें से कुछ नियम सब दशाओं में लागू होंगे। अतएव उनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है:—

(क) अनिवार्य (ख) ऐच्छिक।

(क) अनिवार्य नियम—इनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

१. नत्रजनिक उर्वरकों का वितरण--

गत वर्ष (सन् १६६०-६१) के उपयोग के ऊपर कृषि क्षेत्र के प्रति एकड़ सदुपयोग के प्रतिशत में वृद्धि।

२. फास्फेटिक उर्वरकों का वितरण--

गत वर्ष (१६६०-६१) के उपयोग के ऊपर प्रति एकड़ कृषि क्षेत्र के सदुपयोग का प्रतिशत।

३. उन असिंचित क्षेत्रों में जहां गहन भूमि संरक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया गया है, सूखी खेती की विधियों को अपनाना। सूखी खेती की विधियां इस प्रकार हैं :—

(क) मेड़ बन्दी।

(ख) समोच्च रेखीय कृषि, जहाँ आवश्यक हो।

(ग) ढाल के आर पार कम बीज मात्रा के साथ कतारों में फसलों की बुआई। इसमें निराई गुड़ाई भी सम्मिलित है।

(घ) जहां नमी की स्थितियां अनुकूल हों, हल्के मात्रा में उर्वरक मिश्रण द्वारा मूल खाद देना (बेसल ड्रेसिंग)।

(च) प्रत्येक ग्राम सेवक द्वारा एक वर्ष में लगभग १५० एकड़ के चक या चकों में सभी उपयुक्त विधियों का अपनाना।

४. कम्पोस्ट के गड्ढों का निर्माण--

(क) पक्के गड्ढों को भर दिया गया हो और लगातार पानी दिया गया हो और भरने के बाद सूखी मिट्टी से ढक दिया गया हो।

(ख) कच्चे गड्ढे अच्छी तरह भरे गए हों, लगातार पानी दिया गया हो, सूखी मिट्टी से ढके हों और उनके चारों ओर सदा बहार लगाई गई हों।

५—ग्राम स्तर पर साधन समितियों अथवा गांव सभाओं द्वारा बीज में अनुवेधन:—

(क) चुने गए ग्राम बीज सहायकों की संख्या।

(ख) बढ़ाए गए तथा बदले गए उन्नत बीज की मात्रा।

७—उन्नतिशील कृषि यंत्रों का वितरण

८—गत वर्ष की अपेक्षा कृषि रक्षा विधियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि।

९—सहकारी ऋण को उर्वरकों के वितरण से सम्बद्ध करना।

१०—सहकारी समितियों में जमा किए धन में प्रतिशत वृद्धि।

११—गत वर्ष में दुफसली खेती के क्षेत्रफल की अपेक्षा दुफसली खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत।

(ख) ऐच्छिक नियम एवं सिद्धान्त—

१—गत वर्ष की अपेक्षा उत्तर प्रदेशीय ढंग से धान की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि।

२—गत वर्ष की अपेक्षा खरीफ तथा रबी की फसलों की कतारों में बुवाई के क्षेत्रफल में वृद्धि।

३—सिंचाई क्षमता का सदुपयोग।

४—आलू के बीज वितरण में वृद्धि का प्रतिशत।

इन ऐच्छिक नियमों एवं सिद्धान्तों का चुनाव प्रत्येक डिवीजन या जिले द्वारा उनकी स्थानीय स्थितियों के अनुसार किया जायगा।

विभिन्न सिद्धान्तों के लिए अंक निर्धारण के समय ७५ प्रतिशत अंक अनिवार्य सिद्धान्तों को तथा २५ प्रतिशत अंक ऐच्छिक सिद्धान्तों के लिए निर्धारित किए जांय। विभिन्न नियम सिद्धान्तो में अंकों का विभाजन प्रत्येक क्षेत्र में कार्यक्रम की प्राथमिकता तथा महत्व के अनुसार उप या सहायक निदेशक कृषि द्वारा उप या सहायक विकास आयुक्त के साथ विचार विमर्श द्वारा किया जायगा।

गहन भूमि संरक्षण खण्डों में ५० प्रतिशत अंक भूमि संरक्षण कार्य के लिए तथा शेष ५० प्रतिशत अन्य अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों के लिए निर्धारित किए जायंगे। भूमि संरक्षण के ५० प्रतिशत अंकों में गहन भूमि संरक्षण कार्य के क्षेत्रफल में अपनायी गयी उन्नत कृषि विधियों के अंक भी सम्मिलित हैं।

———

मुद्रक तथा प्रकाशक : कृषि सूचना ब्यूरो, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ